खण्ड-447, अंक-1
सोमवार, 19 कार्तिक, शक संवत् 1925
(10 नवम्बर, 2003 ई0)

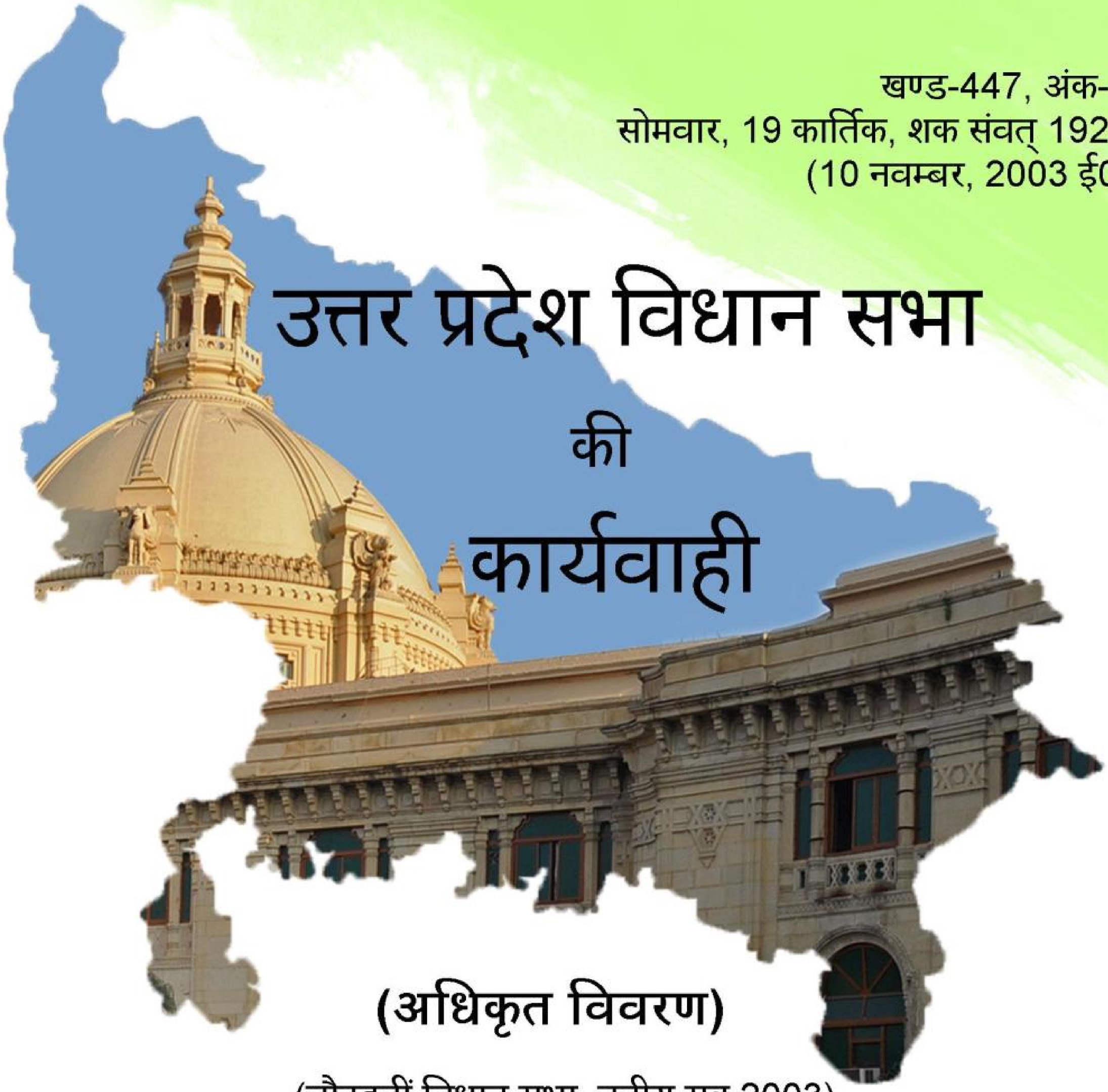

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

## की

# कार्यवाही

## (अधिकृत विवरण)

(चौदहवीं विधान सभा, तृतीय सत्र 2003)

खण्ड 447 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

---

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2003

---

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

## विषय-सूची


| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| विधान सभा के सदस्यों की सूची, महामहिम श्री राज्यपाल, मंत्रि-परिषद्, नेता विरोधी दल, उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी तथा अधिष्ठाता मण्डल की सूची ... ... ... | क–ध |
| राष्ट्रीय-गीत ... ... ... | 1 |
| प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब होने से उत्पन्न स्थिति विषयक सूचना को सर्वप्रथम लिए जाने की मांग ... ... ... | 1-2 |
| प्रश्नोत्तर (जारी) ... ... ... | 2-38 |
| उत्तर प्रदेश विधान सभा के पूर्व सदस्य, श्री हिम्मत बहादुर सिंह, श्री राम किंकर, श्री रघुनाथ सिंह, श्री राम हर्ष सिंह, श्री ओम प्रकाश तथा कुंवर सत्यवीर के निधन पर शोकोद्गार ... ... ... | 38-40 |
| प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब होने से उत्पन्न स्थिति विषयक सूचना को सर्वप्रथम लिए जाने की मांग ... ... ... | 40-42 |
| उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश, 2003 ... ... | 43 |
| उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2003 ... | 43 |
| उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 2003 ... | 43 |
| उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 2003 ... | 43 |
| उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 2003 ... | 43 |
| उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 2003 ... ... | 43 |
| सिविल प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 2003 ... | 43 |
| अपार्टमेंट (निर्माण स्वामित्व और अनुरक्षण का संवर्धन) (तृतीय) अध्यादेश, 2003.. | 43 |
| उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 2003 ... | 44 |
| उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 2003 ... ... | 44 |
| उत्तर प्रदेश नगर निगम (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 2003 ... ... | 44 |
| उत्तर प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2003 ... ... | 44 |
| उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय लेखानुदान) विधेयक, 2003 ... ... | 44-45 |
| "उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिश" विषयक प्रस्ताव ... ... (स्वीकृत) | 45-46 |
| नियम–311 की नियम–56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं | 46-73 |
| नियम–301 के अन्तर्गत सूचनाएं ... ... ... | 73 |
| जनपद जौनपुर के विकास खण्ड सरकोनी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ... ... | 73-74 |

| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| गाजीपुर सदर के ग्राम ख्वाजापुर में एक विवादित दीवार को न्यायालय के स्थगन आदेश के बावजूद गिराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ... ... ... | 74 |
| जनपद बलिया के गढ़मलपुर पोस्ट आफिस में तैनात सीनियर क्लर्क का अपहरण कर लिए जाने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ... ... | 74 |
| जनपद शाहजहांपुर के टाउनहाल में स्थित शहीद उद्यान की उत्तरी दीवार से मिली हुई मस्जिद के बगल में अवैध निर्माण को रुकवाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ... ... ... | 74 |
| जनपद आगरा में चोरी, डकैती, अपहरण एवं चैन-स्नैचिंग की बढ़ती घटनाओं पर रोक लगाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ... | 74-75 |
| जनपद हरदोई के ग्राम छितरामऊ, खम्मौरा इत्यादि के जले ट्रान्सफार्मर को ठीक कराकर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ... ... ... | 75 |
| प्रदेश के पेन्ट व्यापारियों पर लगाये गये दोहरे व्यापार कर को समाप्त करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना... ... ... | 75 |
| "प्रदेश में गम्भीर एवं गरीब रोगियों के लिए उपचार की व्यवस्था सरकारी खर्च पर किये जाने " विषयक डा० पी० के० राय द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा... (संकल्प वापस होने का प्रस्ताव स्वीकृत) | 76-77 |
| "जनपद वाराणसी के अस्सी क्षेत्र के भदैनी मुहल्ले में जन्मी महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म-स्थली को अधिग्रहीत करके उनके नाम स्मारक का निर्माण कराने" विषयक श्री श्यामदेव राय चौधरी द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा. ... (संकल्प वापस होने का प्रस्ताव स्वीकृत) | 78-82 |
| "पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता को सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने हेतु पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की खण्ड-पीठ स्थापित किये जाने" विषयक डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा....(अस्वीकृत) ... | 82-90 |
| "उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिश" विषयक सूचना..... .... (स्वीकृत) | 90-91 |
| नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं ... ... ... | 91-92 |
| नत्थी ... ... ... ... | 93-94 |

# उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्यों की सूची

चौदहवीं विधान सभा

1–अकीलुर्रहमान खां, श्री — मुरादाबाद
2–अक्षयवर लाल, श्री — बहराइच
3–अखिलेश कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
4–अजय कपूर, श्री — कानपुर नगर
5–अजय कुमार, श्री — बागपत
6–अजय राय, श्री — वाराणसी
7–अजीत कुमार उर्फ राजू, श्री — बदायूं
8–अजीम भाई, श्री — फिरोजाबाद
9–अताउल रहमान, श्री — बरेली
10–अतीक अहमद, श्री — इलाहाबाद
11–अनवर महमूद, श्री — बलरामपुर
12–अनार सिंह दिवाकर, श्री — एटा
13–अनिल कुमार, श्री — बुलन्दशहर
14–अनिल कुमार पाण्डेय, श्री — सुल्तानपुर
15–अनिल कुमार मौर्य, श्री — मिर्जापुर
16–अनिल कुमार वर्मा, श्री — सीतापुर
17–अनिल कुमार पासवान, श्री — हरदोई
18–अनिल कुमार सिंह यादव, श्री — एटा
19–अनिल सिंह, श्री — सिद्धार्थनगर
20–अनीस अहमद खां उर्फ फूलबाबू, श्री — पीलीभीत
21–अनुग्रह नारायण उर्फ खोखा सिंह, श्री — देवरिया
22–अनुराधा चौधरी, श्रीमती — मुजफ्फरनगर
23–अनूप कुमार पाण्डेय, श्री — बस्ती
24–अन्सार अहमद, श्री — इलाहाबाद
25–अब्दुल कलाम, श्री — वाराणसी
26–अब्दुल कलाम, श्री — संत कबीर नगर
27–अब्दुल मन्नान, श्री — हरदोई
28–अब्बास अली जैदी उर्फ रुशदी मियां, श्री — बाराबंकी
29–अमरजीत सिंह जनसेवक, श्री — फतेहपुर
30–अमरमणि, श्री — महराजगंज
31–अमर सिंह यादव पुत्र श्री सुन्दर सिंह, श्री — हाथरस
32–अमिता सिंह, श्रीमती — सुल्तानपुर
33–अम्बिका चौधरी, श्री — बलिया
34–अम्बेश कुमारी, श्रीमती — महोबा
35–अयोध्या प्रसाद पाल, श्री — फतेहपुर
36–अरविन्द गिरि, श्री — खीरी
*37–अरविन्द कुमार सिंह उर्फ गोप, श्री — बाराबंकी
38–अरुण कुमार मेहरोत्रा, डा० — जालौन
39–अरुण कुमारी, श्रीमती — कानपुर देहात
40–अरुणवीर सिंह, श्री — बहराइच
41–अरुणा तोमर, श्रीमती — कानपुर नगर
42–अवधेश कुमार वर्मा, श्री — शाहजहांपुर
43–अवधेश प्रसाद, श्री — फैजाबाद
44–अशोक कुमार कटियार, श्री — कानपुर देहात
45–अशोक बाजपेयी, डा० — हरदोई
46–अशोक सिंह चौहान, श्री — मैनपुरी
47–आदित्य विक्रम सिंह (बोकू सिंह), श्री — सिद्धार्थनगर
48–आनन्द प्रकाश लोधी, श्री — फतेहपुर
49–आनन्द सेन, श्री — फैजाबाद
50–आर०एस० कुशवाहा, श्री — खीरी
51–आर० के० चौधरी, श्री — लखनऊ
52–आर०के० सिंह पटेल, श्री — चित्रकूट
53–आलम बदी, श्री — आजमगढ़
54–आलोक कुमार शाक्य, श्री — मैनपुरी
55–आशा किशोर, श्रीमती — रायबरेली
56–आशीष यादव, श्री — बदायूं
57–आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री — बदायूं
58–इकबाल महमूद, श्री — मुरादाबाद
59–इन्द्रजीत सरोज, श्री — कौशाम्बी
60–इन्द्रदेव सिंह, डा० — बिजनौर
61–इलम सिंह, श्री — सहारनपुर
62–उदयभान करवरिया, श्री — इलाहाबाद
63–उदयभान सिंह, श्री — वाराणसी

64–उदयराज यादव, श्री उन्नाव
65–उमा किरन, श्रीमती मुजफ्फरनगर
66–उमा शंकर कुशवाहा, श्री गाजीपुर
67–ऊषा वर्मा, श्रीमती हरदोई
68–ओइमवेश, स्वामी बिजनौर
69–ओमकार सिंह यादव, श्री बदायूं
70–ओम प्रकाश गाजीपुर, श्री गाजीपुर
71–ओम प्रकाश, श्री सीतापुर
72–ओम प्रकाश (ओ० पी० सिंह), श्री सुल्तानपुर
73–ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री सुल्तानपुर
74–ओम प्रकाश सिंह, श्री मिर्जापुर
75–ओमवती देवी, श्रीमती बिजनौर
76–कपिल देव यादव, श्री मऊ
77–कमला प्रसाद रावत, श्री बाराबंकी
78–कमलेश कुमार, श्री गोरखपुर
79–कमलेश कुमार पाठक, श्री कानपुर देहात
80–कमाल यूसुफ मलिक, श्री सिद्धार्थनगर
81–कल्याण सिंह, श्री अलीगढ़
82–कल्यान सिंह दोहरे, श्री कन्नौज
83–काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, नवाब रामपुर
84–कामेश्वर उपाध्याय, श्री देवरिया
85–कालीचरन राजभर, श्री गाजीपुर
86–काशी राम, श्री रामपुर
87–किरण पाल कश्यप, श्री मुजफ्फरनगर
88–किरनपाल सिंह, श्री बुलन्दशहर
89–किशन लाल बघेल, सेठ आगरा
90–कुतुबुद्दीन अन्सारी, श्री बिजनौर
91–कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
92–कृष्ण कुमार सिंह उर्फ सतीश वर्मा, श्री हरदोई
93–कृष्णानन्द राय, श्री गाजीपुर
94–कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
95–केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री इलाहाबाद
96–कैलाश, श्री गाजीपुर
97–कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
98–कैलाश नाथ सिंह यादव, श्री वाराणसी
99–कोविद कुमार, श्री शाहजहांपुर
100–कौकब हमीद खां, श्री बागपत
101–कौशल किशोर, श्री खीरी
102–कौशल किशोर, श्री लखनऊ
103–गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री आगरा
104–गंगा बक्श सिंह, डा० उन्नाव
105–गंगा भक्त सिंह, श्री हरदोई
106–गया चरन दिनकर, श्री बांदा
107–गीता सिंह, श्रीमती बलरामपुर
108–गुलाब देवी, श्रीमती मुरादाबाद
109–घनश्याम शुक्ल, श्री गोण्डा
110–घूरा राम, श्री बलिया
111–चन्द्र किशोर, श्री महराजगंज
112–चन्द्रदेव राम यादव, श्री आजमगढ़
113–चन्द्र भद्र सिंह, श्री सुल्तानपुर
114–चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री श्रावस्ती
115–चितरंजन स्वरूप, श्री मुजफ्फरनगर
116–छेदी राम, श्री गाजीपुर
117–छोटे लाल यादव, श्री बाराबंकी
118–छोटे लाल वर्मा, श्री आगरा
*119–जंग बहादुर, श्री सुल्तानपुर
120–जगदम्बिका पाल, श्री बस्ती
121–जगदीश नारायण (राय), श्री जौनपुर
122–जगदीश मिश्र बाल्टी बाबा, श्री कुशीनगर
123–जगदीश सिंह राणा, श्री सहारनपुर
124–जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
125–जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
126–जगराम सिंह, श्री मुरादाबाद
127–जटाशंकर सिंह, श्री बहराइच
128–जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री फर्रुखाबाद
129–जय प्रकाश यादव, श्री गोरखपुर
130–जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
131–जयराम विमल, श्री अम्बेडकर नगर
132–जयवीर सिंह, श्री मैनपुरी
133–जयवीर सिंह, ठाकुर अलीगढ़
134–जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भैया, श्री गोरखपुर
135–जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
136–ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री महराजगंज

137–तेजपाल सिंह, श्री मथुरा
138–दद्दू प्रसाद, श्री चित्रकूट
139–दयाराम, श्री कौशाम्बी
140–दया शंकर वर्मा, श्री जालौन
141–दिनेश सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
142–दीनानाथ कुशवाहा, श्री देवरिया
143–दीनानाथ भाष्कर, श्री सन्त रविदास नगर,भदोही
144–दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री देवरिया
145–दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
146–देवकी नन्दन, श्री हाथरस
147–देव नारायन उर्फ जी०एम० सिंह, श्री गोरखपुर
148–देवेन्द्र नागपाल, श्री ज्योतिबाफूले नगर
149–देवेन्द्र प्रताप, श्री एटा
150–देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
151–द्वारिका प्रसाद, श्री सन्त कबीर नगर
152–धनंजय सिंह, श्री जौनपुर
153–धर्मपाल सिंह, श्री गाजियाबाद
154–धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
155–धर्मराज निषाद, श्री अम्बेडकर नगर
156–धर्म सिंह सैनी, डा० सहारनपुर
157–धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री बरेली
158–धू राम, श्री हमीरपुर
159–नत्थू सिंह, श्री उन्नाव
160–नरेन्द्र कुमार, श्री गौतमबुद्ध नगर
161–नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा० इलाहाबाद
162–नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
163–नरेन्द्र सिंह यादव, श्री फर्रुखाबाद
164–नरेन्द्र सिंह सिसौदिया, श्री गाजियाबाद
165–नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री हरदोई
166–नवाब सिंह नागर, श्री गौतमबुद्ध नगर
167–नारद राय, श्री बलिया
168–पकौड़ी लाल, श्री मिर्जापुर
169–परमेश्वर दयाल, श्री सोनभद्र
170–परागी लाल अहिरवार, श्री झांसी
171–पारस नाथ यादव, श्री जौनपुर
172–पी० के० राय, डा० कुशीनगर
173–पीटर फैन्थम, श्री नाम-निर्देशित
174–पीतम राम, श्री पीलीभीत
175–पूरन सिंह बुन्देला, श्री ललितपुर
176–पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
177–प्रताप चौधरी, श्री हाथरस
178–प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
179–प्रभु दयाल, श्री मेरठ
180–प्रभु नारायण, श्री वाराणसी
181–प्रमोद कुमार, श्री प्रतापगढ़
182–प्रमोद गौड़, श्री अलीगढ़
183–प्रेम पाल सिंह यादव, श्री बदायूं
184–प्रेम लता कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
185–प्रेम सिंह, श्री मथुरा
186–फतेह बहादुर, श्री महराजगंज
187–फसीहा मुराद लारी, श्रीमती देवरिया
188–फागू, श्री मऊ
189–बंशीधर राज, श्री खीरी
190–बलराम यादव, श्री आजमगढ़
191–बादशाह सिंह, श्री हमीरपुर
192–बाबू राम, एम०काम०, श्री जालौन
193–बाबू लाल, श्री गोण्डा
194–बाबू लाल, चौधरी आगरा
195–बाबू लाल कुशवाहा, श्री बांदा
196–बिजय सिंह, श्री फर्रुखाबाद
197–बीजू पटनायक, श्री गाजीपुर
198–बीना भारद्वाज, श्रीमती रामपुर
199–बृजेन्द्र कुमार ब्यास (डमडम महराज), श्री झांसी
200–बृजेन्द्र प्रताप सिंह, कुंवर, एडवोकेट जालौन
201–बैजनाथ पासवान, श्री मऊ
202–बैजनाथ दुबे, श्री गोण्डा
203–ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी, श्री देवरिया
204–भगवत शरन गंगवार, श्री बरेली
205–भगेलू राम, श्री सुल्तानपुर
206–भरत सिंह, श्री बलिया
207–भारतेन्द्र सिंह, कुंवर बिजनौर
208–भूपेन्द्र सिंह, श्री बदायूं
209–मतेश चन्द्र सोनकर, श्री कौशाम्बी
210–मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर

211–मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
212–मदन भैया, श्री बागपत
213–मदन सिंह गौतम उर्फ सन्तोष कुमार, श्री इटावा
214–मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री रायबरेली
215–मलिक मसूद, श्री आजमगढ़
216–मशहूद खां, श्री बलरामपुर
217–मस्तराम चौ०, एडवोकेट उन्नाव
218–महबूब अली, श्री ज्योतिबाफूलेनगर
219–महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा आगरा
220–महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीनबाबू, श्री सीतापुर
221–महेन्द्र सिंह जाटव, चौधरी अलीगढ़
222–महेन्द्र सिंह यादव, श्री बुलन्दशहर
223–महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री इटावा
224–महेश त्रिवेदी, श्री कानपुर देहात
225–महेश नारायण सिंह, श्री इलाहाबाद
226–माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
227–मान पाल सिंह, श्री एटा
228–माया प्रसाद, श्रीमती खीरी
229–रिक्त
230–मिथिलेश कुमार, श्री शाहजहांपुर
231–मुंशीलाल गौतम, श्री बुलन्दशहर
232–मुकुट बिहारी वर्मा, श्री बहराइच
233–मुश्ताक सोलंकी, हाजी कानपुर नगर
234–मूलचन्द्र, श्री बिजनौर
235–मोख्तार अंसारी, श्री मऊ
236–मोहन देव शंखवार, श्री फिरोजाबाद
237–मोहम्मद आकिल उर्फ मुन्ना मियां, श्री मुरादाबाद
238–मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
239–मोहम्मद इरशाद खां, श्री लखनऊ
240—मोहम्मद बशीर, श्री आगरा
241—मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री इलाहाबाद
242—मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
243—मो० शफीर, श्री फतेहपुर
244–यशपाल चौधरी, श्री खीरी
245–यशवन्त सिंह, डा० मुजफ्फरनगर
246–याकूब, हाजी मेरठ
247–योगेन्द्र कुमार, श्री बांदा
248–योगेश प्रताप सिंह उर्फ योगेश भइया, श्री गोण्डा
249–रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भइया, श्री प्रतापगढ़
250–रणवीर राणा, श्री मेरठ
251–रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर कुशीनगर
252–रतन लाल अहिरवार, श्री झांसी
253–रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री कुशीनगर
254–रमेश कान्त लवानिया, श्री आगरा
255–रमेश कुमार शर्मा, श्री झांसी
256–रमेश चन्द बिन्द, डा० मिर्जापुर
257–रविन्द्र पुण्डीर, प्रो० मेरठ
258–राकेश कुमार वर्मा, श्री बाराबंकी
259–राकेश पाण्डेय, श्री अम्बेडकर नगर
260–राकेश सचान, श्री कानपुर देहात
261–राज किशोर सिंह, श्री बस्ती
262–राजपाल त्यागी, श्री गाजियाबाद
263–राजपाल सिंह बालियान, श्री मुजफ्फरनगर
264–राजपाल सिंह सैनी, श्री मुजफ्फरनगर
265–राजरानी रावत, श्रीमती बाराबंकी
266–राजलक्ष्मी वर्मा, श्रीमती बाराबंकी
267–राजवीर सिंह, श्री बुलन्दशहर
268–राजा राम, श्री प्रतापगढ़
279–राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
270–राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री प्रतापगढ़
271–राजेन्द्र प्रसाद यादव, श्री लखनऊ
272–राजेन्द्र सिंह चौहान, श्री एटा
273–राजेन्द्र सिंह राणा, श्री सहारनपुर
274–राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
275–राजेश कुमार, श्री खीरी
276–राधा मोहन दास अग्रवाल, डा० गोरखपुर
277–राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
278–राधेश्याम सिंह, श्री कुशीनगर
279–राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकर नगर

280–राम इकबाल सिंह, श्री बलिया
281–राम करम आर्य, श्री बस्ती
282–राम किशुन, श्री वाराणसी
283–राम कृपाल, श्री इलाहाबाद
284–राम कृष्ण, श्री सीतापुर
285–राम गोविन्द चौधरी, श्री बलिया
286–रामजी शुक्ला, श्री औरैया
287–राम नरेश यादव, श्री आजमगढ़
288–रामनाथ, श्री प्रतापगढ़
289–रामपाल यादव, श्री सीतापुर
290–राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री कन्नौज
291–राम प्रताप सिंह, श्री गोण्डा
292–राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
293–राम बाबू हरित, डा० आगरा
294–राम बिशुन आजाद, श्री गोण्डा
295–राम भुआल निषाद, श्री गोरखपुर
296–राम लाल अकेला, श्री रायबरेली
297–रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
298–रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
299–राम शंकर पाल, श्री उन्नाव
300–राम सेवक, श्री सुल्तानपुर
301–राम स्वरूप सिंह, श्री कानपुर देहात
302–राम स्वरूप सिंह, श्री बिजनौर
303–रामहेत, श्री सीतापुर
304–रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
305–रिजवान अहमद खां, श्री ज्योतिबा फूले नगर
306–रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
307–रेवती रमण सिंह, कुं० इलाहाबाद
308–लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा० मेरठ
309–लल्लू सिंह, श्री फैजाबाद
310–लालजी टण्डन, श्री लखनऊ
311–लाल जी वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
312–लाल बहादुर यादव, श्री जौनपुर
313–लुईस खुर्शीद, श्रीमती फर्रुखाबाद
314–वकार अहमद शाह, डा० बहराइच
315–वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
316–विजया यादव, श्रीमती इलाहाबाद
317–विजय कुमार मिश्रा, श्री सन्त रविदासनगर, भदोही
318–विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
319–विजय सिंह, श्री सोनभद्र
320–विजेन्द्र सिंह, श्री हाथरस
321–विद्या चौधरी, श्रीमती आजमगढ़
322–विद्या सागर गुप्ता, श्री लखनऊ
323–विनय शाक्य, श्री औरैया
324–विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री गोण्डा
325–विनोद कुमार यादव कक्का, श्री इटावा
326–विनोद कुमार सिंह, श्री जौनपुर
327–विनोद तिवारी, डा० पीलीभीत
328–विमल कृष्ण अग्रवाल, श्री बदायूं
329–विवेक बंसल, श्री अलीगढ़
330–विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री बांदा
331–विश्राम सिंह यादव, श्री हरदोई
332–वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना", श्री शाहजहांपुर
333–वीरेन्द्र सिंह गंगवार, श्री बरेली
334–वीरेन्द्र सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
**335–वीरेन्द्र सिंह, श्री वाराणसी
336–वीरेन्द्र सिंह बुन्देला 'भगत राजा', श्री ललितपुर
337–वीरेश्वर, श्री अलीगढ़
338–वेदराम भाटी, श्री बुलन्दशहर
339–शंख लाल मांझी, श्री सन्त कबीर नगर
340–शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री सन्त रविदास नगर, भदोही
341–शब्बीर, श्री बहराइच
342–शमीमुल हक, श्री मुरादाबाद
343–शरदवीर सिंह, श्री शाहजहांपुर
344–शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
345–शाकिर अली, श्री देवरिया
346–शारदा देवी, श्रीमती गोरखपुर
347–शारदा नन्द अंचल, श्री बलिया
348–शारदा प्रसाद, श्री चन्दौली
349–शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
350–शिव कुमार बेरिया, श्री कानपुर देहात
351–शिव चरन, श्री हमीरपुर

352–शिव तपस्या पासवान, श्री चन्दौली
353–शिव पाल सिंह यादव, श्री इटावा
354–शिव प्रताप यादव, डा० बलरामपुर
355–शिवाकान्त ओझा, प्रोफेसर प्रतापगढ़
356–शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्रीमहराजगंज
357–शिशुपाल सिंह यादव, श्री एटा
358–शैलेन्द्र यादव "ललई", श्री जौनपुर
359–श्याम सिंह अहेरिया, श्री मथुरा
360–श्याम देव राय चौधरी, श्री वाराणसी
361–श्याम नारायन, श्री महराजगंज
362–श्याम लाल रावत, श्री सीतापुर
363–श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
364–श्याम सूरत उपाध्याय, श्री इलाहाबाद
365–संजय गर्ग, श्री सहारनपुर
366–संजीव दरियाबादी, श्री कानपुर नगर
367–संदीप अग्रवाल, श्री मुरादाबाद
368–सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
369–सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
370–सदल प्रसाद, श्री गोरखपुर
371–सत्य नारायण, श्री हरदोई
372–सन्ध्या कठेरिया, कु० मैनपुरी
373–समरपाल सिंह, श्री बागपत
374–सर्वेश कुमार उर्फ राकेश कुमार, कुंवर मुरादाबाद
375–सलिल विशनोई, श्री कानपुर नगर
376–सिद्ध गोपाल साहू, श्री महोबा
377–सियाराम सागर, डा० बरेली
378–सीताराम निषाद, श्री फैजाबाद
379–सुखदेव राजभर, श्री आजमगढ़
380–सुख देवी वर्मा, श्रीमती इटावा
381–सुन्दर लाल, श्री उन्नाव
382–सुन्दर सिंह, श्री बुलन्दशहर
383–सुरेन्द्र पाल वर्मा, डा० बांदा
384–सुरेन्द्र प्रकाश गोयल, श्री गाजियाबाद
385–सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री जौनपुर
386–सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री रायबरेली
387–सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
388–सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
389–सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री लखनऊ
390–सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री लखनऊ
391–सुल्तान बेग, श्री बरेली
392–सुशील चौधरी, डा० सहारनपुर
393–सूरज सिंह शाक्य, श्री एटा
394–सोमारू राम सरोज, श्री जौनपुर
395–सोवरन सिंह, श्री मैनपुरी
396–स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री रायबरेली
397–हरि ओम यादव, श्री फिरोजाबाद
398–हरि प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
399–हरिशंकर तिवारी, श्री गोरखपुर
400–हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी", श्री वाराणसी
401–हीरा लाल गौतम, श्री आजमगढ़
402–हुकुम सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
403–होशियार सिंह, श्री बुलन्दशहर
404–रिक्त

## महामहिम राज्यपाल
## श्री विष्णुकान्त शास्त्री
## मंत्रि-परिषद्

मंत्री

| क्र०सं० | नाम | कार्य विभाग (पोर्ट फोलियो) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | श्री मुलायम सिंह यादव | सामान्य प्रशासन, सचिवालय प्रशासन, प्रशासनिक सुधार, गृह, गोपन, सतर्कता, नियुक्ति, कार्मिक, सूचना, निर्वाचन, वित्त, कर एवं निबन्धन (व्यापार कर), न्याय, विधायी, औद्योगिक विकास, नियोजन, प्रोटोकाल, नागरिक उड्डयन, राज्य सम्पत्ति, सहकारिता, आबकारी, ऊर्जा, प्राविधिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा (आयुर्वेद एवं होम्योपैथिक चिकित्सा को छोड़कर), वन, आवास एवं शहरी नियोजन, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, महिला कल्याण, भाषा, अम्बेडकर ग्राम विकास, नागरिक सुरक्षा, धर्मार्थ कार्य तथा उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय। |
| 2 | श्री मोहम्मद आजम खाँ | संसदीय कार्य, नगर विकास |
| 3 | श्री शिवपाल सिंह | कृषि, कृषि शिक्षा |
| 4 | श्रीमती कुसुम राय | लोक निर्माण |
| 5 | श्रीमती अनुराधा चौधरी | सिंचाई |
| 6 | श्री कौकब हमीद | ग्रमीण अभियंत्रण सेवा |
| 7 | श्री राजवीर सिंह | स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, आयुर्वेद एवं होम्योपैथिक चिकित्सा |
| 8 | श्री कुँवर रेवती रमण सिंह | परिवहन |
| 9 | श्री अहमद हसन | परिवार कल्याण |
| 10 | श्री भगवती सिंह | वाह्य सहायतित परियोजना |
| 11 | श्री बलराम यादव | पंचायती राज |
| 12 | श्री अवधेश प्रसाद | समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण |
| 13 | श्री नरेश अग्रवाल | पर्यटन |
| 14 | डा० अशोक बाजपेयी | खाद्य एवं रसद |
| 15 | श्री किरन पाल सिंह | बेसिक शिक्षा |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 16 | श्री अम्बिका चौधरी | राजस्व |
| 17 | श्री हरिशंकर तिवारी | स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क, मनोरंजन कर |
| 18 | श्री पारसनाथ यादव | सार्वजनिक उद्यम, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत |
| 19 | श्री राम गोविन्द चौधरी | बाल विकास एवं पुष्टाहार |
| 20 | श्री शाकिर अली | लघु सिंचाई, मुस्लिम वक्फ |
| 21 | श्री माता प्रसाद पाण्डेय | श्रम |
| 22 | श्री विशम्भर प्रसाद निषाद | भूतत्व एवं खनिकर्म |
| 23 | श्री आर० के० चौधरी | खेलकूद, युवा कल्याण |
| 24 | श्री राजा राम पाण्डेय | खादी एवं ग्रामोद्योग |
| 25 | श्री ओम प्रकाश सिंह | भूमि विकास एवं जल संसाधन, परती भूमि विकास |
| 26 | श्री बीरेन्द्र सिंह | पशुधन |
| 27 | श्री राज किशोर सिंह | उद्यान |
| 28 | श्री राम प्यारे सिंह | पर्यावरण |
| 29 | श्री जगदीश सिंह राणा | लघु उद्योग, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग |
| 30 | श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी | होमगार्ड्स, सैनिक कल्याण, प्रान्तीय रक्षा दल |
| 31 | श्री राकेश कुमार वर्मा | कारागार |

## राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार)

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 1 | श्री कामेश्वर उपाध्याय | दुग्ध विकास |
| 2 | श्री दिनेश सिंह | बैंकिंग |
| 3 | श्री बाबू लाल | खाद्य प्रसंस्करण एवं राजनैतिक पेंशन |
| 4 | श्री महबूब अली | पिछड़ा वर्ग कल्याण |
| 5 | श्री राजपाल त्यागी | ग्राम्य विकास |
| 6 | श्री वीरेन्द्र सिंह | संस्कृति |
| 7 | श्री वीरेन्द्र सिंह बुन्देला | कार्यक्रम कार्यान्वयन, राष्ट्रीय एकीकरण |
| 8 | श्री शंखलाल मांझी | मत्स्य |
| 9 | श्री श्याम नारायन | विकलांग कल्याण |
| 10 | श्री हाजी याकूब | अल्पसंख्यक, हज |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

## राज्य मंत्री

| क्रम-संख्या | नाम | कार्य विभाग (पोर्ट फोलियो) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | श्री अजीत कुमार सजू | बेसिक शिक्षा |
| 2 | श्री अताउल रहमान | श्रम |
| 3 | श्री अंसार अहमद | पशुधन |
| 4 | श्री अरविन्द कुमार सिंह गोप | लोक निर्माण |
| 5 | श्री इकबाल महबूब | राजस्व |
| 6 | श्रीमती ऊषा वर्मा चौधरी | बाल विकास एवं पुष्टाहार |
| 7 | श्री कुतुबुद्दीन अंसारी | होमगार्ड्स, सैनिक कल्याण (पी०आर०डी०) |
| 8 | श्री कैलाश | राजस्व |
| 9 | श्री कौशल किशोर | श्रम |
| 10 | श्री गंगा प्रसाद पुष्कर | कृषि |
| 11 | श्री चितरंजन स्वरूप | कर एवं निबन्धन (व्यापार कर) |
| 12 | श्री जगराम सिंह | परिवार कल्याण |
| 13 | श्री जयवीर सिंह | स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक चिकित्सा |
| 14 | श्री तेजपाल सिंह | सिंचाई |
| 15 | श्री दीनानाथ भास्कर | ग्रामीण अभियंत्रण |
| 16 | श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र | नियोजन, अर्थ एवं संख्या |
| 17 | श्री धर्मेन्द्र कुमार कश्यप | उद्यान |
| 18 | श्री नारद राय | नगर विकास |
| 19 | श्री प्रभूदयाल बाल्मीकि | लघु उद्योग, वस्त्र उद्योग एवं रेशम |
| 20 | श्री बनवारी सिंह यादव | प्रोटोकाल, नागरिक उड्डयन एवं राज्य सम्पत्ति |
| 21 | श्री बंशीधर राज | परिवहन |
| 22 | श्री भगवतशरन गंगवार | स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक चिकित्सा |
| 23 | श्री मतेश चन्द्र सोनकर | खादी एवं ग्रामोद्योग |
| 24 | श्री मानपाल सिंह | माध्यमिक शिक्षा |
| 25 | श्री कमाल यूसुफ मलिक | भूतत्व एवं खनिकर्म |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 26 | श्री महेश त्रिवेदी | स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क तथा मनोरंजन कर |
| 27 | श्री मो० बशीर | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी |
| 28 | श्री मिथिलेश कुमार | पंचायती राज |
| 29 | श्री मूल चन्द्र | पंचायती राज |
| 30 | श्री यशपाल चौधरी | लघु सिंचाई |
| 31 | श्री योगेश प्रताप सिंह | सिंचाई |
| 32 | श्री राजेन्द्र सिंह | पर्यावरण |
| 33 | श्री राजेन्द्र सिंह राना | परिवहन |
| 34 | श्री राम करन आर्य | प्राविधिक शिक्षा |
| 35 | श्री राम कृष्ण | कारागार |
| 36 | श्री राम भुआल निषाद | कारागार |
| 37 | श्री राम स्वरूप सिंह | पंचायती राज |
| 38 | श्री राम आसरे विश्वकर्मा | उच्च शिक्षा |
| 39 | श्री विजय सिंह | परिवार कल्याण |
| 40 | श्री विनोद कुमार सिंह | चिकित्सा शिक्षा |
| 41 | श्री विमल कृष्ण अग्रवाल | वित्त |
| 42 | श्री सिद्ध गोपाल साहू | भूतत्व एवं खनिकर्म |
| 43 | श्री सीताराम निषाद | न्याय एवं विधायी |
| 44 | श्री सूरज सिंह शाक्य | खाद्य एवं रसद |
| 45 | श्री श्याम लाल रावत | वित्त |
| 46 | श्री शारदानन्द अंचल | सहकारिता |
| 47 | श्री शाहिद मंजूर | बेसिक शिक्षा |
| 48 | श्री शैलेन्द्र यादव | समाज कल्याण, अनुसूचित जाति तथा जनजाति कल्याण |
| 49 | श्री शिव प्रताप यादव | कृषि |
| 50 | श्री स्वामी ओमवेश | गन्ना विकास |
| 51 | श्री संजय गर्ग | लोक निर्माण |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 52 | श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह | खाद्य एवं रसद |
| 53 | श्रीमती उमा किरन | समाज कल्याण, अनुसूचित जाति तथा जनजाति कल्याण |
| 54 | श्री धर्मपाल | पर्यटन |
| 55 | श्री जय प्रकाश यादव | माध्यमिक शिक्षा |
| 56 | श्री विनोद कुमार यादव | परिवार कल्याण |

नेता विरोधी दल
श्री लालजी टण्डन

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

## उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी

**अध्यक्ष**

**श्री केशरी नाथ त्रिपाठी**

**उपाध्यक्ष**

रिक्त

**प्रमुख सचिव**

श्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय

## अधिष्ठाता मण्डल

1–डॉ० लक्ष्मीकान्त बाजेपयी, सदस्य, विधान सभा (मेरठ)

2–डॉ० राम बाबू हरित, सदस्य, विधान सभा (आगरा)

3–श्री गया चरण दिनकर, सदस्य, विधान सभा (बांदा)

4–श्री भगेलू राम, सदस्य, विधान सभा (सुल्तानपुर)

5–श्री दद्दू प्रसाद, सदस्य, विधान सभा (चित्रकूट)

6–श्री श्याम सूरत उपाध्याय, सदस्य, विधान सभा (इलाहाबाद)

7–डॉ० वकार अहमद शाह, सदस्य, विधान सभा (बहराइच)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

## चौदहवीं विधान सभा

सोमवार, दिनांक 10 नवम्बर, 2003 ई०

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

**उपस्थित सदस्य—337**

| | |
|---|---|
| अकीलुर्रहमान खां, श्री | मुरादाबाद |
| अक्षयवर लाल, श्री | बहराइच |
| अखिलेश कुमार सिंह, श्री | रायबरेली |
| अजीत कुमार उर्फ राजू, श्री | बदायूं |
| अजीम भाई, श्री | फिरोजाबाद |
| अताउल रहमान, श्री | बरेली |
| अतीक अहमद, श्री | इलाहाबाद |
| अनवर महमूद, श्री | बलरामपुर |
| अनार सिंह दिवाकर, श्री | एटा |
| अनिल कुमार, श्री | बुलन्दशहर |
| अनिल कुमार पाण्डेय, श्री | सुल्तानपुर |
| अनिल कुमार मौर्य, श्री | मिर्जापुर |
| अनिल कुमार वर्मा, श्री | सीतापुर |
| अनिल कुमार पासवान, श्री | हरदोई |
| अनिल कुमार सिंह यादव, श्री | एटा |
| अनिल सिंह, श्री | सिद्धार्थनगर |
| अनीस अहमद खां उर्फ फूलबाबू, श्री | पीलीभीत |
| अनुग्रह नारायण उर्फ खोखा सिंह, श्री | देवरिया |
| अनुराधा चौधरी, श्रीमती | मुजफ्फरनगर |
| अनूप कुमार पाण्डेय, श्री | बस्ती |
| अन्सार अहमद, श्री | इलाहाबाद |
| अब्दुल कलाम, श्री | वाराणसी |
| अब्दुल कलाम, श्री | संत कबीर नगर |
| अब्बास अली जैदी उर्फ रुशदी मियां, श्री | बाराबंकी |
| अमरजीत सिंह जनसेवक, श्री | फतेहपुर |
| अमरमणि, श्री | महराजगंज |
| अमर सिंह यादव पुत्र श्री सुन्दर सिंह, श्री | हाथरस |
| अमिता सिंह, श्रीमती | सुल्तानपुर |
| अम्बिका चौधरी, श्री | बलिया |
| अम्बेश कुमारी, श्रीमती | महोबा |
| अयोध्या प्रसाद पाल, श्री | फतेहपुर |
| अरविन्द गिरि, श्री | खीरी |
| अरविन्द कुमार सिंह उर्फ गोप, श्री | बाराबंकी |
| अरुण कुमार मेहरोत्रा, डा० | जालौन |
| अरुण कुमारी, श्रीमती | कानपुर देहात |
| अरुणवीर सिंह, श्री | बहराइच |
| अरुणा तोमर, श्रीमती | कानपुर नगर |
| अवधेश कुमार वर्मा, श्री | शाहजहांपुर |
| अवधेश प्रसाद, श्री | फैजाबाद |
| अशोक कुमार कटियार, श्री | कानपुर देहात |
| अशोक बाजपेयी, डा० | हरदोई |
| अशोक सिंह चौहान, श्री | मैनपुरी |
| आदित्य विक्रम सिंह (बोकू सिंह), श्री | सिद्धार्थनगर |
| आनन्द प्रकाश लोधी, श्री | फतेहपुर |
| आनन्द सेन, श्री | फैजाबाद |
| आर०एस० कुशवाहा, श्री | खीरी |
| आर० के० चौधरी, श्री | लखनऊ |
| आर०के० सिंह पटेल, श्री | चित्रकूट |
| आलम बदी, श्री | आजमगढ़ |
| आलोक कुमार शाक्य, श्री | मैनपुरी |
| आशा किशोर, श्रीमती | रायबरेली |
| आशीष यादव, श्री | बदायूं |
| आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री | बदायूं |
| इकबाल महमूद, श्री | मुरादाबाद |
| इन्द्रजीत सरोज, श्री | कौशाम्बी |
| इन्द्रदेव सिंह, डा० | बिजनौर |
| इलम सिंह, श्री | सहारनपुर |
| उदयराज यादव, श्री | उन्नाव |
| उमा किरन, श्रीमती | मुजफ्फरनगर |
| उमा शंकर कुशवाहा, श्री | गाजीपुर |

| | |
|---|---|
| ऊषा वर्मा, श्रीमती | हरदोई |
| ओमकार सिंह यादव, श्री | बदायूं |
| ओम प्रकाश गाजीपुर, श्री | गाजीपुर |
| ओम प्रकाश (ओ० पी० सिंह), श्री | सुल्तानपुर |
| ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री | सुल्तानपुर |
| ओम प्रकाश सिंह, श्री | मिर्जापुर |
| कपिल देव यादव, श्री | मऊ |
| कमाल यूसुफ मलिक, श्री | सिद्धार्थनगर |
| कल्यान सिंह दोहरे, श्री | कन्नौज |
| काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, नवाब | रामपुर |
| कामेश्वर उपाध्याय, श्री | देवरिया |
| काशी राम, श्री | रामपुर |
| किरण पाल कश्यप, श्री | मुजफ्फरनगर |
| किरनपाल सिंह, श्री | बुलन्दशहर |
| किशन लाल बघेल, सेठ | आगरा |
| कुतुबुद्दीन अन्सारी, श्री | बिजनौर |
| कुलदीप सिंह सेंगर, श्री | उन्नाव |
| कृष्ण कुमार सिंह उर्फ सतीश वर्मा, श्री | हरदोई |
| कृष्णानन्द राय, श्री | गाजीपुर |
| कृष्णा पासवान, श्रीमती | फतेहपुर |
| केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री | इलाहाबाद |
| कैलाश, श्री | गाजीपुर |
| कैलाश चौरसिया, श्री | मिर्जापुर |
| कोविद कुमार, श्री | शाहजहांपुर |
| कौकब हमीद खां, श्री | बागपत |
| कौशल किशोर, श्री | खीरी |
| कौशल किशोर, श्री | लखनऊ |
| गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री | आगरा |
| गंगा बक्श सिंह, डा० | उन्नाव |
| गुलाब देवी, श्रीमती | मुरादाबाद |
| घनश्याम शुक्ल, श्री | गोण्डा |
| घूरा राम, श्री | बलिया |
| चन्द्र किशोर, श्री | महराजगंज |
| चन्द्रदेव राम यादव, श्री | आजमगढ़ |
| चन्द्र भद्र सिंह, श्री | सुल्तानपुर |
| चितरंजन स्वरूप, श्री | मुजफ्फरनगर |
| छेदी राम, श्री | गाजीपुर |
| छोटे लाल यादव, श्री | बाराबंकी |
| छोटे लाल वर्मा, श्री | आगरा |
| –जंग बहादुर, श्री | सुल्तानपुर |
| जगदम्बिका पाल, श्री | बस्ती |
| जगदीश नारायण (राय), श्री | जौनपुर |
| जगदीश मिश्र बाल्टी बाबा, श्री | कुशीनगर |
| जगदीश सिंह राणा, श्री | सहारनपुर |
| जगदीश सोनकर, श्री | जौनपुर |
| जगन प्रसाद गर्ग, श्री | आगरा |
| जगराम सिंह, श्री | मुरादाबाद |
| जटाशंकर सिंह, श्री | बहराइच |
| जय प्रकाश यादव, श्री | गोरखपुर |
| जय प्रताप सिंह, श्री | सिद्धार्थनगर |
| जयवीर सिंह, श्री | मैनपुरी |
| जयवीर सिंह, ठाकुर | अलीगढ़ |
| जियाउद्दीन रिजवी, श्री | बलिया |
| ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री | महराजगंज |
| तेजपाल सिंह, श्री | मथुरा |
| दया शंकर वर्मा, श्री | जालौन |
| दिनेश सिंह, श्री | सिद्धार्थनगर |
| दीनानाथ कुशवाहा, श्री | देवरिया |
| दीनानाथ भाष्कर, श्री | सन्त रविदासनगर, भदोही |
| दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री | देवरिया |
| दुर्गा प्रसाद यादव, श्री | आजमगढ़ |
| देवकी नन्दन, श्री | हाथरस |
| देवेन्द्र नागपाल, श्री | ज्योतिबाफूले नगर |
| देवेन्द्र प्रताप, श्री | एटा |
| देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री | रायबरेली |
| द्वारिका प्रसाद, श्री | सन्त कबीर नगर |
| धर्मपाल सिंह, श्री | गाजियाबाद |
| धर्मपाल सिंह, श्री | बरेली |
| धर्म सिंह सैनी, डा० | सहारनपुर |
| धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री | बरेली |
| धू राम, श्री | हमीरपुर |
| नत्थू सिंह, श्री | उन्नाव |
| नरेन्द्र कुमार, श्री | गौतमबुद्ध नगर |
| नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा० | इलाहाबाद |
| नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री | सीतापुर |
| नरेन्द्र सिंह सिसौदिया, श्री | गाजियाबाद |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

| | |
|---|---|
| नवाब सिंह नागर, श्री | गौतमबुद्ध नगर |
| नारद राय, श्री | बलिया |
| पकौड़ी लाल, श्री | मिर्जापुर |
| परमेश्वर दयाल, श्री | सोनभद्र |
| परागी लाल अहिरवार, श्री | झांसी |
| पारस नाथ यादव, श्री | जौनपुर |
| पी० के० राय, डा० | कुशीनगर |
| पीटर फैन्थम, श्री | नाम-निर्देशित |
| पीतम राम, श्री | पीलीभीत |
| पूर्णमासी देहाती, श्री | कुशीनगर |
| प्रताप चौधरी, श्री | हाथरस |
| प्रदीप माथुर, श्री | मथुरा |
| प्रभु दयाल, श्री | मेरठ |
| प्रभु नारायण, श्री | वाराणसी |
| प्रमोद कुमार, श्री | प्रतापगढ़ |
| प्रमोद गौड़, श्री | अलीगढ़ |
| प्रेम पाल सिंह यादव, श्री | बदायूं |
| प्रेम लता कटियार, श्रीमती | कानपुर नगर |
| फसीहा लारी, बशीर चौधरी श्रीमती | देवरिया |
| बंशीधर राज, श्री | खीरी |
| बलराम यादव, श्री | आजमगढ़ |
| बाबू राम, एम०काम०, श्री | जालौन |
| बाबू लाल, श्री | गोण्डा |
| बाबू लाल, चौधरी | आगरा |
| बाबू लाल कुशवाहा, श्री | बांदा |
| बीजू पटनायक, श्री | गाजीपुर |
| बीना भारद्वाज, श्रीमती | रामपुर |
| बृजेन्द्र कुमार ब्यास (डमडम महराज), श्री | झांसी |
| बृजेन्द्र प्रताप सिंह, कुंवर, एडवोकेट | जालौन |
| बैजनाथ पासवान, श्री | मऊ |
| बैजनाथ दुबे, श्री | गोण्डा |
| ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी, श्री | देवरिया |
| भगवत शरन गंगवार, श्री | बरेली |
| भरत सिंह, श्री | बलिया |
| भारतेन्द्र सिंह, कुंवर | बिजनौर |
| भूपेन्द्र सिंह, श्री | बदायूं |
| मतेश चन्द्र सोनकर, श्री | कौशाम्बी |
| मदन गोपाल वर्मा, श्री | फतेहपुर |
| मदन चौहान, श्री | गाजियाबाद |
| मदन भैया, श्री | बागपत |
| मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री | रायबरेली |
| मलिक मसूद, श्री | आजमगढ़ |
| मशहूद खां, श्री | बलरामपुर |
| मस्तराम चौ०, एडवोकेट | उन्नाव |
| महबूब अली, श्री | ज्योतिबाफूलेनगर |
| महेन्द्र सिंह जाटव, चौधरी | अलीगढ़ |
| महेन्द्र सिंह यादव, श्री | बुलन्दशहर |
| महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री | इटावा |
| महेश त्रिवेदी, श्री | कानपुर देहात |
| महेश नारायण सिंह, श्री | इलाहाबाद |
| माता प्रसाद पाण्डेय, श्री | सिद्धार्थनगर |
| मान पाल सिंह, श्री | एटा |
| मिथिलेश कुमार, श्री | शाहजहांपुर |
| मुंशीलाल गौतम, श्री | बुलन्दशहर |
| मुकुट बिहारी वर्मा, श्री | बहराइच |
| मुश्ताक सोलंकी, हाजी | कानपुर नगर |
| मूलचन्द्र, श्री | बिजनौर |
| मोहन देव शंखवार, श्री | फिरोजाबाद |
| मोहम्मद आकिल उर्फ मुन्ना मियां, श्री | मुरादाबाद |
| मोहम्मद आजम खां, श्री | रामपुर |
| मोहम्मद बशीर, चौधरी | आगरा |
| मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री | इलाहाबाद |
| मोहम्मद रिजवान, श्री | मुरादाबाद |
| मो० शफीर, श्री | फतेहपुर |
| यशपाल चौधरी, श्री | खीरी |
| यशवन्त सिंह, डा० | मुजफ्फरनगर |
| याकूब, हाजी | मेरठ |
| योगेन्द्र कुमार, श्री | बदायूं |
| योगेश प्रताप सिंह उर्फ योगेश भइया, श्री | गोण्डा |
| रणवीर राणा, श्री | मेरठ |
| रतन लाल अहिरवार, श्री | झांसी |
| रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री | कुशीनगर |
| रमेश कान्त लवानिया, श्री | आगरा |
| रमेश चन्द बिन्द, डा० | मिर्जापुर |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

| | |
|---|---|
| रविन्द्र पुण्डीर, प्रो० | मेरठ |
| राकेश कुमार वर्मा, श्री | बाराबंकी |
| राकेश पाण्डेय, श्री | अम्बेडकर नगर |
| राकेश सचान, श्री | कानपुर देहात |
| राज किशोर सिंह, श्री | बस्ती |
| राजपाल त्यागी, श्री | गाजियाबाद |
| राजपाल सिंह बालियान, श्री | मुजफ्फरनगर |
| राजपाल सिंह सैनी, श्री | मुजफ्फरनगर |
| राजरानी रावत, श्रीमती | बाराबंकी |
| राजलक्ष्मी वर्मा, श्रीमती | बाराबंकी |
| राजवीर सिंह, श्री | बुलन्दशहर |
| राजा राम, श्री | प्रतापगढ़ |
| राजीव कुमार सिंह, श्री | बाराबंकी |
| राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री | प्रतापगढ़ |
| राजेन्द्र प्रसाद यादव, श्री | लखनऊ |
| राजेन्द्र सिंह चौहान, श्री | एटा |
| राजेन्द्र सिंह राणा, श्री | सहारनपुर |
| राजेश कुमार, श्री | खीरी |
| राधेश्याम जायसवाल, श्री | सीतापुर |
| राधेश्याम सिंह, श्री | कुशीनगर |
| राम इकबाल सिंह, श्री | बलिया |
| राम करन आर्य, श्री | बस्ती |
| राम किशुन, श्री | वाराणसी |
| राम कृष्ण, श्री | सीतापुर |
| राम गोविन्द चौधरी, श्री | बलिया |
| रामपाल यादव, श्री | सीतापुर |
| राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री | कन्नौज |
| राम प्रसाद चौधरी, श्री | बस्ती |
| राम बाबू हरित, डा० | आगरा |
| राम बिशुन आजाद, श्री | गोण्डा |
| राम भुआल निषाद, श्री | गोरखपुर |
| राम लाल अकेला, श्री | रायबरेली |
| रामवीर सिंह, श्री | फिरोजाबाद |
| राम शंकर पाल, श्री | उन्नाव |
| राम सेवक, श्री | सुल्तानपुर |
| राम स्वरूप सिंह, श्री | कानपुर देहात |
| राम स्वरूप सिंह, श्री | बिजनौर |
| रामेश्वर सिंह यादव, श्री | एटा |
| रिजवान अहमद सा, श्री | ज्योतिबा फूले नगर |
| रियाज अहमद, श्री | पीलीभीत |
| रेवती रमण सिंह, कुं० | इलाहाबाद |
| लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा० | मेरठ |
| लल्लू सिंह, श्री | फैजाबाद |
| लालजी टण्डन, श्री | लखनऊ |
| लाल बहादुर यादव, श्री | जौनपुर |
| लुईस खुर्शीद, श्रीमती | फर्रुखाबाद |
| वकार अहमद शाह, डा० | बहराइच |
| वसीम अहमद, श्री | आजमगढ़ |
| विजमा यादव, श्रीमती | इलाहाबाद |
| विजय बहादुर पाल, श्री | कन्नौज |
| विजय सिंह, श्री | सोनभद्र |
| विजेन्द्र सिंह, श्री | हाथरस |
| विद्या चौधरी, श्रीमती | आजमगढ़ |
| विद्या सागर गुप्ता, श्री | लखनऊ |
| विनय शाक्य, श्री | औरैया |
| विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री | गोण्डा |
| विनोद कुमार यादव कक्का, श्री | इटावा |
| विनोद तिवारी, डा० | पीलीभीत |
| विमल कृष्ण अग्रवाल, श्री | बदायूं |
| विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री | बांदा |
| विश्राम सिंह यादव, श्री | हरदोई |
| वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना", श्री | शाहजहांपुर |
| वीरेन्द्र सिंह गंगवार, श्री | बरेली |
| वीरेन्द्र सिंह, श्री | मुजफ्फरनगर |
| वीरेन्द्र सिंह, श्री | वाराणसी |
| वीरेन्द्र सिंह बुन्देला 'भगत राजा', श्री | ललितपुर |
| वीरेश्वर, श्री | अलीगढ़ |
| वेदराम भाटी, श्री | बुलन्दशहर |
| शंख लाल मांझी, श्री | सन्त कबीर नगर |
| शचीन्द्रनाथ त्रिपाठी, श्री | सन्त रविदास नगर, भदोही |
| शमीमुल हक, श्री | मुरादाबाद |
| शरदवीर सिंह, श्री | शाहजहांपुर |
| शहजिल इस्लाम, श्री | बरेली |
| शाकिर अली, श्री | देवरिया |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

| | |
|---|---|
| शारदा देवी, श्रीमती | गोरखपुर |
| शारदा नन्द अंचल, श्री | बलिया |
| शाहिद मंजूर, श्री | मेरठ |
| शिव कुमार बेरिया, श्री | कानपुर देहात |
| शिव चरन, श्री | हमीरपुर |
| शिव तपस्या पासवान, श्री | चन्दौली |
| शिव पाल सिंह यादव, श्री | इटावा |
| शिव प्रताप यादव, डा० | बलरामपुर |
| शिवाकान्त ओझा, प्रोफेसर | प्रतापगढ़ |
| शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री | महराजगंज |
| शिशुपाल सिंह यादव, श्री | एटा |
| शैलेन्द्र यादव "ललई", श्री | जौनपुर |
| श्याम सिंह अहेरिया, श्री | मथुरा |
| श्याम देव राय चौधरी, श्री | वाराणसी |
| श्याम नारायन, श्री | महराजगंज |
| श्याम लाल रावत, श्री | सीतापुर |
| श्याम सूरत उपाध्याय, श्री | इलाहाबाद |
| संजय गर्ग, श्री | सहारनपुर |
| संजीव दरियाबादी, श्री | कानपुर नगर |
| संदीप अग्रवाल, श्री | मुरादाबाद |
| सतीश महाना, श्री | कानपुर नगर |
| सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री | मेरठ |
| सत्य नारायण, श्री | हरदोई |
| सन्ध्या कठेरिया, कु० | मैनपुरी |
| समरपाल सिंह, श्री | बागपत |
| सर्वेश कुमार उर्फ राकेश कुमार, कुं० | मुरादाबाद |
| सलिल विशनोई, श्री | कानपुर नगर |
| सिद्ध गोपाल साहू, श्री | महोबा |
| सियाराम सागर, डा० | बरेली |
| सीताराम निषाद, श्री | फैजाबाद |
| सुखदेव राजभर, श्री | आजमगढ़ |
| सुख देवी वर्मा, श्रीमती | इटावा |
| सुन्दर लाल, श्री | उन्नाव |
| सुन्दर सिंह, श्री | बुलन्दशहर |
| सुरेन्द्र प्रकाश गोयल, श्री | गाजियाबाद |
| सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री | जौनपुर |
| सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री | रायबरेली |
| सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री | वाराणसी |
| सुरेश कुमार खन्ना, श्री | शाहजहांपुर |
| सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री | लखनऊ |
| सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री | लखनऊ |
| सुल्तान बेग, श्री | बरेली |
| सूरज सिंह शाक्य, श्री | एटा |
| सोमारू राम सरोज, श्री | जौनपुर |
| सोवरन सिंह, श्री | मैनपुरी |
| स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री | रायबरेली |
| हरि ओम यादव, श्री | फिरोजाबाद |
| हरि प्रताप सिंह, श्री | प्रतापगढ़ |
| हरिशंकर तिवारी, श्री | गोरखपुर |
| हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी", श्री | वाराणसी |
| हीरा लाल गौतम, श्री | आजमगढ़ |
| हुकुम सिंह, श्री | मुजफ्फरनगर |
| होशियार सिंह, श्री | बुलन्दशहर |

नोट :–(i) मुख्य मंत्री, श्री मुलायम सिंह यादव,

(ii) श्री बनवारी सिंह यादव, प्रोटोकाल, नागरिक उड्डयन एवं राज्य सम्पत्ति विभाग,

(iiii) श्री राम आसरे विश्वकर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री भी सदन में उपस्थित थे ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 10 नवम्बर, 2003

## राष्ट्रीय–गीत

श्री अध्यक्ष–

विधान सभा के आज से प्रारम्भ होने वाले सत्र में आप सभी माननीय सदस्यों का स्वागत है । इसका प्रारम्भ बन्दे मातरम् से करते हैं ।

**वन्दे मातरम्**

**बन्दे मातरम् । वन्दे मातरम् ।।**

**सुजलाम ।**

**सुफलाम् ।**

**मलयज शीतलाम् ।**

**शस्य श्यामलाम् ।**

**मातरम् । वन्दे मातरम् ।।**

**शुभ्र ज्योत्सना–पुलकित–यामिनीम्**

**फुल्ल–कुसुमित-द्रुमदल–शोभिनीम्**

**सुहासिनीम्**

**सुमधुर भाषिणीम्**

**सुखदाम्**

**वरदाम्**

**मातरम् । वन्दे मातरम् ।।**

**प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब होने से उत्पन्न स्थिति विषयक सूचना को सर्वप्रथम लिए जाने की मांग**

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

अध्यक्ष जी आज पूरे प्रदेश में साम्प्रदायिकता का माहौल है । पूरे प्रदेश में कोहराम मचा हुआ है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया बैठ जाइये ।

(विपक्ष के कई सदस्य अपने स्थान पर खड़े हो गये जिससे सदन में व्यवधान उत्पन्न हो गया ।)

श्री अध्यक्ष–

दो सूचनाएं इस संबंध में प्राप्त हुयी हैं वह नियम–56 में स्वीकृत हो गयी हैं ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)–

मान्यवर, हमारे एक सांसद को जेल भेजा गया है मेरा अनुरोध है कि प्रश्नकाल स्थगित कर इस पर चर्चा करा ली जाये ।

श्री अध्यक्ष–

नियम–56 में इसको ले लेंगे ।

(इस बीच विपक्ष के कई सदस्य वेल में आ गये ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकाल प्रारम्भ होने दीजिए । मेरा अनुरोध है कि कृपया अपने स्थान पर चले जायें ।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि कानून-व्यवस्था पर चर्चा करा लें ।

श्री अध्यक्ष–

सुखदेव राजभर जी, यह सूचना स्वीकृत हो गयी है । उचित समय पर इसकी चर्चा करा लेंगे ।

(इसी मध्य वेल में आये सदस्यगण सर्वश्री अनीस अहमद खां उर्फ फूल बाबू, राम शंकर पाल, उमा शंकर कुशवाहा, चन्द्र देव राम यादव तथा श्री अनिल कुमार मौर्य के साथ ब०स०पा० के अन्य अनेक सदस्य सरकार विरोधी नारे लगाने लगे । जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया ।)

श्री अध्यक्ष–

सदन को 11.30 बजे तक स्थगित किया जाता है ।

(व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने 11 बजकर 5 मिनट पर सदन की कार्यवाही 11 बजकर 30 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी । 11 बजकर 30 मिनट पर मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 12 बजकर 20 मिनट तक के लिए बढ़ा दिया है । )

## प्रश्नोत्तर

### अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

#### उ०प्र० विकास परिषद का गठन

**1–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के औद्योगिक विकास हेतु क्या उत्तर प्रदेश विकास परिषद् का गठन किया गया है ? यदि हां, तो उसका उद्देश्य क्या है ?

मुख्य मंत्री (मुलायम सिंह यादव)–

जी हां ।

---

नोट :–उ०प्र० विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम–41 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये ।

प्रदेश के तीव्रगामी औद्योगीकरण तथा औद्योगिक विकास और पूंजी निवेश के लिए बहुमूल्य परामर्श देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश विकास परिषद् का गठन किया गया है । जिसके अन्तर्गत मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्य सम्पादित होंगे :–

(1) प्रदेश में पूंजी निवेश के लिए अनुकूल वातावरण का विकास किया जाना ।

(2) विशिष्ट उद्योगों की स्थापना एवं विकास ।

(3) पूंजी नियोजन के अनुसार विशिष्ट उद्योगों को विशेष दर्जा/सुविधायें दिया जाना ।

(4) पूंजी निवेश की बाधाओं को दूर किया जाना ।

(5) पूंजी निवेश को आकर्षित करने के लिए प्रयास किया जाना ।

(6) प्रक्रियाओं के सरलीकरण के सम्बन्ध में कार्यवाही किया जाना ।

(7) श्रम अधिनियमों को युक्तिसंगत बनाते हुए प्रदेश में रोजगार को बढ़ावा दिये जाने हेतु सुझाव देना ।

## तारांकित प्रश्न

### उत्तर प्रदेश में चयनित अम्बेडकर ग्रामों के अतिरिक्त अन्य अविकसित ग्रमों के विकास हेतु कार्ययोजना

*1–श्री रवीन्द्र पुण्डीर, श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह तथा श्री राम किशुन–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या सरकार चयनित अम्बेडकर ग्रामों के अतिरिक्त प्रदेश के अन्य अविकसित ग्रामों के विकास हेतु कोई नयी कार्य योजना बनाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो वह कार्य योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री राजपाल त्यागी–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

### प्रदेश के निर्धन किसानों की रबी बुआई के लिए निःशुल्क खाद एवं बीज उपलब्ध कराने की योजना

**2–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी तथा श्री जगदीश नारायण राय–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के निर्धन किसानों को इस वर्ष रबी की बुआई के लिए निःशुल्क खाद एवं बीज उपलब्ध कराये जाने की कोई कार्य योजना सरकार द्वारा बनायी गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि, कृषि शिक्षा मंत्री (श्री शिव पाल सिंह यादव)–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश सरकार द्वारा निर्धन किसानों को इस वर्ष रबी बुआई के लिए निःशुल्क खाद एवं बीज उपलब्ध कराने की अलग से कोई कार्य योजना तैयार नहीं की गई है बल्कि उन्हें रबी बीजों पर स्रोत पर ही अनुदान उपलब्ध कराया जाता है ।

---

[ उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न ]

## तारांकित प्रश्न

### पंचम वेतन आयोग के सन्दर्भ में उ०प्र० सरकार द्वारा गठित मुख्य सचिव समिति लेखा संवर्ग के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियाँ

*1–श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पंचम वेतन आयोग के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा गठित मुख्य सचिव समिति की लेखा संवर्ग के संबंध में की गयी संस्तुतियों का कार्यान्वयन कर लिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

वेतन समिति (1997-98)/मुख्य सचिव समिति की लेखा संवर्ग के पदों के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय से वित्त विभाग के अर्ध--शासकीय पत्र संख्या-वे०आ०-2-1806/दस-2001-4/2001, दिनांक 24 सितम्बर, 2001 द्वारा समस्त प्रमुख सचिवों/सचिवों को अवगत कराया जा चुका है ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

### उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य कर्मियों की सामूहिक बीमा योजना की धनराशि में वृद्धि किये जाने की मांगें

*2–डा० अरुण कुमार मेहरोत्रा–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या प्रदेश सरकार राज्य कर्मियों की सामूहिक बीमा योजना की धनराशि में बढ़ोत्तरी करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कितनी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) प्रदेश सरकार द्वारा उ०प्र० राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत कर्मचारियों की बीमा धनराशि में वृद्धि किये जाने का परीक्षणोपरान्त औचित्य नहीं पाया गया ।

### उत्तर प्रदेश में प्रमुख सचिव, सचिव, विशेष सचिव के पदों की स्वीकृति एवं कार्यरत अधिकारियों की संख्या

*3–श्री प्रेमपाल सिंह यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में प्रमुख सचिव, सचिव तथा विशेष सचिव के कितने पद स्वीकृत हैं और इन पदों पर कितने-कितने अधिकारी कार्यरत हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में प्रमुख सचिव के 13 तथा सचिव के 28 पद निर्धारित किए गये हैं इसके अतिरिक्त राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व के 63 पदों की सीमा तक निःसंवर्गीय पद रखे जाने की व्यवस्था है । वर्तमान में प्रमुख सचिव के पद पर 34 और सचिव के पद पर 54 अधिकारी कार्यरत हैं ।

विशेष सचिव के आई० ए० एस०, पी० सी० एस० एवं सचिवालय सेवा के क्रमशः 38,40 तथा 09 पद निर्दिष्ट हैं जिसके सापेक्ष वर्तमान में क्रमशः 37, 61 एवं 08 अधिकारी कार्यरत है । इ

**जनपद गोण्डा के बभनान शुगर मिल से निकलने वाले प्रदूषित जल से आस-पास के गांवों में जानलेवा बीमारी फैलाने का कथित प्रकरण**

*4–श्री राम विशुन आजाद–

क्या पर्यावरण मंत्री को जानकारी है कि जनपद–गोण्डा के बभनान शुगर मिल से निकलने वाले प्रदूषित जल से आस-पास के ग्राम बभनान, बभनी, करनपुर, महरागौरा, इढौवा मेहनियां में जहरीला जल पीने से जानवरों की मौतें हो रही हैं तथा वहां के नागरिकों में जानलेवा बीमारी फैल रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मिल के प्रदूषित जल को रोकने हेतु कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्यावरण मंत्री (श्री राम प्यारे सिंह)–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*5–श्री अजीम भाई–

[ 2सरे गुरुवार के तारांकित प्रश्न संख्या–6 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ]

*6–श्री शारदानन्द अंचल–

[ मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ]

*7–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

[ मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ]

*8–श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

[ मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ]

*9–श्री राम करन आर्य–

[ मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ]

*10–श्री शाहिद मंजूर–

[ मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ]

**जिला मुरादाबाद की अजुद्धया शुगर मिल बिलारी के डिस्टिलरी के प्रदूषित पानी से फसल बरबाद होने का कथित प्रकरण**

*11–हाजी मोहम्मद रिजवान–

क्या पर्यावरण मंत्री को जानकारी है कि "अजुद्धया शुगर मिल" (राजा का सहसपुर) बिलारी, जिला मुरादाबाद के डिस्टिलरी (शराब फैक्ट्री) के प्रदूषित पानी से फसलें बरबाद हो रही हैं जिससे कृषकों में काफी असंतोष व्याप्त है ? यदि हां, तो उस पानी को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्यारे सिंह–

जी नहीं, क्योंकि जिला कृषि अधिकारी मुरादाबाद ने अपने पत्र दिनांक 16-8-2002 द्वारा यह सूचित किया था कि प्रश्नगत उद्योग से निकलने वाले उत्प्रवाह के कारण तत्समय खड़ी फसलों को हानि होने विषयक कोई मामला उनके कार्यालय के संज्ञान में नहीं था । यह उद्योग अगस्त, 2002 से मार्च, 2003 तक बन्द था । तदोपरान्त 10 से 15 दिन प्रति माह औसत उत्पादन होता रहा । इस दौरान उद्योग

का उत्प्रवाह बायोकम्पोस्टिंग प्लान्ट में प्रयोग किया गया । उद्योग से उत्प्रवाह को निस्तारित नहीं किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*12–श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

[ विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त ]

*13–कुंवर रेवती रमण सिंह–

[ मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ]

**जनपद लखनऊ के कैसरबाग मुहल्ले में सितम्बर, 2003 में जहरीली शराब पीने से हुई मौत की जांच**

*14–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद लखनऊ के मुहल्ला कैसरबाग व आस-पास के क्षेत्र में सितम्बर, 2003 में जहरीली शराब पीने से दर्जनों लोगों की मृत्यु हो गयी थी ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इसकी जांच करायी गयी ? यदि हां, तो जांच परिणाम क्या रहा है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । जनपद लखनऊ के थाना कैसरबाग क्षेत्र में तीन मुहल्ले घोसियाना, खटिकाना एवं धोबियाना में दि० 19/20 सितम्बर, 2003 को जहरीली शराब पीने से 16 मृत व्यक्तियों की सूची जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गई है । घटना की उच्च स्तरीय जांच के लिये मुख्य सचिव के आदेश संख्या–506/पी०एस०एम०एस०/2003, दिनांक 20 सितम्बर, 2003 द्वारा आयुक्त, लखनऊ मण्डल को निर्देशित किया गया है । आयुक्त लखनऊ मण्डल की जांच रिपोर्ट प्रतीक्षित है ।

**उत्तर प्रदेश में रिक्त सब इंस्पेक्टर के पदों पर नियुक्ति की मांग**

*15–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि थानों में सब-इंसपेक्टरों की कमी के कारण कानून व्यवस्था पर कुप्रभाव पड़ रहा है ? यदि हां, तो प्रदेश में रिक्त सब–इंसपेक्टरों के पदों पर कब तक चयन करके नियुक्ति कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

पुलिस सब इंस्पेक्टर के रिक्त पदों के सापेक्ष चयन की प्रक्रिया गतिमान थी किन्तु कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक 29-8-2003 द्वारा सीधी भर्ती के सभी प्रकार की नियुक्तियों पर रोक लगाये जाने के कारण साक्षात्कार जो दिनांक 18-8-2003 से प्रारम्भ था और दिनांक 2-9-2003 तक पूरा होना था, स्थगित कर दिया गया । इस मामले में मा० उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएं लम्बित हैं । अतः मा० उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय के उपरान्त यथास्थिति चयन/नियुक्ति की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी ।

**उत्तर प्रदेश में उद्योग धन्धों को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा बनाई गई कार्य योजना**

*16–श्री जगदीश नारायण राय–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के उद्योग धन्धों को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा कोई कार्य योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो उसकी रूप रेखा क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

प्रदेश के तीव्रगामी औद्योगीकरण तथा औद्योगिक विकास और पूंजी निवेश के लिए बहुमूल्य परामर्श देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश विकास परिषद् का गठन किया गया है । जिसके अन्तर्गत मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्य सम्पादित होगे :–

(1) प्रदेश में पूंजी निवेश के लिए अनुकूल वातावरण का विकास किया जाना ।

(2) विशिष्ट उद्योगों की स्थापना एवं विकास ।

(3) पूंजी नियोजन के अनुसार विशिष्ट उद्योगों को विशेष दर्जा/सुविधायें दिया जाना ।

(4) पूंजी निवेश की बाधाओं को दूर किया जाना ।

(5) पूंजी निवेश को आकर्षित करने के लिए प्रयास किया जाना ।

(6) प्रक्रियाओं के सरलीकरण के संबंध में कार्यवाही किया जाना ।

(7) श्रम अधिनियमों को युक्तिसंगत बनाते हुए प्रदेश में रोजगार को बढ़ावा दिये जाने हेतु सुझाव देना ।

सभी जनपदों में नई औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करने की योजना है । 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2003-04 में रु० 1.00 लाख से अधिक पूंजी निवेश हेतु 5000 नई इकाइयों की स्थापना की कार्य योजना है, जिसके लक्ष्यों का निर्धारण सभी जनपदों के लिए कर दिया गया है । इसी प्रकार चालू वित्तीय वर्ष में रु० 1.00 लाख से कम पूंजी निवेशित 25 हजार औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की योजना है । इस कार्य हेतु भी सभी जनपदों के लक्ष्यों का निर्धारण कर दिया गया है ।

प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 2003-04 हेतु 45,900 बेरोजगार युवक/युवतियों को बैंको के माध्यम से सहायता प्राप्त करा कर व्यवसाय/उद्योग स्थापना की कार्य योजना है ।

औद्योगिक विकास को गति देने हेतु उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम, अवस्थापना उन्नयन हेतु एसाइड एवं औद्योगिक आस्थान कोआपरेटिव सोसायटी योजनाएं चल रही हैं । उत्तर प्रदेश व्यापार प्रोत्साहन प्राधिकरण के माध्यम से लघु औद्योगिक इकाइयों के उत्पादों की विपणन सुविधा हेतु मेलों/प्रर्दशनियों का आयोजन किया जाता है ।

प्रदेश के उद्यमियों को प्रोत्साहित करने हेतु लघु उद्योग पुरस्कार योजना, दस्तकारों के लिए हस्तशिल्प पुरस्कार योजना एवं निर्यात सम्वर्धन हेतु निर्यात पुरस्कार योजना का भी संचालन किया जा रहा है ।

प्रदेश की निर्यातमूलक इकाइयों को प्रोत्साहित करने व बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश निर्यात ब्यूरो की स्थापना की गयी है । इसके अतिरिक्त औद्योगिक विकास हेतु एस०ई०जेड० (विशेष आर्थिक क्षेत्र) की स्थापना भी की जा रही है ।

प्रदेश में उद्योग धन्धों को बढ़ावा देने के लिए एकल मेज व्यवस्था की कार्य योजना के तहत इन योजनाओं का क्रियान्वयन एवं उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाता है । जनपद/मण्डल/प्रदेश स्तर पर त्रिस्तरीय उद्योगबन्धु व्यवस्था के माध्यम से उद्यमियों की समस्याओं का समाधान किया जाता है । उक्त के अतिरिक्त प्रदेश के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए शासन द्वारा उत्तर प्रदेश विकास परिषद् का गठन भी किया गया है ।

शासन व निदेशालय स्तर पर बैठकें आयोजित कर इन कार्यक्रमों की प्रगति समीक्षा एवं अनुश्रवण किया जाता है ।

## अतारांकित प्रश्न

1–श्री राम करन आर्य–

[ मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ]

2–श्री राजेन्द्र सिंह चौहान–

[ मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ]

### जनपद चन्दौली में लागू जलनिधि योजना के अन्तर्गत प्रचार-प्रसार हेतु वर्ष 2001 से व्यय धनराशि की जानकारी

3–श्री राम किशुन–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद चन्दौली में लागू जलनिधि योजना के अन्तर्गत प्रचार-प्रसार हेतु वर्ष 2001 से अब तक कितना धन खर्च किया गया है ? उक्त योजना पूर्णरूप से कब तक लागू हो जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी–

जनपद चन्दौली में लागू जलनिधि योजनान्तर्गत वर्ष 2001 से अब तक प्रचार-प्रसार मद में कुल रु० 72,40,295.00 मात्र व्यय किया गया है ।

उक्त योजना पूर्ण रुप से लागू हो चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

4–चौ० विजेन्द्र सिंह–

[ दूसरे मंगलवार के अता० प्र०सं०–112 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ]

5–श्री राजेन्द्र सिंह चौहान–

[ मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ]

### जनपद आजमगढ़ की बोंगरिया पुलिस चौकी को पुलिस थाना बनाये जाने की मांग

6–श्रीमती विद्या चौधरी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मेहनगर जनपद आजमगढ़ की बोंगरिया पुलिस चौकी को पुलिस थाना बनाये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

थाना स्थापना हेतु प्रचलित मानक को पूर्ण न करने तथा प्रशासनिक व्यय में मितव्ययिता के दृष्टिगत नए पदों के सृजन पर लगे प्रतिबन्ध के कारण प्रश्नगत स्थान पर थाना स्थापित करने का औचित्य नहीं पाया गया ।

### बस्ती जनपद तहसील सदर के अन्तर्गत साउंघाट ब्लाक में स्थित बस्ती, गोरखपुर मार्ग से ग्राम छपिया मंझरिया तक सम्पर्क मार्ग पर खड़न्जा लगवाने की मांग

7–श्री हरि प्रताप सिंह–

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2002 के प्रथम सोमवार के अतारांकित प्रश्न सं०–19 के उत्तर के संदर्भ में क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बस्ती जनपद में तहसील सदर के अन्तर्गत सांउघाट ब्लाक में

स्थित बस्ती-गोरखपुर मार्ग से ग्राम छपिया मंझरिया तक सम्पर्क मार्ग की शेष 0.50 कि०मी० कच्चे मार्ग पर कब तक खड़न्जा लगवा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी–

पूर्वांचल विकास निधि योजनान्तर्गत बस्ती-गोरखपुर मार्ग से ग्राम छपिया मन्झरिया तक सम्पर्क मार्ग का शेष लम्बाई 0.50 कि०मी० में खड़न्जा कार्य पूर्ण कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद संत कबीर नगर के नगर पंचायत हरिहरपुर से कतिपय मार्गों के लिये परिवहन निगम की बसों के संचालन की मांग**

8–श्री हरि प्रताप सिंह–

क्या परिवहन मंत्री को ज्ञात है कि जनपद संत कबीर नगर (खलीलाबाद) में स्थित आदर्श टाउन एरिया व नगर पंचायत हरिहरपुर से लखनऊ–हरिहरपुर, गोरखपुर–हरिहरपुर एवं बस्ती–हरिहरपुर के लिये परिवहन निगम की बसें बन्द कर दी गयी हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त बसों को पुनः संचालित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवहन मंत्री (कुं० रेवती रमण सिंह)–

जी नहीं । बसें संचालित हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद संत रविदास नगर के अन्तर्गत निर्बल वर्ग आवास योजना के अन्तर्गत आवास आवंटन की जांच की मांग**

9–श्री योगेन्द्र कुमार–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि ग्राम हृदय पट्टी पो० सरोई विकास खण्ड भदोही जनपद संत रविदास नगर के अन्तर्गत निर्बल वर्ग आवास का आवंटन वर्ष 1993-94 में जिन व्यक्तियों को किया गया था उन्हीं व्यक्तियों को वर्ष 1998-99 में पुनः निर्बल वर्ग आवास आवंटित कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी–

ग्राम हृदय पट्टी पो० सरोई विकास खण्ड भदोही जनपद संत रविदास नगर के अन्तर्गत निर्बल वर्ग आवास का आवंटन 04 लाभार्थियों को वर्ष 1993–94 में किया गया था, उन्हीं व्यक्तियों को पुनः इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत वर्ष 1998-99 में आवास का आवंटन किया गया है । निर्बल वर्ग आवास योजना वर्ष 1996-97 में समाप्त की जा चुकी है । लाभार्थियों की पात्रता जांच में सहायक विकास अधिकारी (कृषि) द्वारा यह संज्ञान में नहीं लिया गया कि लाभार्थियों को पुनः लाभान्वित किया जा रहा है ।

प्रकरण में जांचोपरान्त दोषी पाये गये श्री टी०वी० सिंह, खण्ड विकास अधिकारी सेवानिवृत्त हो गये है । श्री रामाशीष वर्मा सहायक विकास अधिकारी (कृषि) के विरुद्ध कार्यवाही प्रचलित है तथा श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, ग्राम पंचायत अधिकारी को कठोर चेतावनी व श्री राजेन्द्र सरोज ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को प्रतिकूल प्रविष्टि दे दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

10–श्री राम करन आर्य–

[ मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ]

11–श्री ओम प्रकाश–

[ मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ]

12–डा० अशोक बाजपेयी–

[ मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ]

13–श्री राम करन आर्य–

[ मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ]

**जनपद बरेली के विकास खण्ड भदपुरा में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत कराये गये विकास कार्यों की जांच टी०ए०सी० से कराये जाने की मांग**

14–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना''–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्षेत्र पंचायत सदस्य, बंशीधर गंगवार व रामवती विकास खण्ड भदपुरा (बरेली) का पत्र दि० 3-10-2002 जो विकास खण्ड भदपुरा में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत कराये गये विकास कार्यों की जांच टी० ए० सी० से कराये जाने के संबंध में आयुक्त, बरेली मण्डल, बरेली को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी–

जी हां ।

उक्त शिकायती पत्र पर टी०ए०सी० जांच कराये जाने के निर्देश दिये गये किन्तु शिकायतकर्ताओं द्वारा टी०ए०सी० को लिखित रूप से सूचित किया गया कि किसी के द्वारा उनके लेटर पैड पर फर्जी शिकायत की गयी है और उक्त शिकायत से उनका कोई संबंध नहीं है । उपर्युक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण की जांच नहीं करायी गयी ।

15–कुं० रेवती रमण सिंह–

[ मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ]

**जनपद रायबरेली के नागरिक पुलिस कांस्टेबिल स्व० महेन्द्र प्रताप सिंह के आश्रित पुत्र सुनील सिंह की नियुक्ति की मांग**

16–श्री अनवर महमूद–

क्या सरकार को जानकारी है कि श्री महेन्द्र प्रताप सिंह कांस्टेबिल नागरिक पुलिस जनपद रायबरेली की सेवाकाल में दिनांक 29 जून, 1989 को मृत्यु हो गयी थी ? क्या यह सही है कि उनके आश्रित पुत्र सुनील सिंह की नियुक्ति किये जाने का प्रकरण शासन के गृह पुलिस अनुभाग–10 में लम्बित है ? क्या लम्बित प्रकरण के निस्तारण हेतु दिनांक 15-8-2002 तथा 10-10-2002 को उनका प्रार्थना-पत्र शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो लम्बित प्रकरण पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

इस प्रकरण से सम्बन्धित मृतक आश्रित श्री सुनील सिंह के दो प्रार्थना-पत्र शासन को प्राप्त हुए हैं। प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु पुलिस उप महानिरीक्षक स्थापना को निर्देशित कर दिया गया था। आवेदन-पत्र मृत्यु के पांच वर्ष के उपरान्त प्राप्त होने की दशा में मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजन प्रदान करने का प्रकरण तभी बनता है, जबकि शासनादेश संख्या–609/6-पु०–10-2001-1200(2)/2001, दिनांक 30-5-2001 सपठित शासनादेश संख्या–899/6-पु०–10-2003-1200(2)/2001 दिनांक 13-5-2003 में की गई व्यवस्था के अनुसार पुलिस कर्मी कर्तव्य पालन के दौरान अस्वाभाविक रूप से मारा गया हो। चूंकि स्व० कां० श्री महेन्द्र प्रताप सिंह की मृत्यु अस्थि कैंसर की बीमारी के कारण हुई थी, अतः इनके आश्रित श्री सुनील कुमार को मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजन हेतु आवेदन करने के लिए पांच वर्ष की समय सीमा में छूट प्रदान करने का औचित्य नहीं पाया गया है।

प्रश्न नही उठता।

**जिला शाहजहांपुर के श्रीमती बिलासो देवी के घर लूट डकैती की रिपोर्ट की जांच**

17–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्रीमती बिलासो देवी पत्नी स्व० डम्बर नि० ग्राम माडर थाना जैतीपुर जिला–शाहजहांपुर ने अपने घर पर हुई लूट डकैती की रिपोर्ट दर्ज किये जाने का प्रार्थना-पत्र रजि० डाक द्वारा दिनांक 15-11-02 को मुख्य मंत्री तथा आई० जी० पुलिस, बरेली मण्डल को भेजे हैं, प्राप्त हुए ? यदि हां, तो उपरोक्त प्रार्थना-पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

श्रीमती बिलासों देवी पत्नी स्व० डम्बर नि० ग्राम माडर थाना–जैतीपुर जिला शाहजहांपुर का पत्र दि० 11-11-02 पुलिस महानिरीक्षक बरेली जोन बरेली को प्राप्त हुआ था, जिसकी जांच क्षेत्राधिकारी तिलहर द्वारा करायी गयी। जांच से आवेदिका का यह आरोप कि उसके घर पर लूटपाट की गयी, असत्य पाया गया।

**जिला बस्ती के श्री अरुण प्रताप सिंह पुत्र स्व० रघुराज सिंह के मृतक आश्रित में सेवायोजित किये जाने का प्रकरण**

18–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री अरुण प्रताप सिंह पुत्र स्व० रघुराज सिंह निवासी ग्राम गड़हा गौतम, डा० कप्तानगंज, जिला बस्ती को मृतक आश्रित में सेवायोजित किये जाने विषयक पत्र दिनांक 1-11-2002 प्रमुख सचिव/सचिव, गृह एवं गोपन को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या मृतक आश्रित को सेवायोजित कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां।

जी नहीं।

श्री अरुण कुमार सिंह को उनकी योग्यता एवं अर्हता के अनुरूप कान्स्टेबिल (एम०) के पद पर नियुक्त करने हेतु अवसर प्रदान किया गया परन्तु टंकण परीक्षा में उत्तीर्ण न होने के कारण श्री सिंह सेवायोजित नहीं हो सके हैं।

**अम्बेडकर ग्राम शाहाबाद में विकास कार्यों में की गयी अनियमितताओं की जांच**

19–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जिला विकास अधिकारी, शाहजहांपुर को प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 2-12-02 जो अम्बेडकर ग्राम शाहाबाद ब्लाक जैतीपुर (तिलहर) में कराये जा रहे विकास कार्यों में की गई अनियमितताओं की जांच कराये जाने विषयक दिया गया था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 2-12-02 जिलाधिकारी, शाहजहांपुर के कार्यालय में दिनांक 9-12-2002 को प्राप्त हुआ है जिसमें अम्बेडकर ग्राम शाहाबाद में पुनः जांच कराकर सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कराने का उल्लेख है ।

उक्त पत्र की जांच कृषि रक्षा अधिकारी/सेक्टर अधिकारी ब्लाक जैतीपुर से करायी गयी । जांच में पाया गया है कि ग्राम शाहाबाद वर्ष 1997-98 का चयनित अम्बेडकर ग्राम है, जिसमें शिवनगर मजरा भी सम्मिलित है । मजरा शिवनगर के मध्य खड़ण्जा मार्ग लगभग 500 मीटर है, जिस पर ह्यूम पाइप पुलिया एवं नाली निर्माण सड़क की पूर्ण उपयोगिता के लिए आवश्यक है । अतः सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 4.19 लाख रु० का प्रस्ताव लोक निर्माण विभाग को स्वीकृति/अनुमोदन हेतु भेजा गया है जिसकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही मजरा शिवनगर को जोड़ने का कार्य कराया जायेगा ।

अम्बेडकर ग्राम शाहाबाद विद्युतीकृत है तथा उसका मजरा शिवनगर विद्युतीकृत नहीं है, जांच में पाया गया कि लगभग 7 पोल लगने से मजरा शिवनगर में विद्युत पहुंच जायेगी । अम्बेडकर ग्राम शाहाबाद के मजरा शिवनगर के विद्युतीकरण हेतु कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

**जनपद कानपुर स्थित ओंकार नगरीय सहकारी बैंक लि० में कर्मचारियों को सहकारिता विभाग द्वारा निर्धारित वेतनमान दिये जाने की मांग**

20–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि कानपुर स्थित ओंकार नगरीय सहकारी बैंक लिमिटेड में कार्यरत कर्मचारियों को क्या सहकारिता विभाग द्वारा निर्धारित वेतनमान के अनुरूप वेतनमान दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उनको वेतनमान कब तक दे दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

वर्तमान में नगरीय सहकारी बैंकों के सम्बन्ध में निबन्धक स्तर से कोई वेतनमान निर्धारित नहीं है । नगरीय सहकारी बैंक अपने वित्तीय संसाधन तथा आर्थिक स्थिति के अनुसार कर्मचारियों को वेतन का भुगतान करती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

21–श्री कौशल किशोर–

[ मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ]

22–श्री कौशल किशोर

[ मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ]

**जनपद सहारनपुर के स्टार पेपर मिल द्वारा जमा हुए प्रदूषित मलवे को हटाये जाने की मांग**

23–चौधरी विजेन्द्र सिंह–

क्या पर्यावरण मंत्री को जानकारी है कि स्टार पेपर मिल, सहारनपुर द्वारा वर्षों से प्रदूषण युक्त मलवा मिल के बाहर जमा किया जा रहा है जिससे वहां के निवासियों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गन्दगी को हटवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्यारे सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

24–कुं० रेवती रमण सिंह–

[ मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ]

25–कुं० रेवती रमण सिंह–

[ मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ]

26–श्री संजय गर्ग–

[ मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ]

**जनपद शाहजहांपुर के ग्राम मझौला में खराब इण्डिया मार्का–II हैण्ड पम्पों को ठीक कराये जाने की मांग**

27–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना''–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दि० 22-8-2000 जोकि ग्राम–मझौला में खराब इण्डिया मार्का–II नलों को ठीक कराये जाने के संबंध में था, जिलाधिकारी–शाहजहांपुर को प्राप्त हुआ है ? क्या यह सही है कि जिलाधिकारी ने अपने पत्र संख्या–261 दि० 30-8-2000 को अधिशासी अभियन्ता, जल निगम, शाहजहांपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा था ? यदि हां, तो उपरोक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज पाल त्यागी–

मा० सदस्य से प्राप्त पत्र दिनांक 22-8-2000 ग्राम मझौला में खराब हैण्डपम्पों को ठीक कराने के सम्बन्ध में न होकर अधिशासी अभियन्ता, जल निगम, शाहजहांपुर की हैण्डपम्प अधिष्ठापन में भेदभाव नीति अपनाये जाने की शिकायत के सम्बन्ध में है ।

जी हां । जिलाधिकारी, शाहजहांपुर के पत्र सं०–261, दिनांक 30-8-2000 द्वारा अधिशासी अभियन्ता, जल निगम शाहजहांपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया है, किन्तु यह ग्राम मझौला में खराब हैण्डपम्पों के सम्बन्ध में है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

28–श्री कौशल किशोर–

[ मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ]

29–श्री कौशल किशोर–

[ मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ]

**जिलाधिकारी, इलाहाबाद द्वारा शस्त्र लाइसेंस निर्गत करने की संबंध**

30–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री बृजभूषण सिंह कुशवाहा, एम० एल० सी० का पत्र दिनांक 17-1-2003 जो शस्त्र लाइसेन्स प्रदान करने के संबंध में था, जिलाधिकारी, इलाहाबाद को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

31–श्री संजय गर्ग–

[ मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ]

32–श्री संजय गर्ग–

[ मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ।]

33–श्री संजय गर्ग–

[ मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ।]

34–श्री संजय गर्ग–

[ मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ।]

35–श्री संजय गर्ग–

[ मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ।]

उत्तर प्रदेश विधान सभा

36–श्री संजय गर्ग–

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

37–श्री संजय गर्ग–

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

38–श्री संजय गर्ग–

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

39–श्री संजय गर्ग–

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

40–श्री कमाल यूसुफ मलिक–

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

41–श्री कमाल यूसुफ मलिक–

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

42–श्री संजय गर्ग–

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

**जनपद फैजाबाद के खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा दर्ज कराये गये मुकदमें के नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जांच**

43–श्री चन्द्र भद्र सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड हैरिंग्टनगंज, जनपद फैजाबाद में खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा थाना इनायतनगर, जनपद फैजाबाद में दर्ज कराये गये मुकदमा अपराध सं०–652/02 धारा 409 में कौन-कौन अभियुक्त नामजद हैं ? क्या अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

मु०अ०सं०–652/02 धारा 409/ 406 भा०दं०वि० थाना इनायतनगर में निम्नलिखित अभियुक्त नामजद हैं :–

1–मोहन लाल अग्रवाल पुत्र रोशन लाल अग्रवाल

2–हरगोविन्द अग्रवाल पुत्र रोशन लाल अग्रवाल

3–गिरीश चन्द्र अग्रवाल पुत्र मोहन लल अग्रवाल

4–रमेश चन्द्र उर्फ श्याम चन्द्र अग्रवाल पुत्र मोहन लाल अग्रवाल

उपरोक्त सभी निवासीगण सेमरा हैरिंग्टनगंज थाना इनायतनगर, फैजाबाद।

5–ताहिर हुसैन पुत्र हाफिज खां निवासी बैंती, थाना हैदरगंज, फैजाबाद।

6–अनवार अहमद निवासी सिरसिर थाना–खण्डासा, फैजाबाद।

7–राम सिंह, निवासी पाराताजपुर, थाना इनायतनगर, जनपद फैजाबाद।

8–कौशल किशोर तत्कालीन मार्केटिंग इन्स्पेक्टर हैरिग्नटनगंज, थाना इनायतनगर, फैजाबाद।

अभियुक्तगण राम सिंह व रमेश चन्द्र उर्फ श्याम चन्द्र गिरफ्तार किये गये हैं। अभियुक्त कौशल किशोर न्यायालय पर आत्मसमर्पण कर जेल भेजे गये। शेष 5 अभियुक्तगण 1–मोहनलाल, 2–गिरीश चन्द्र अग्रवाल, 3–हरगोविन्द अग्रवाल, 4–ताहिर हुसैन एवं 5–अनवर अहमद, मा० उच्च न्यायालय

लखनऊ बैंच लखनऊ से अपनी गिरफ्तारी का स्थगन आदेश प्राप्त कर लिए जिससे उनकी गिरफ्तारी नहीं की गयी ।

44–डा० अशोक बाजपेयी–

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

45–डा० अशोक बाजपेयी–

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

**जनपद गोण्डा में अग्निकाण्ड से पीड़ित श्री सत्यनारायण को इन्दिरा आवास आवंटित कराये जाने की मांग**

46–श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव–

क्या सरकार को जानकारी है कि श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय, सदस्य, विधान परिषद् के पत्र पर मा० ग्राम्य विकास मंत्री द्वारा दिनांक 23 अगस्त, 2001 को सी०डी०ओ० गोण्डा को ग्राम शिवलाल पुरवा तिलकाडीह, विकास खण्ड कटरा बाजार, जनपद–गोण्डा में हुए अग्निकाण्ड से पीड़ित श्री सत्य नारायण को इन्दिरा आवास आवंटित किये जाने के निर्देश दिये थे ? यदि हां, तो उक्त निर्देश का अनुपालन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? निर्देश का अनुपालन कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री राज पाल त्यागी–

जी हां ।

जी नहीं । मा० सदस्य के पत्र पर श्री सत्यनारायण पुत्र श्री राघवराम निवासी ग्राम शिवलाल पुरवा तिलकाडीह का घर अग्निकाण्ड में जल जाने के कारण इन्दिरा आवास आवंटन का अनुरोध किया गया है । इस सम्बन्ध में अवगत कराया गया है कि जिला ग्राम्य विकास अभिकरण गोण्डा के शासी निकाय द्वारा वर्ष 2001-02 के लिए इन्दिरा आवास आवंटन में इस ग्राम को सम्मिलित नहीं किया गया है जिसके कारण श्री सत्य नारायण को इन्दिरा आवास का आवंटन किया जाना सम्भव नहीं हो पाया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

47–श्री कमाल यूसुफ मलिक–

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

48–श्री कमाल यूसुफ मलिक–

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

49–श्री कमाल यूसुफ मलिक –

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

50–श्री कमाल यूसुफ मलिक –

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

51–श्री संजय गर्ग–

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

**जनपद पीलीभीत थाना जहानाबाद की मुन्नी देवी के पति श्री राजेन्द्र प्रसाद को फर्जी प्रकरण में फंसाने विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की मांग**

52–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मु० अ० सं०–421/02 धारा–302 दिनांक 21-7-2002 को थाना जहानाबाद जिला–पीलीभीत में दर्ज हुआ है ? यदि हां, तो क्या इसी सम्बन्ध में मुन्नी देवी पत्नी राजेन्द्र प्रसाद निवासी ग्राम गौनेरी वाली थाना जहानाबाद का प्रार्थना-पत्र उनके पति राजेन्द्र प्रसाद को झूठा फंसाने व नरायन लाल पुत्र भागीरथ की हत्या ग्राम के राम सिंह पुत्र नन्हे लाल, लीलाधर द्वारा पुलिस की मौजूदगी में किये जाने के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, पीलीभीत को पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

उक्त प्रकरण में श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी राजेन्द्र प्रसाद के प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था जिसकी विवेचना अपर पुलिस अधीक्षक, पीलीभीत द्वारा की गयी जांच से प्रार्थना-पत्र में अंकित आरोप प्रमाणित नहीं पाये गये । प्रकरण की जांच से प्रकाश में आये अभियुक्तगण राजेन्द्र प्रसाद पुत्र भगवान दास व मुन्ना लाल पुत्र राम बहादुर को दिनांक 21-7-02 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है । उक्त अभियुक्तगणों के विरुद्ध धारा 302 भा०दं०वि० का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर आरोप-पत्र संख्या–139/2002 मा० न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद शाहजहांपुर के जिला कारागार में व्याप्त भ्रष्टाचार विषयक शिकायती-पत्र**

53–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या कारागार मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 22-10-2001 जो कि जिला कारागार, शाहजहांपुर में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं जेल विजिटरों को कारागार निरीक्षण से रोके जाने के सम्बन्ध में था, उप महानिरीक्षक, कारागार बरेली परिक्षेत्र बरेली को प्राप्त हुआ है ? क्या यह सही है कि उप महानिरीक्षक ने अपने पत्र संख्या–3219 दिनांक 11-1-02 को जिला कारागार अधीक्षक, शाहजहांपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कारागार मंत्री (श्री राकेश कुमार वर्मा)–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद शाहजहांपुर के कतिपय ग्रामों में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा कराये गये निर्माण कार्य में धांधली की जांच विषयक जिलाधिकारी को भेजे शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी**

54–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 18-9-2000 जो वर्ष 1999-2000 में विधायक निधि से ग्राम नयागांव महसूलपुर से नौसारा तक ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा कराये गये मिट्टी एवं पुलिया निर्माण में की गयी धांधली की जांच के सम्बन्ध में था, जिलाधिकारी, शाहजहांपुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि जिलाधिकारी, शाहजहांपुर ने अपने पत्रांक 390 दिनांक 28-9-2000 द्वारा मुख्य विकास अधिकारी, शाहजहांपुर को उपरोक्त पत्र पर आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजा था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज पाल त्यागी–

जी हां ।

जी हां ।

जिलाधिकारी, शाहजहांपुर द्वारा कार्यों की जांच करायी गयी । जांच रिपोर्ट में उल्लिखित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए मापन तिथि के पश्चात् कराये गये मिट्टी कार्य हेतु उत्तरदायी कार्मिकों के विरुद्ध कार्यवाही करायी जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

55–श्री शारदानन्द अंचल–

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ।]

56–श्री कमाल यूसुफ मलिक–

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ।]

57–श्री कमाल यूसुफ मलिक–

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ।]

58–श्री संजय गर्ग–

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ।]

**जनपद शाहजहांपुर ग्रामाध्यक्ष गढ़िया रंगीन द्वारा अवैध रूप से वृक्षों की कटाई विषयक कथित शिकायती-पत्र**

59–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामाध्यक्ष गढ़िया रंगीन जनपद शाहजहांपुर द्वारा अवैध रूप से कटवाये जा रहे वृक्षों की उच्च स्तरीय जाँच कराये जाने हेतु आप द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव गृह

एवं गोपन को दिनांक 29–8–02 को आदेश दिए गए हैं ? यदि हां, तो आपके उक्त आदेश का अनुपालन प्रमुख सचिव/ सचिव गृह एवं गोपन द्वारा किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

थानाध्यक्ष गढ़िया रंगीन जनपद शाहजहांपुर द्वारा अवैध रूप से कटवाये जा रहे वृक्षों की उच्च स्तरीय जांच कराये जाने विषयक श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह मुन्ना, मा० विधान सभा सदस्य के पत्र सं०–ख–2765104, दिनांक रहित के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, शाहजहांपुर के माध्यम से क्षेत्राधिकारी, तिलहर, जनपद शाहजहांपुर से जांच करायी गयी । जांच से आरोपों की पुष्टि नहीं हुई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

60–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना''–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

61–श्री कमाल यूसुफ मलिक–

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ।]

62–श्री कमाल यूसुफ मलिक–

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ।]

63–श्री कमाल यूसुफ मलिक–

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ।]

64–श्री कमाल यूसुफ मलिक–

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ।]

65–श्री कमाल यूसुफ मलिक–

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ।]

66–श्री कमाल यूसुफ मलिक–

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ।]

67–श्री कमाल यूसुफ मलिक–

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ।]

**जनपद मऊ में शस्त्र लाइसेंस हेतु प्राप्त आवेदन पत्र एवं उनके निस्तारण की मांग**

68–श्री समर पाल सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 01 अप्रैल, 2002 से 31 मार्च 2003 तक जनपद मऊ में कुल कितने शस्त्र लाइसेंस हेतु आवेदन-पत्र प्राप्त हुए उनमें से कितने लोगों को शस्त्र लाइसेंस दिये गये तथा कितने किस कारण से अवशेष हैं ? अवशेष लोगों को कब तक शस्त्र लाइसेंस दे दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद मऊ में 01 अप्रैल, 2002 से 31 मार्च, 2003 तक शस्त्र लाइसेन्स हेतु कुल 1231 आवेदन पत्र प्राप्त हुए ।

उनमें से 589 लोगों को शस्त्र लाइसेन्स दिये जा चुके हैं तथा 642 आवेदन पत्र निस्तारणार्थ औपचारिकतायें पूर्ण न होने के कारण अवशेष हैं ।

शस्त्र लाइसेन्स आवेदन पत्रों पर केन्द्रीय विधानों के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट लाइसेंसिंग प्राधिकारी जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विचार किया जाता है जो एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है जिसके दृष्टिगत अवशेष आवेदन-पत्रों पर निर्णय किए जाने हेतु शासन द्वारा कोई निश्चित समयावधि निर्धारित करना विधिक दृष्टि से उचित नहीं होगा ।

**प्रदेश में शस्त्र लाइसेंस हेतु थानाध्यक्षों द्वारा अपराधी न होने के प्रमाण-पत्र की मांग सम्बन्धी शासनादेश की जानकारी**

69–श्री समर पाल सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में शस्त्र लाइसेंस के आवेदकों से थानाध्यक्षों द्वारा अपराधी न होने का शपथ-पत्र मांगा जा रहा है ? यदि हां, तो क्या तद्विषयक कोई शासनादेश जारी किया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रदेश के जनपद वाराणसी, गाजीपुर, मऊ, प्रतापगढ़, फतेहपुर, रामपुर तथा बलरामपुर में शस्त्र लाइसेन्स के आवेदकों से थानाध्यक्षों द्वारा अपराधी न होने का शपथ-पत्र मांगा जा रहा है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

आयुध अधिनियम की धारा 13(2) के तहत लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा शस्त्र लाइसेंस हेतु प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर सम्बन्धित नजदीकी थाने से रिपोर्ट प्राप्त किये जाने की व्यवस्था है जिसके दृष्टिगत इस बारे में राज्य सरकार के स्तर से कोई शासनादेश जारी करने की आवश्यकता परिलक्षित नहीं होती है ।

**जनपद शाहजहांपुर में विधायक निधि द्वारा कराये कार्यों की टी०ए०सी० जांच विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही का विवरण**

70–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 26-4-02 जो विधायक निधि से कराये गये कार्यों की जांच टी०ए०सी० से कराने के सम्बन्ध में था, जिलाधिकारी, शाहजहांपुर को प्राप्त हुआ है ? क्या यह सही है कि जिलाधिकारी, शाहजहांपुर के पत्र संख्या–2010 दिनांक 18-8-2002 को आवश्यक कार्यवाही हेतु मुख्य विकास अधिकारी, शाहजहांपुर को भेजा है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी–

जी नहीं, अपितु प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 26-7-02 प्राप्त हुआ है ।

जी हां ।

पत्र में उल्लिखित शिकायतों की जांच जनपद स्तर पर गठित समिति से करायी गयी । जांच रिपोर्ट के परीक्षणोपरान्त आयुक्त, ग्राम्य विकास को प्रकरण की जांच टी०ए०सी० से कराने हेतु निर्देशित कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद बदायूं के थाना फैजगंज में दर्ज भ्रष्टाचार अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज प्रकरण की जांच एवं कार्यवाही की मांग**

71–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बदायूं के आदेश से थाना फैजगंज में अपराध संख्या–87/2001 धारा 7/13 भ्रष्टाचार अधिनियम के अन्तर्गत उप निरीक्षक श्री जय प्रकाश तथा राकेश तथा 4 सिपाहियों के विरुद्ध दिनांक 12-5-2001 को कायम हुआ था ? यदि हां, तो क्या उक्त जांच पूरी कर ली गयी है ? यदि हां, तो जांच के बाद अभियुक्तों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । अभियोग की विवेचना पुलिस उपाधीक्षक श्री धर्मवीर सिंह मलिक क्षेत्राधिकारी बिसौली द्वारा अन्तिम रिपोर्ट संख्या–24/02, दिनांक 24-7-2002 द्वारा साक्ष्य के अभाव में पूर्ण की गई । इस प्रकरण में विभागीय कार्यवाही हेतु आरोपी अधिकारी/ कर्मचारी के विरुद्ध प्रारम्भिक जांच प्रचलित है ।

72–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ।]

73–श्री कमाल यूसुफ मलिक–

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ।]

74–श्री कमाल यूसुफ मलिक–

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ।]

75–श्री कमाल यूसुफ मलिक–

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ।]

76–श्री कमाल यूसुफ मलिक–

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ।]

77–श्री कमाल यूसुफ मलिक–

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ।]

78–श्री कमाल यूसुफ मलिक–

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

**जनपद फैजाबाद तहसील मिल्कीपुर के ब्लाक खण्डासा के कतिपय ग्रामों के मार्ग को लेपन स्तर के कार्य कराने की मांग**

79–डा० सुशील चौधरी–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद–फैजाबाद तहसील मिल्कीपुर ब्लाक खण्डासा के अन्तर्गत ग्राम मांझगांव से ग्राम तुरसमपुर तक जाने वाली सड़क पर गिट्टी पड़ी है जिससे आने-जाने में परेशानी होती है ? यदि हां, तो उक्त सड़क को लेपन स्तर का कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी–

जी हां।

कार्य प्रगति पर है। फरवरी/मार्च, 2004 तक लेपन कार्य करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद रायबरेली फैजाबाद के कतिपय ग्रामों को जोड़ने वाली सड़कों का लेपन स्तर का निर्माण**

80–डा० सुशील चौधरी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि रायबरेली फैजाबाद मुख्य मार्ग से एक सड़क तेरहुत मोड़ से जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत ग्राम मांझ गांव से ग्राम तुरसमपुर जाने वाली मुख्य सड़क को जोड़ती है ? यदि हां, तो उक्त सड़क का कितना निर्माण कार्य लेपन स्तर तक कराया गया है और कितना अवशेष है ? क्या सरकार अवशेष सड़क का निर्माण लेपन स्तर तक चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी–

जी हां।

जनपद सुल्तानपुर की सीमा में पड़ने वाली उक्त सड़क का 6 कि०मी० लम्बाई की मांग द्वितीय सतह तक लेपित है। शेष फैजाबाद की सीमान्तर्गत 1 कि०मी० लम्बाई का भाग अवशेष है, जो मिट्टी स्तर का है।

फैजाबाद की सीमान्तर्गत अवशेष 1 कि०मी० लम्बाई का भाग चालू वित्तीय वर्ष में लोक निर्माण विभाग की किसी भी योजना में स्वीकृत नहीं है।

**जनपद शाहजहांपुर थाना कटरा के ग्राम बीरमपुर के श्री उमा शंकर गंगवार पुत्र श्री रोशन लाल द्वारा मुकदमें में झूठा फंसाने विषयक पुलिस महानिरीक्षक बरेली को भेजे पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी**

81–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उमाशंकर गंगवार पुत्र श्री रोशन लाल निवासी ग्राम बीरमपुर थाना कटरा जिला शाहजहांपुर का प्रार्थना-पत्र दिनांक 14-11-2002 जो उनके छोटे भाई सुरजीत

के अपहरणकर्ता राकेश कुमार पुत्र ईश्वरी प्रसाद ग्राम बीरमपुर, नरेश कुमार पुत्र मिश्री लाल निवासी ग्राम [illegible] तथा मटरूलाल पुत्र चिराजी लाल व अन्य सहयोगियों द्वारा किये जाने तथा इस आरोप में उमाशंकर के पिता रोशनलाल आदि को मु०अ०सं०–280/02 धारा–302 आई०पी०सी० में झूठा फंसाने के सम्बन्ध में है, पुलिस महानिरीक्षक, बरेली जोन बरेली को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

प्राप्त आख्यानुसार उमाशंकर के पिता रोशन लाल के भाई बाबूराम तथा विपक्षी ईश्वरी प्रसाद सगे साढू हैं तथा एक ही गांव के हैं । दोनों ही पक्ष सगे रिश्तेदार हैं जिनके बीच पुरानी पारिवारिक रंजिश है । सुरजीत के अपहरण संबंधी मु०अ०सं०–377/02 धारा 364 थाना–तिलहर में आरोप पत्र दि० 23-3-03 को न्यायलय प्रेषित किया गया है, जो विचाराधीन न्यायालय है । मु०अ०सं०–280/02 धारा 302 भादवि बनाम रोशन लाल आदि में आरोप पत्र सं०–52 दि० 30-3-03 को न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद शाहजहांपुर थाना गढ़िया रंगीन के ग्राम अमरेडी की श्रीमती देवी पत्नी श्री लटूरी जाटव की बलात्कार की सूचना रिपोर्ट न दर्ज करने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी**

82–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि श्रीमती देवी पत्नी श्री लटूरी जाटव निवासी ग्राम अमरेडी थाना गढ़िया रंगीन जिला शाहजहांपुर ने बलात्कार की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज न करने तथा थानाध्यक्ष गढ़िया रंगीन के द्वारा किये गये अभद्र व्यवहार विषयक शिकायती प्रार्थना-पत्र पुलिस महानिदेशक, लखनऊ अपर पुलिस महानिदेशक, बरेली मण्डल को दिनांक 12-4-02 को रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजा गया था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

प्रश्नगत मामले में थाना गढ़िया रंगीन शाहजहांपुर पर पंजीकृत मु०अ०सं०–85/02 धारा 376 भादवि में विवेचनोपरान्त समस्त अभियुक्तों को गिफ्तार कर आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है ।

प्रश्नगत मामले में तत्समय नियुक्त रहे थानाध्यक्ष गढ़िया रंगीन श्री अमर सिंह के विरुद्ध उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों की दण्ड एवं अपील नियमावली 1991 के अन्तर्गत 14(2) के तहत सम्पन्न की कयी कार्यवाही में श्री अमर सिंह को दोषमुक्त किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

83–श्री संजय गर्ग–

[ मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ]

84–श्री संजय गर्ग–

[ मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ]

**होमगार्ड विभाग में सृजित पद पर नियुक्त संख्या से अधिक आई०पी०एस० संवर्ग के अधिकारियों को वापस करने व उन पर व्यय धनराशि के विवरण की जानकारी**

85–डा० पूर्णमासी देहाती–

क्या होमगार्ड मंत्री को जानकारी है कि होमगार्ड विभाग में आई०पी०एस० संवर्ग के दो ही पद सृजित हैं ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि वर्तमान समय में दो आई०पी०एस० अधिकारियों की जगह 04 आई०पी०एस० अधिकारी तैनात किये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या बिना पद सृजन के उक्त नियुक्तियां नियम संगत हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त दो अतिरिक्त आई०पी०एस० अधिकारियों एवं उनसे सम्बद्ध स्टाफ टेलीफोन तथा वाहन पर वित्तीय वर्ष 2002–2003 में कितना व्यय किया गया ? क्या यह व्यय होमगार्ड विभाग द्वारा वहन किया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार सृजित पद संख्या से अधिक तैनात दो आई०पी०एस० संवर्ग के अधिकारियों को होमगार्ड विभाग से वापस करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

होमगार्ड्स, सैनिक कल्याण प्रान्तीय रक्षा दल मंत्री (श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी)–

जी हां । यह समादेष्टा, होमगार्ड्स एवं डिप्टी कमाण्डेण्ट जनरल, होमगार्ड्स (पुलिस उप-महानिरीक्षक) पद हेतु दो आई०पी०एस० संवर्ग के पद सृजित हैं ।

जी हां । पुलिस महानिरीक्षक, होमगार्ड्स तथा टु स्टाफ आफिसर "कमाण्डेट जनरल, होमगार्ड्स" के पद पर भी आई०पी०एस० अधिकारी तैनात है ।

अन्य दो आई०पी०एस० अधिकारी निसंवर्गीय पदों के प्रचलन के आधार पर तैनात हैं ।

दो अतिरिक्त आई०पी०एस० संवर्ग के अधिकारियों से सम्बद्ध स्टाफ, टेलीफोन तथा वाहन पर वित्तीय वर्ष 2002-2003 में होमगार्ड्स विभाग द्वारा कुल रुपया 12,88,628/- व्यय किया गया है ।

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

संवर्गीय पदों के सापेक्ष निसंवर्गीय पदों का सृजन राज्य सरकार द्वारा आवश्यकतानुसार दिये जाने एवं प्रशासनिक तथा जनहित के कारण ।

**उत्तर प्रदेश के सरकारी/अर्धसरकारी, विभागों में तैनात प्राइवेट सुरक्षा गार्डों के स्थान पर होमगार्डों को तैनात करने की मांग**

86–डा० पूर्णमासी देहाती–

क्या होमगार्ड मंत्री को जानकारी है कि उ०प्र० में एक लाख अट्ठारह हजार होमगार्डों में से मात्र 20–25 हजार होमगार्डों को ही प्रतिमाह ड्यूटी मिल पा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार सभी

सरकारी/अर्धसरकारी विभागों में कार्यरत प्राइवेट सुरक्षा गार्डों की तैनाती को प्रतिबन्धित करते हुए वहां पर होमगार्ड जवानों की तैनाती की व्यवस्था करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी–

उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स संगठन में कुल 1,17,889 होमगार्ड्स स्वयं सेवक नियुक्त है, जिनमें से अधिकतम 24,600 की संख्या के अन्तर्गत प्रति दिवस ड्यूटियों पर नियोजित किये जाते हैं । इस निर्धारित संख्या से अतिरिक्त आवश्यकता पर होमगार्ड्स स्वयंसेवकों को संख्या की स्वीकृत कमाण्डेण्ट जनरल, होमगार्ड्स, उ०प्र० के स्तर से स्वीकार होती है ।

शासनादेश सं०–1336/छः नामु-2001-390होगा/97,दिनांक 23-7-2001 द्वारा निर्देशित किया जा चुका है कि सार्वजनिक उद्यमों/विभागों/संस्थाओं में सुरक्षागार्ड की आवश्यकता होने पर होमगार्ड्स विभाग के प्रशिक्षित स्वयं सेवकों को निर्धारित ड्यूटी भत्ता पर लिया जाये ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**होमगार्ड विभाग में अधिकारियों/कर्मचारियों की भांति तृतीय श्रेणी लिपिक संवर्ग के कर्मचारियों को धुलाई भत्ता दिये जाने का मांग**

87–डा० पूर्णमासी देहाती–

क्या होमगार्ड मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि होमगार्ड विभाग के तृतीय श्रेणी लिपिकीय संवर्ग के कर्मचारियों को वर्दी एवं सभी श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों को धुलाई भत्ता दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार होमगार्ड संगठन के तृतीय श्रेणी के लिपिकीय कर्मचारियों को वर्दीधारी संवर्ग घोषित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बह्माशंकर त्रिपाठी–

होमगार्ड विभाग के तृतीय श्रेणी लिपिकीय संवर्ग के कर्मचारियों को वर्दी अनुमन्य नहीं है ।

होमगार्ड्स संगठन के अन्तर्गत समूह–"क" एवं "ख" के अधिकारियों को रु० 60/- प्रतिमाह तथा वैतनिक निरीक्षक व वैतनिक प्लाटून कमाण्डर को रु० 20/- प्रतिमाह तथा बी०ओ० हवलदार प्रशिक्षक व क्वाटर गार्ड होमगार्ड को रु० 10/- प्रतिमाह धुलाई भत्ता प्रदान किया जा रहा है ।

प्रश्न हीं नही उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

विभागीय नियमों/विनियमों में ऐसी कोई व्यवस्था न होने के कारण वर्दीधारी घोषित किये जाने का औचित्य नहीं है ।

88–श्री शारदानन्द अंचल–

[ मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ]

**जनपद रायबरेली, थाना सरैनी के निवासी पूरे लाल साहब निसगर की श्रीमती विन्देश्वरी द्वारा दर्ज मुकदमें में आरोप-पत्र दाखिल किये जाने सम्बन्धी जानकारी**

89–श्री आनन्द सेन–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती विन्देश्वरी पत्नी श्री गोविन्द दलित, निवासी पूरे लाल साहब निसगर–थाना–सरैनी जनपद–रायबरेली द्वारा 3(1)xएस०सी०एस०टी० ऐक्ट के अन्तर्गत मुकदमा अपराध संख्या–83/2001, आई०पी०सी० की धारा–326/504 थाना–सरैनी में दर्ज कराया गया है ? उक्त मुकदमें में कुल कितने व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

विवेचनोपरान्त कुल तीन व्यक्तियों, बुद्धीलाल यादव पुत्र गंगाराम यादव के विरुद्ध दिनांक 23-10-2001 को तथा गया रतन पुत्र राम औतार यादव एवं उमाकान्त शुक्ला पुत्र शंकर दयाल के विरुद्ध आरोप-पत्र दिनांक 14-12-2001 को न्यायालय प्रेषित किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

90–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

[ आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ]

**जनपद लखीमपुर खीरी, गोला डिपो के श्री राम प्रकाश गुप्ता बुकिंग क्लर्क के समस्त देयों के भुगतान सम्बन्धी जानकारी**

91–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोला डिपो जनपद–लखीमपुर खीरी से दिनांक 31–1–2000 को सेवानिवृत्ति हुए श्री राम प्रकाश गुप्ता बुकिंग क्लर्क के समस्त देयों का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री कुंवर रेवती रमण सिंह–

जी नहीं ।

श्री राम प्रकाश गुप्ता, बुकिंग क्लर्क दिनांक 31-1-2000 को सेवानिवृत्त हुए थे इन्हें ग्रेच्युटी की धनराशि रु० 1,14,720.00 सामूहिक बीमे की धनराशि रु० 14,397.00 एवं ई०पी०एफ० की धनराशि रु० 2,34,508.00 का भुगतान किया जा चुका है ।

श्री गुप्ता को देय नकदीकरण रु० 35,834.00 एवं पंचम वेतनमान एरियर रु० 19,944.25 का भुगतान अवशेष हैं ।

नकदीकरण की धनराशि का भुगतान पुत्र/पुत्री की शादी, उच्च शिक्षा एवं गम्भीर बीमारी की दशा में कार्य योजना के अनुसार प्राथमिकता पर करने का प्राविधान किया गया है । पंचम वेतनमान के अवशेष का भुगतान निगम की वित्तीय स्थिति ठीक न होने के कारण अभी नहीं किया जा रहा है ।

92–श्री संजय गर्ग–

[ मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ]

93–श्री संजय गर्ग–

[ मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ]

94–श्री संजय गर्ग–

[ मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ]

95–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

[ मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ]

96–श्री कमाल यूसुफ मलिक–

[ मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ]

97–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

[ मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ]

98–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

[ मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ]

**जनपद मैनपुरी थाना बेवर के कतिपय लोगों के विरुद्ध पंजीकृत मुकदमें में शातिर अपराधियों पर पोटा लगाये जाने की मांग**

99–श्री आलोक कुमार शाक्य–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद मैनपुरी में थाना बेवर व मैनपुरी में शिवराज सिंह चौहान उर्फ पी०टी०आई० विजेन्द्र उर्फ भल्लू व करन किशनपुर गढ़िया बेवर के विरुद्ध किन–किन धाराओं में कितने मुकदमें पंजीकृत हैं, उनके कितने मुकदमों में चार्जशीट लगाई गयी है ? क्या सरकार ऐसे शातिर अपराधियों को पोटा के अन्तर्गत निरुद्ध करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

शिवराज सिंह चौहान उर्फ पी०टी०आई० विजेन्द्र उर्फ भल्लू व करन उर्फ करू के विरुद्ध क्रमशः 52, 20 व 18 मुकदमें पंजीकृत हैं । शिवराज सिंह चौहान उर्फ पी०टी०आई० के विरुद्ध 37, विजेन्द्र उर्फ भल्लू के विरुद्ध 14 तथा करन उर्फ करू के विरुद्ध 12 मुकदमों में चार्जशीट लगायी जा चुकी है ।

आतंकवादी निवारण अधिनियम (पोटा) के अन्तर्गत निरुद्ध किये जाने का कोई आधार न होने की दशा में उक्त अपराधियों को पोटा के अन्तर्गत निरुद्ध किये जाने का कोई औचित्य नहीं है ।

100–श्री संजय गर्ग–

[ मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ]

101–श्री संजय गर्ग–

[ मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ]

102-श्री कमाल यूसुफ मलिक-

[ मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ]

**प्रदेश में पोटा के अन्तर्गत निरुद्ध अपराधियों का विवरण**

103-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्तमान समय में कितने अपराधी पोटा के अन्तर्गत निरुद्ध हैं, तथा उनका अपराधिक इतिहास क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

प्रदेश में वर्तमान समय में 28 अपराधी पोटा के अन्तर्गत निरुद्ध हैं । इनमें से 08 अपराधी लश्कर-ए-तोइबा, 05 अपराधी हिजबुल मुजाहिद्दीन, 03 अपराधी जैश-ए-मोहम्मद, 09 अपराधी आई०एस०आई० सम्बन्धी गतिविधियों में संलिप्त हैं । शेष 03 अपराधी प्रतिबंधित शस्त्रों की बरामदगी से सम्बन्धित हैं जिनमें से एक के विरुद्ध 50, दूसरे के विरुद्ध 37 तथा तीसरे के विरुद्ध 32 आपराधिक मामले दर्ज हैं ।

**जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड रुदौली में गत वर्ष विकास कार्यों में अनियमितता का प्रकरण**

104-श्री अब्बास अली जैदी-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड रुदौली में कराये जा रहे निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष 2002-2003 में अवर अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा से न कराकर अवर अभियन्ता, लघु सिंचाई द्वारा कराकर भारी अनियमितताएं की गई हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी-

जी नहीं । कार्याधिक्य के कारण कतिपय कार्य अवर अभियन्ता, लघु सिंचाई द्वारा कराया गया है । उक्त कार्यों में कोई अनियमितता प्रकाश में नहीं आयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

105-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

[ आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ]

106-श्री आर०के० चौधरी-

[ मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ]

107-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

[ मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ]

108-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

[ मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ]

**जनपद गोण्डा में पूर्वांचल विकास निधि से विगत वर्षों में आवंटित धनराशि का विवरण**

109–श्री राम विशुन आजाद–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा को पूर्वांचल विकास निधि के राज्यांश से वर्ष 2001–02, 2002–03 में कितना धन आवंटित किया गया ? आवंटित धनराशि में से विधान सभा क्षेत्र मनकापुर के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद गोण्डा को पूर्वांचल विकास निधि के राज्यांश से वर्ष 2001-02, एवं 2002-03 में क्रमशः रु० 94.907 लाख एवं रु० 230.50 लाख आवंटित किया गया था ।

आवंटित धनराशि में से विधान सभा क्षेत्र मनकापुर के लिए कोई धनराशि आवंटित नहीं की गयी ।

पूर्वांचल विकास निधि राज्यांश के अन्तर्गत औचित्यपूर्ण प्रस्तावों पर ही विचार किया जाता है ।

110–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

[ मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ]

111–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

[ मा० सदस्य द्वारा वापस लिया गया ]

112–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

[ मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ]

113–श्री शारदा नन्द अंचल –

[ मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ]

**जनपद शाहजहांपुर से लापता चौकीदार श्री दिलासा राम के प्रकरण की जांच**

114–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 9-6-98 को या इसके आस-पास जो श्री दिलासा राम चौकीदार थाना मदनापुर जिला शाहजहांपुर जनपद मेरठ से लापता होने के संबंध में प्राप्त हुआ है ? क्या यह सही है कि मुख्यमंत्री जी ने दिनांक 9-6-98 को जिलाधिकारी, शाहजहांपुर को जांच के लिये आदेशित किया था ? यदि हां, तो जिलाधिकारी शाहजहांपुर द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जिलाधिकारी द्वारा श्री दिलासा राम, चौकीदार के गायब होने के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, शाहजहांपुर से जांच करायी गयी जांच से यह ज्ञात हुआ है कि श्री दिलासा राम मानसिक सन्तुलन बिगड़ जाने के कारण स्वयं जनपद दतिया, मध्य प्रदेश चला गया था जो अब अपने घर वापस आ गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद शाहजहांपुर, थाना जैतीपुर के ग्राम माडर के राजवीर पुत्र डम्बर लाल जाटव द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर कार्यवाही किये जाने विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की मांग**

115–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजवीर पुत्र डम्बर लाल जाटव निवासी ग्राम माडर थाना जैतीपुर, जनपद शाहजहांपुर द्वारा लूटपाट तथा बलात्कार की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर कार्यवाही किये जाने के संबंध में प्रार्थना पत्र रजि० डाक द्वारा दिनांक 18-5-02 को मा० मुख्य मंत्री, पुलिस महानिदेशक, लखनऊ प्रमुख सचिव (गृह) पुलिस महानिरीक्षक, हरिजन प्रकोष्ठ, उ० प्र० शासन, लखनऊ तथा पुलिस अधीक्षक, शाहजहांपुर को भेजे थे, प्राप्त हुए ? यदि हां, तो उपरोक्त पत्रों पर कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

श्री राजवीर सिंह पुत्र श्री डम्बर लाल जाटव, निवासी ग्राम–माडर द्वारा दिनांक 8-5-2002 को थाना जैतीपुर पर लूटपाट की सूचना दी गयी तथा पुलिस उप महानिरीक्षक, बरेली परिक्षेत्र को दिनांक 9-5-2002 को शिकायती-पत्र दिया गया है ।

श्री राजवीर पुत्र श्री डम्बर लाल जाटव द्वारा थाना जैतीपुर पर दी गयी उक्त सूचना के आधार पर मु०अ०सं०–60/02 धारा 380 पंजीकृत कर तीनों नामित अभियुक्तों को दिनांक 9-5-02 को जेल भेजा गया तथा दिनांक 14-5-02 को मा० न्यायालय में आरोप-पत्र प्रेषित किया गया । आवेदक द्वारा लगाये गये बलात्कार सम्बन्धी आरोपों को प्रारम्भिक जांच क्षेत्राधिकारी, तिलहर द्वारा की गयी । जांच से आरोपों की पुष्टि नहीं हुई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

116–श्री इकबाल महमूद–

[ मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ]

**जनपद इटावा के जिलाधिकारी द्वारा जारी शस्त्र लाइसेंस का विवरण**

117–श्री आलोक कुमार शाक्य–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इटावा में वर्तमान जिलाधिकारी द्वारा कितने शस्त्र लाइसेंस फरवरी, 2003 से मई, 2003 तक जारी किये गये हैं ? उसका विवरण क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद इटावा में तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा माह फरवरी, 2003 से मई, 2003 तक 235 शस्त्र लाइसेंस स्वीकृत/निर्गत किये गये ।

उनमें से 35 शस्त्र लाइसेंस एस०बी०बी०एल०, गन हेतु, 78 डी०बी०बी०एल० गन हेतु, 45 रायफल हेतु 77 लाइसेंस रिवाल्वर/पिस्टल हेतु स्वीकृत/निर्गत किये गये हैं ।

118–श्री संजय गर्ग–

[ मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ]

119–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

[ मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ]

**जनपद मैनपुरी के ब्लाक सुल्तानगंज व बेवर में अम्बेडकर योजना में गत वर्ष उपलब्ध कराये गये आवास का विवरण**

120–श्री आलोक कुमार शाक्य–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि अम्बेडकर योजना के अन्तर्गत जनपद–मैनपुरी के ब्लाक सुल्तानगंज व ब्लाक बेवर में कितने लोगों को वर्ष 2002-2003 में उक्त योजना के अन्तर्गत आवास उपलब्ध कराये गये हैं ? यदि हां, तो उनका विवरण क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । वर्ष 2002-03 में अम्बेडकर ग्रामों में जनपद मैनपुरी के विकास खण्ड सुल्तानगंज के 21 अम्बेडकर ग्रामों में 143 इन्दिरा आवास व 13 प्रधान मंत्री आवास योजना के अन्तर्गत कुल 156 आवास निर्मित कराये गये हैं । इसी प्रकार विकास खण्ड बेवर के 23 अम्बेडकर ग्रामों में 201 एवं इन्दिरा आवास, 102 प्रधान मंत्री योजना के अन्तर्गत कुल 303 आवास निर्मित कराये गये हैं ।

ग्रामवार विवरण संलग्न है । †

† देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ 93-94 पर ।

**जनपद गोण्डा बभनान शुगर मिल के प्रदूषण से निकटवर्ती ग्रामों में कथित बीमारियों की जांच**

121–श्री राम विशुन आजाद–

क्या पर्यावरण मंत्री को जानकारी है कि जनपद–गोण्डा के बभनान शुगर मिल से निकलने वाली राख एवं धुंआ से निकटवर्ती गांवों बभनान, बभनी, करनपुर, महरागौरा, डढौवां मेहनियां में सांस एवं आंखों की बीमारियां फैला रही हैं ? यदि हां, तो सरकार इसकी जांच कराकर उक्त बीमारियों की रोकथाम हेतु कोई उपाय करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्यारे सिंह–

जी नहीं ।

मै० बलरामुर चीनी मिल लि०, यूनिट बभनान, गोण्डा एक चीनी इकाई है जो कि सीजनल उद्योग है । उद्योग में चार ब्यालरों पर वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था मल्टीसाइक्लोन व चिमनी स्थापित है । दिनांक 30-01-2003 को किये गये मानिटरिंग में पार्टिकूलेट की मात्रा–234.6, 238.4, 246.0 व 236.66 मिग्रा/नार्मल घनमीटर क्रमशः पाये गये, जो कि निर्धरित मानक 250 मिग्रा/नार्मल घनमीटर से कम है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

122–श्री अजीम भाई–

[1 ले गुरुवार के अता० प्र० सं०–151 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ]

**जनपद गोण्डा में चयनित अम्बेडकर ग्रामों में आवंटित धनराशि से अधूरे कार्य पूर्ण कराने विषयक जानकारी**

123–श्री राम विशुन आजाद–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा में वर्ष 1997-98 में चयनित अम्बेडकर ग्रामों के कार्यों को पूर्ण कराने हेतु वर्ष 2000-2001 में जनपद गोण्डा के लिए 119.23 लाख रुपये की धनराशि का आवंटन किया गया था ? यदि हां, तो उक्त क्या धनराशि से अधूरे कार्यों को पूरा कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां, वर्ष 1997-98 में चयनित अम्बेडकर ग्रामों के कार्यों को पूर्ण कराने के लिए वर्ष 2000-2001 में जनपद गोण्डा के लिए, जिला अम्बेडकर योजना में, 4.21 लाख रुपये तथा आर०ई०एस० के कार्यों हेतु रु० 54.05 लाख तथा शेष रु० 60.97 लाख जिला योजना के सामान्य कार्यों के लिए अर्थात् कुल रु० 119.23 लाख रुपये का आवंटन प्राप्त हुआ था ।

जी नहीं ।

चयनित जिन अधूरे अम्बेडकर ग्रामों के मार्ग का निर्माण पूरा कराया जाना था, उन ग्रामों की सूची किसी स्तर से वित्तीय वर्ष के समाप्ति तक प्राप्त न होने के कारण निर्माण कार्य आरम्भ न हो पाने की स्थिति में उक्त प्राप्त आवंटन प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग लखनऊ को समर्पित कर दिया गया था । यह भी उल्लेखनीय है कि गोण्डा जनपद में वर्ष 97-98 में चयनित सभी अम्बेडकर ग्रामों को दिनांक 31-3-2003 तक सम्पर्क मार्ग से जोड़ दिया गया है ।

**जनपद मैनपुरी में जारी शस्त्र लाइसेंसों का विवरण**

124–श्री आलोक कुमार शाक्य–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद–मैनपुरी में जनवरी, 2003 से मार्च 2003 तक कितने शस्त्र लाइसेंस निर्गत किए गये ? उनका विवरण क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद मैनपुरी में माह जनवरी, 2003 से मार्च, 2003 तक कुल 557 शस्त्र लाइसेंस स्वीकृत किये गये हैं ।

इन स्वीकृत लाइसेंसों में से 422 नवीन, 85 विरासत के आधार पर तथा 50 शस्त्र लाइसेंस हस्तान्तरण के आधार पर स्वीकृत किये गये हैं ।

**जनपद बलरामपुर के श्री हरि नारायण सहायक विद्युतकार प्रेक्षक की मृत्योपरान्त उनके आश्रित को सेवा में लिये जाने की मांग**

125–श्री अजीम भाई

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री हरि नारायण, सहायक विद्युत कार प्रक्षेत्र जनपद–बलरामपुर की मृत्यु सेवाकाल में दिनांक 20-12-2001 को हो गई थी ? क्या यह सही है कि उनकी पत्नी श्रीमती उमा देवी ने अपने पुत्र मनोज कुमार को मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजित करने

हेतु दि० 22-10-02 को प्रधान प्रबन्धक कार्मिक, परिवहन निगम, लखनऊ को प्रार्थना पत्र दिया था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर रेवती रमण सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

श्री मनोज कुमार मृतक आश्रित की शैक्षिक योग्यता कक्षा–8 उत्तीर्ण है । यह चतुर्थ श्रेणी पद हेतु अर्ह है । उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में चतुर्थ श्रेणी कर्मिकों की संख्या स्वीकृत पद से अधिक होने के कारण इस पद पर मृतक आश्रितों के सेवायोजन की कार्यवाही पूर्व से ही नहीं की जा रही थी और अब सार्वजनिक उद्यम अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–5वीआईपी/44-2-02-2/च०स०/88,दिनांक 11-07-2003 के द्वारा प्रदेश के ऐसे सार्वजनिक उपक्रम/निगम जो लाभप्रद की स्थिति मे नहीं है अर्थात् जिनमें संचित हानि है अथवा सरप्लस कर्मचारी हैं, उन सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों में उनके सेवक की सेवा काल में मृत्यु हो जाने की दशा में उनके आश्रित को सेवायोजन में लिए जाने की सुविधा को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है । इसलिए श्री मनोज कुमार (मृतक आश्रित) को मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजित किया जाना संभव नहीं है ।

उपरोक्तानुसार ।

## जनपद मैनपुरी के थानों और कोतवाली मे 3 वर्षों से तैनात पुलिस अधिकारा/कर्मचारियों के स्थानान्तरण का कथित प्रकरण

126–श्री आलोक कुमार शाक्य–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद मैनपुरी में थानों व कोतवाली में 3 वर्ष से अधिक समय से कितने थानाध्यक्ष व प्रभारी कोतवाली तथा कांस्टेबिल ऐसे हैं जो एक ही स्थान पर कार्यरत हैं ? क्या सरकार उक्त कर्मचारियों का अन्यत्र स्थानान्तरण करने पर विचार करेगी । यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद मैनपुरी में थानों व कोतवाली में 3वर्ष से अधिक समय से कोई भी थानाध्यक्ष व प्रभारी कोतवाली तथा कान्स्टेबिल कार्यरत नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

## जनपद गोण्डा के विकास खंड मनकापुर के रजवापुर सम्पर्क मार्ग का पूर्वांचल निधि द्वारा कराये गये कार्य के सम्बन्ध में जानकारी

127–श्री राम विशुन आजाद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मनकापुर जनपद–गोण्डा के अन्तर्गत विकास खण्ड मनकापुर में वर्ष 2000-2001 में सम्पर्क मार्ग रजवापुर पर पूर्वांचल निधि से पत्थर सोलिंग कुटाई का कार्य कराया गया था ? यदि हां, तो उक्त मार्ग को पुनः प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना में

चयन किया गया है ? क्या सरकार उसकी जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नही उठता ।

**जनपद गोण्डा थाना मनकापुर ग्राम मूसेगंज के श्री त्रिमोहन द्वारा थाना के सब इन्स्पेक्टर द्वारा फर्जी मुकदमा दर्ज करने विषयक प्राप्त शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी**

128–श्री राम विशुन आजाद–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद–गोण्डा के अन्तर्गत श्री त्रिमोहन निवासी ग्रा० मूसेगंज, पो० भिटौरा थाना मनकापुर जनपद–गोण्डा का शिकायती-पत्र जो उनके भाई को संबंधित थाना के सब इंस्पेक्टर द्वारा मारने-पीटने फर्जी मुकदमा दर्ज करने एवं जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने के संबंध में है ? मुख्य मंत्री कार्यालय के पत्र सं० सी० एम०/वि०को०/एम–70846/2002/25-10-02 के द्वारा एस० पी० गोण्डा को जांच एवं कार्यवाही करने के संबंध में भेजा गया था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

क्षेत्राधिकारी मनकापुर गोण्डा द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रतिपक्षी विनोद कुमार झा आवेदक त्रिमोहन का किरायेदार है । त्रिमोहन के भाई जंगली बरवार अपने साथियों के साथ दिनांक 8/9-9-02 को विपक्षी विनोद कुमार के मकान में नकब काटकर सामान निकालने लगे कि उसके घर वाले जाग गये और विरोध किया, परन्तु आवेदक के भाई जंगली बरवार व शिव करन सामान लेकर चले गये, मौके पर पहचान कर नामजद किया गया दूसरे दिन जगंली बरवार मय चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार किया गया, दूसरा अभियुक्त न्यायालय में हाजिर अदालत हुआ । थाने पर पंजीकृत मु०अ०स० 228/02 धारा 457/380 भा०द०वि० में धारा 411 भा०द०वि० की बढ़ोत्तरी की गयी । दोनों अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र संख्या–ए–119 दिनांक 27-9-02 को न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद शाहजहांपुर के ग्राम मझोला के खराब इण्डिया मार्का हैण्डपम्प ठीक कराने विषयक प्राप्त शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी**

129–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 14-8-2000 जो ग्राम मझोला आदि में खराब इण्डिया मार्का–ग्यारह हैण्डपम्पों को ठीक कराये जाने के संबंध में था, जिलाधिकारी, शाहजहांपुर को प्राप्त हुआ है ? क्या यह सही है कि जिलाधिकारी, शाहजहांपुर ने अपने पत्रांक 210 दिनांक 15-8-2000 को अधिशासी अभियन्ता, जल निगम, शाहजहांपुर को उपरोक्त पत्र पर आवश्यक

कार्यवाही के लिए आदेश दिया था ? यदि हां, तो उपरोक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी–

जी हां ।

जी हां ।

अधिशासी अभियन्ता जल निगम, शाहजहांपुर द्वारा ग्राम मझोला के खराब हैण्डपम्पों की मरम्मत कराकर उसे ठीक करा दिया गया है, जो वर्तमान में चालू हालत में है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

## उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबिलों को मिलने वाली नकदीकरण की सुविधा बहाल करने का प्रकरण

130–श्री आलोक कुमार शाक्य–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस के कांस्टेबिलों व पी० ए० सी० के कांस्टेबिलों को मिलने वाली नगदीकरण की सुविधा सन् 1998 से अनिश्चित काल के लिये रोक दी गयी है ? क्या सरकार पुनः नगदीकरण शुरू करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

समूह "ग" एवं "घ" के कर्मचारियों को सेवाकाल मे अनुमन्य अवकाश नगदीकरण को शासनादेश सं०–सा–4-966/दस–99-200/88, दिनांक 22-12-99 एवं शासनादेश सं०–सा–251/दस–2000-200/88, दिनांक 13-4-2000 द्वारा अग्रेतर आदेश तक स्थगित किया गया है । इसे फिलहाल बहाल किये जाने का औचित्य नहीं पाया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

## प्रदेश के पूर्व विधायकों को अनुमन्य रेल कूपन की सीमा को बढ़ाये जाने की मांग

131–श्री आलोक कुमार शाक्य–

क्या संसदीय कार्य मंत्री को जानकारी है कि पूर्व विधायकों को मात्र दस हजार रुपये का रेल कूपन अनुमन्य है ? क्या सरकार रेल किराया वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए रेल कूपन की सीमा बढ़ाये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रदेश की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए रेल कूपन की सीमा बढ़ाया जाना संभव नहीं है ।

132–श्री अम्बिका चौधरी–

[ मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ]

**जनपद व विधान सभा क्षेत्र फिरोजाबाद के गत वर्ष चयनित अम्बेडकर ग्राम को संतृप्त करने की जानकारी**

133–श्री अजीम भाई–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र फिरोजाबाद में वर्ष 2002-2003 तक कितने ग्राम अम्बेडकर ग्राम के रूप में चयनित किये गये हैं ? क्या सभी चयनित ग्राम पूर्ण रूप से सन्तृप्त कर दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो असंतृप्त ग्रामों को कब तक संतृप्त कर दिया जायेगा ?

श्री मुलयम सिंह यादव–

वर्ष 2002-03 तक जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र फिरोजाबाद में कुल 58 ग्रामों को अम्बेडकर ग्राम के रूप में चयनित किया गया है।

जी नहीं। उक्त 58 अम्बेडकर ग्रामों में से 35 अम्बेडकर ग्रामों को प्रमुख 11 विकास कार्यक्रमों से संतृप्त कर दिया गया है।

धनराशि उपलब्ध होने पर।

134–श्री राम करन आर्य–

[ मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ]

135–श्री राम करन आर्य–

[ मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ]

136–श्री संजय गर्ग–

[ मा० उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

137–श्री संजय गर्ग–

[ मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ]

138–श्री राम करन आर्य–

[ मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ]

139–श्री अम्बिका चौधरी–

[ मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ]

140–श्री राम करन आर्य–

[ मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ]

141–श्री राम करन आर्य–

[ मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ]

142–श्री राम करन आर्य–

[ मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ]

143–श्री राम करन आर्य–

[ मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया

**जनपद बरेली थाना फतेहगंज के ग्राम अस्तु नगला के श्री अहिबरन लाल के यहां पड़ी डकैती की जांच कराने विषयक मा० मुख्य मंत्री के आदेश पर जांच की कार्यवाही की जानकारी**

144–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री अहिबरन लाल निवासी ग्राम–अस्तूनगला थाना फतेहगंज पूर्वी बरेली के घर पर हुई डकैती की रिपोर्ट लिखकर जांच कराये जाने हेतु मा० मुख्य मंत्री जी ने दिनांक 6-3-03 को प्रमुख सचिव/सचिव गृह एवं गोपन को आदेश दिए थे ? यदि हां, तो क्या उक्त आदेश पर रिपोर्ट लिखकर उक्त मामले की जांच करा ली गयी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी हां ।

प्रकरण में थाना फतेहगंज पूर्वी बरेली पर पंजीकृत एन०सी०आर०नं०–9/03 धारा 323 भा०द०वि० की जांच के उपरान्त मु०अ०सं०–169/03 धारा 394 भा०द०वि० का अभियोग दिनांक 9-7-03 के थाना फतेहगंज पूर्वी, बरेली पर पंजीकृत किया गया था ।

अपराध के अस्वीकरण एवं एन०पी०आर० की जांच में विलम्ब से अभियोग पंजीकृत किये जाने के संबंध में तत्कालीन थानाध्यक्ष श्री बलजीत सिंह एवं हेड कां० प्रो० अमर सिंह को दोषी पाते हुये उ०प्र० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण की (दण्ड एवं अपील) नियमावली के नियम–14(2) के अन्तर्गत परिनिन्दा लेखा प्रदान किये जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

145–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

[ मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ]

146–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

[ मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ]

147–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

[ मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ]

**जनपद इलाहाबाद के तहसील–बारा ब्लाक–जसरा के ग्राम सभा ओझा पट्टी तथा मानपुर के मध्य मार्ग का खडञ्जा स्तर तक पुनः निर्माण कराये जाने की सरकार से मांग**

148–श्री सोमारू राम सरोज–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के प्रथम बुधवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–70 के उत्तर के संदर्भ में क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नगत मार्ग के पुनर्निर्माण हेतु वर्ष 2002 में किस योजना के अन्तर्गत मिट्टी तथा गिट्टी डलवाने का कार्य कराया गया ? क्या यह सही है कि उक्त मिट्टी व गिट्टी के अपूर्ण कार्य कराये जाने के कारण जगह-जगह पर गहरे गड्ढे हो गये हैं जिससे आवागमन में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग के अपूर्ण कार्य को पूर्ण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

149–श्री संजय गर्ग–

[ मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ]

150–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

[ मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ]

151–श्री शाहिद मंजूर–

[ मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ]

(समय 12 बजकर 20 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः प्रारम्भ हुई)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले मेरी बात सुन लें .....

श्री अध्यक्ष–

माननीय मौर्य जी अभी निधन के निदेश हैं, पहले मद संख्या–4 को ले लेने दें ।

**उत्तर प्रदेश विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री हिम्मत बहादुर सिंह, श्री राम किंकर, श्री रघुनाथ सिंह, श्री राम हर्ष सिंह, श्री ओम प्रकाश तथा कुंवर सत्यवीर के निधन पर शोकोद्गार**

श्री अध्यक्ष–

उत्तर प्रदेश विधान सभा के छः भूतपूर्व सदस्यों के निधन होने की सूचना विधान सभा सचिवालय को प्राप्त हुयी है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री हिम्मत बहादुर सिंह का 13 मार्च, 2003 को निधन हो गया, वह लगभग 89 वर्ष के थे । श्री हिम्मत बहादुर सिंह का जन्म 27 अप्रैल, 1914 को हुआ था । इन्होंने बी०ए० तक शिक्षा ग्रहण की थी । श्री हिम्मत बहादुर सिंह वर्ष 1967 में निर्वाचन क्षेत्र चिरई गाँव जिला वाराणसी से कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे । यह कई

कोआपरेटिव सोसाइटीज के प्रबन्धक तथा अध्यक्ष रहे थे, यह जिला परिषद् वाराणसी के सदस्य तथा जिला सहकारी बैंक, वाराणसी के संचालक भी रहे थे । यह जिला सहकारी फेडरेशन के अध्यक्ष तथा जिला कांग्रेस कमेटी, वाराणसी के मंत्री रहे थे । श्री सिंह कई शिक्षा संस्थाओं से भी सम्बद्ध थे । श्री हिम्मत बहदुर सिंह के निधन से जनपद वाराणसी ने एक कुशल राजनीतिज्ञ शिक्षक योगी एवं समाजसेवी खो दिया है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के ही भूतपूर्व सदस्य श्री राम किंकर का 12 सितम्बर, 2003 को प्रातः नई दिल्ली में निधन हो गया था । वे लगभग 81 वर्ष के थे । श्री राम किंकर का जन्म 2 जनवरी, 1922 को ग्राम-सराय रजई, तहसील पट्टी, जिला प्रतापगढ़ में हुआ था, इन्होंने बी०ए०, एल०एल०बी० तक शिक्षा ग्रहण की थी । श्री राम किंकर सर्वप्रथम वर्ष 1952 में निर्वाचन क्षेत्र प्रतापगढ़ जिला प्रतापगढ़ से कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे । तत्पश्चात् वे वर्ष 1957, 1962 तथा 1967 में पुनः कांग्रेस तथा वर्ष 1969 में भारतीय क्रान्तिदल से विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे । वे वर्ष 1977 से 1984 तक लोक सभा के सदस्य भी रह चुके थे । श्री राम किंकर एक कर्मठ नेता एवं समर्पित समाजसेवी थे, वे पिछड़ी जातियों एवं हरिजनों के उत्थान कार्य में सक्रिय रूप से भाग लेते रहते थे । वे श्री चरण सिंह मंत्रि-मण्डल एवं श्री त्रिभुवन नारायण सिंह मंत्रि-मण्डल में मंत्री पद पर रह चुके थे । वे केन्द्र सरकार में भी मंत्री पद पर रह चुके थे । वे उत्तर प्रदेश पासी महासभा के सभापति रहे थे । श्री राम किंकर के निधन से जिला प्रतापगढ़ ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री रघुनाथ सिंह का 26 सितम्बर, 2003 को आगरा में निधन हो गया । वह लगभग 71 वर्ष के थे । श्री रघुनाथ सिंह का जन्म 4 जुलाई, 1932 को ग्राम-जैताना, जिला-आगरा मे हुआ था, उन्होंने बी०ए० एल०एल०बी० तक शिक्षा ग्रहण की थी । श्री रघुनाथ सिंह सर्वप्रथम वर्ष 1967 में निर्वाचन क्षेत्र फतेहपुर सीकरी, जिला आगरा से जनसंघ के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे । तत्पश्चात् वे वर्ष 1969 में भारतीय क्रान्ति दल के टिकट पर पुनः विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे । श्री सिंह एक योग्य एवं कुशल नेता थे । वे जाट छात्रावास, आगरा के सुपरिंटेन्डेन्ट तथा जाट महासभा, आगरा के खजांची भी रह चुके थे, वे हाईस्कूल, दुलहारा, आगरा की प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष भी रह चुके थे । वे श्री त्रिभुवन नारायण सिंह मंत्रि-मण्डल में उप मंत्री रह चुके थे । खेलकूद में उनकी विशेष रुचि थी । श्री सिंह के निधन से जिला आगरा ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाज सेवी खो दिया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री राम हर्ष सिंह का 26 सितम्बर, 2003 को लखनऊ में निधन हो गया । वे लगभग 63 वर्ष के थे । श्री राम हर्ष सिंह का जन्म 10 अगस्त, 1940 को हुआ था, उन्होंने हाईस्कूल तथा बी०टी०सी० की शिक्षा ग्रहण की थी । श्री राम हर्ष सिंह वर्ष 1996 में निर्वाचन क्षेत्र अमेठी, जिला सुल्तानपुर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टिकट पर तेरहवीं विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । श्री राम हर्ष सिंह ने वर्ष 1964 से 1983 तक अध्यापन कार्य किया । इस अवधि में वे वर्ष 1978 से 1981 तक अध्यक्ष, जनपदीय प्राथमिक शिक्षक संघ एवं अध्यक्ष, राज्य कर्मचारी-शिक्षक महासंघ, सुल्तानपुर भी रहे थे । वे वर्ष 1983-1996 तक विकास खण्ड भेटुआ के प्रमुख भी रहे थे । उन्होंने श्रीमती यशोदा देवी कन्या इन्टर कालेज नौगिरवा की स्थापना की तथा जीवनपर्यन्त

इसके प्रबन्धक रहे । श्री सिंह सार्वजनिक जीवन में सदैव जनकल्याण के कार्यों में लगे रहते थे । श्री राम हर्ष सिंह के निधन से जिला सुल्तानपुर ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया है ।

इसी उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री ओम प्रकाश का 25 अक्टूबर, 2003 को हृदयगति रुक जाने के कारण निधन हो गया । वे लगभग 51 वर्ष के थे । श्री ओम प्रकाश का जन्म 12 जुलाई, 1952 को हुआ था । उन्होंने इण्टरमीडिएट तक शिक्षा ग्रहण की थी । श्री ओम प्रकाश वर्ष 1991 में निर्वाचन क्षेत्र हसवां, जिला फतेहपुर से जनता दल के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे । श्री ओम प्रकाश ने चौधरी चरण सिंह जी की प्रेरणा से वर्ष 1980 में राजनीति में प्रवेश किया था, वे अपने क्षेत्र के विकास के लिये सदैव प्रयत्नशील रहते थे । समाज सेवा में उनकी रुचि थी । श्री ओम प्रकाश के निधन से जिला फतेहपुर ने एक कुशल राजनीतिज्ञ जागरूक किसान एवं समाजसेवी खो दिया है ।

श्री अध्यक्ष–

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य कुंवर सत्यवीर का 2 नवम्बर, 2003 को निधन हो गया । वे लगभग 92 वर्ष के थे ।

कुंवर सत्यवीर का जन्म 12 दिसम्बर, 1911 को हुआ था । उन्होंने लन्दन यूनिवर्सिटी से बी०ए० आनर्स किया था ।

कुंवर सत्यवीर सर्वप्रथम वर्ष 1962 में निर्वाचन क्षेत्र बिजनौर, जिला बिजनौर से कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे । तत्पश्चात् वे वर्ष 1967 में कांग्रेस तथा वर्ष 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर तीसरी बार विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे ।

कुंवर सत्यवीर श्री राम नरेश यादव मंत्रि-मण्डल में प्राविधिक शिक्षा विभाग के राज्य मंत्री रह चुके थे । संगीत, कविता, अध्ययन एव कृषि में उनकी विशेष रुचि थी ।

कुंवर सत्यवीर के निधन से जिला बिजनौर ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया ।

उपरोक्त सभी भूतपूर्व सदस्यों के निधन से हम सब दुःखी हैं । आपकी संवेदनाओं को मैं उनके परिवारों तक पहुंचा दूंगा । दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिए हम सब दो मिनट खड़े होकर मौन धारण करें ।

(दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिए सदन में दो मिनट का मौन धारण किया गया )

श्री अध्यक्ष–

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें ।

**प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब होने से उत्पन्न स्थिति विषयक सूचना को सर्वप्रथम लिए जाने की मांग (क्रमागत)**

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, आज साम्प्रदायिकता की आग में पूरा प्रदेश झुलस रहा है । लोगों की हत्याएं हो रही हैं ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मौर्य जी माननीय नेता प्रतिपक्ष खडे हुए हैं कृपया धैर्य धारण करने का कष्ट करें ।

* नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)–

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश साम्प्रदायिक दंगों की चपेट में हैं । राज्य सरकार साम्प्रदायिक सद्भाव स्थापित करने में असफल हुयी है । ज्यादातर मामलों में राज्य सरकार ने अराजक तत्वों और दंगाइयों की ही पैरवी की है । दंगाई दण्डित नहीं हुये, निर्दोष मारे जा रहे हैं । राज्य प्रशासन निर्दोषों को ही उत्पीड़ित कर रहा है । जेल भेज रहा है । अलीगढ़, मेरठ, बस्ती, आजमगढ़, आगरा वाराणसी, देवरिया आदि जनपदों में दंगा नियंत्रण के काम में राज्य सरकार बुरी तरह से असफल रही है । प्रदेश के अनेक स्थान कर्फ्यूग्रस्त हैं ।

अलीगढ़ में 8 नवम्बर को महिलाओं के साथ भी पुलिस ने दुर्व्यवहार किया । सांसद मा० शीला गौतम को भी गिरफ्तार किया गया । जबकि अलीगढ़ के मामले में सारी गलती प्रशासन की है । पूर्ववर्ती सरकार के समय जिला प्रशासन ने पूरे प्रकरण को सुलह पत्र के जरिए निस्तारित भी कर दिया था परन्तु वर्तमान सरकार ने इस पूरे मामले को फिर से भड़काया ।

प्रदेश के सभी जनपदों की स्थिति ऐसी ही है । सरकार नाम की चीज कहीं है ही नहीं । घोर अराजकता है । घोर जनरोष है । इसलिए समूचा प्रकरण अविलम्बनीय लोग महत्व का है ।

अतः हमारा अनुरोध हैं कि अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर नियम–311 का अनुसरण करते हुए नियमों का निलम्बन करा कर इस विषय पर चर्चा कराने की कृपा करें ।

मान्यवर, इस पर अपनी व्यवस्था दे दें ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज प्रदेश में इस समय नहीं रह गई है । मान्यवर, उत्तर प्रदेश की इस सबसे बड़ी पंचायत में इस पर चर्चा नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा ? आप कार्यवाही को स्थगित करा के इस पर चर्चा कराने की कृपा करें ।

श्री हुकुम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं केवल संक्षेप में अपनी बात रखना चाहता हूं ।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, इधर के सदस्यों ने भी सूचना दी है आप हमें भी सुने ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, आपने हमें कार्य स्थगन की इस सूचना पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए हम आभारी हैं ।

मान्यवर, आज हमारे लिए इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी ? नियम–311 में हम इस प्रस्ताव को लाये है । आज प्रदेश के सामने जो दंगे हुए हैं और दूसरी कितनी समस्याएं मुंह बाये खड़ी हैं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

कुछ औपचारिक कार्य हैं, कुछ चीजें सदन के पटल पर रखनी हैं और उसके बाद कार्य-मंत्रणा समिति की संस्तुति आयेगी, उसके बाद आपके विषय को ले लेंगे । उस समय पूरा समय रहेगा ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, औपचारिक कार्य आपका हो जाय, उसके बाद हमको बोलने का अवसर दे दें ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, अगर सदन का कार्य स्थगित करके इतने महत्वपूर्ण विषय पर जिस पर जनता त्राहि-त्राहि कर रही है उस पर चर्चा नहीं करायी जायेगी तो फिर इस नियम का कोई औचित्य नहीं है । हमारा नियम–311 में प्रस्ताव आया है जिसे हम नियम–56 में कह रहे हैं प्रदेश की जनता मान्यवर, कानून व्यवस्था के नाम पर त्राहि-त्राहि कर रही है और उस पर आप कार्यस्थगित करके चर्चा नहीं करा सकते तो फिर नियम–56 का क्या औचित्य है ?

श्री अध्यक्ष–

आपकी जो नियमावली है उसमें क्रमवार व्यवस्था है । कार्य-स्थगन की बात अगर है तो ऐसा नहीं है कि उसके बाद कार्य नहीं है । महत्वपूर्ण अध्यादेश सदन के पटल पर रखने है कार्य-मंत्रणा समिति की सूचना देनी है ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष अपने प्रस्ताव को पढ़ चुके थे, चूंकि पढ़ चुकने के उपरान्त आपने अनुमति दी थी, मेरे हस्ताक्षर हैं इसलिए मैंने आज्ञा चाही कि मुझको अवसर दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

आपको अवसर देगें ।

(मद संख्या–5 पुकारे जाने पर)

स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, पहले मुझे सुन लें ।

(व्यवधान)

[श्री उमाशंकर कुशवाहा, श्री ओम प्रकाश (ओ०पी०सिंह), श्री अनिल कुमार मौर्य, श्री राम शंकर पाल, श्री अनीस अहमद खां उर्फ फूल बाबू तथा श्री इलम सिंह आदि बहुजन समाज पार्टी के अनेक माननीय सदस्य सदन के फ्लोर पर आकर नारे लगाने लगे जिससे सदन में व्यवधान बना रहा ।]

(व्यवधान के मध्य)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

**उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश 2003 †**

संसदीय कार्य एवम् नगर विकास मंत्री (श्री मो० आजम खां)–

मैं माननीय अध्यक्ष की अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश, 2003 को सदन के पटल पर रखता हूं।

**उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश 2003 †**

संसदीय कार्य एवम् नगर विकास मंत्री (श्री मो० आजम खां)–

मैं माननीय अध्यक्ष की अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2003 को सदन के पटल पर रखता हूं।

**उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश 2003 †**

संसदीय कार्य एवम् नगर विकास मंत्री (श्री मो० आजम खां)–

मैं माननीय अध्यक्ष की अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन)(द्वितीय) अध्यादेश, 2003 को सदन के पटल पर रखता हूं।

**उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश 2003†**

संसदीय कार्य एवम् नगर विकास मंत्री (श्री मो० आजम खां)–

मैं माननीय अध्यक्ष की अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) द्वितीय अध्यादेश, 2003 को सदन के पटल पर रखता हूं।

**उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि(संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश 2003 †**

संसदीय कार्य एवम् नगर विकास मंत्री (श्री मो० आजम खां)–

मैं माननीय अध्यक्ष की अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 2003 को सदन के पटल पर रखता हूं।

**उत्तर प्रदेश व्यापार-कर (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश 2003 †**

संसदीय कार्य एवम् नगर विकास मंत्री (श्री मो० आजम खां)–

मैं माननीय अध्यक्ष की अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 2003 को सदन के पटल पर रखता हूं।

**सिविल प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश 2003 †**

संसदीय कार्य एवम् नगर विकास मंत्री (श्री मो० आजम खां)–

मैं माननीय अध्यक्ष की अनुज्ञा से सिविल प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 2003 को सदन के पटल पर रखता हूं।

**अपार्टमेन्ट (निर्माण, स्वामित्व और अनुरक्षण का संवर्धन) (तृतीय) अध्यादेश 2003 †**

संसदीय कार्य एवम् नगर विकास मंत्री (श्री मो० आजम खां)–

मैं माननीय अध्यक्ष की अनुज्ञा से अपार्टमेन्ट (निर्माण स्वामित्व और अनुरक्षण का संवर्धन) (तृतीय) अध्यादेश, 2003 को सदन के पटल पर रखता हूं।

---

नोटः– † छापे नहीं गये।

## उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश 2003 †

संसदीय कार्य एवम् नगर विकास मंत्री (श्री मो० आजम खां)–

मैं माननीय अध्यक्ष की अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन)(द्वितीय) अध्यादेश, 2003 को सदन के पटल पर रखता हूं।

## उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश 2003 †

संसदीय कार्य एवम् नगर विकास मंत्री (श्री मो० आजम खां)–

मैं माननीय अध्यक्ष की अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन)(द्वितीय) अध्यादेश, 2003 को सदन के पटल पर रखता हूं।

## उत्तर प्रदेश नगर निगम (तृतीय संशोधन)अध्यादेश 2003 †

संसदीय कार्य एवम् नगर विकास मंत्री (श्री मो० आजम खां)–

मैं माननीय अध्यक्ष की अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2003 को सदन के पटल पर रखता हूं।

## उत्तर प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश 2003 †

संसदीय कार्य एवम् नगर विकास मंत्री (श्री मो० आजम खां)–

मैं माननीय अध्यक्ष की अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2003 को सदन के पटल पर रखता हूं।

## उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय लेखानुदान) विधेयक, 2003 †

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

मैं माननीय अध्यक्ष की अनुज्ञा से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय लेखानुदान) विधेयक, 2003 पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 17 सितम्बर, 2003 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 17 सितम्बर, 2003 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 18 सितम्बर, 2003 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2003 का उत्तर प्रदेश का छठा अधिनियम बन गया।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आज नियम-300 की सूचनाएं नहीं ली जायेंगी।

---

नोटः– † छापे नहीं गये।

श्री अध्यक्ष–

इसमें कुछ नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

इसमें कुछ नहीं है ।

(बहुजन समाज पार्टी के वेल में आये हुये माननीय सदस्यों द्वारा लगातार नारेबाजी करते रहने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया शान्त रहें । कार्य-मंत्रणा समिति की रस्तुति हो जाने दें ।

**"उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें" विषयक प्रस्ताव**

श्री अध्यक्ष–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने दिनांक 7 नवम्बर, 2003 को हुई अपनी बैठक में सदन के दिनांक 10 नवम्बर, 2003 से 2 दिसम्बर, 2003 तक के उपवेशनों के कार्यक्रम पर विचार किया और यह संस्तुति की कि :–

(1) प्रत्येक उपवेशन में शून्य प्रहर की अवधि प्रश्नकाल के उपरान्त अपराह्न 2.00 बजे तक रहे,

(2) प्रत्येक उपवेशन में सदन की कार्यवाही पूर्वाह्न 11.00 बजे से प्रारम्भ होकर अपराह्न 6.00 बजे तक चले,

(3) दिनांक 10 नवम्बर, 2003 का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखा जाय :–

1–निधन के निर्देश,

2–औपचारिक कार्य, यथा अध्यादेशों, अधिसूचनाओं, नियमों आदि को सदन के पटल पर रखा जाय,

3– असरकारी दिवस ।

संसदीय कार्य एवम् नगर विकास मंत्री (श्री मो० आजम खां)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि "यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है ।"

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव, जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–21 में कुछ नहीं है ।

**नियम–311 की नियम–56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं**

(बहुजन समाज पार्टी के वेल में आये हुये माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गये )

श्री घनश्याम शुक्ल–

मान्यवर, कानून व्यवस्था के बारे में मेरी भी एक सूचना थी, उसे भी ले लीजिये ।

श्री अध्यक्ष–

घनश्याम शुक्ल जी की भी गोण्डा के बारे में कानून व्यवस्था के संबंध में एक सूचना है, इसी के साथ उसको भी सुन लेते हैं ।

* श्री हुकुम सिंह–

* मान्यवर, मैं केवल यह आग्रह करना चाहता हूं कि दो महीने से इस सरकार का गठन हुआ है और इन दो महीनों के कार्यकाल में इस सरकार ने जो व्यवस्थायें प्रदेश को दी हैं, उससे पूरे प्रदेश का साम्प्रदायिक माहौल बिगड़ चुका है । कोई जिला ऐसा नहीं बचा, जहां साम्प्रदायिक दंगों की साजिश न की गयी हो । बात बरेली से शुरू होती है और जाती है आगरा तक । बरेली से शुरू होने के बाद मेरठ को देखें अलीगढ़ को देखें आगरा को देखें, बस्ती को देखें, कोई जिला ऐसा नहीं बचा, जहां इस वक्त साम्प्रदायिक दंगे न हुये हों और कर्फ्यू न लगाया गया हो और जनता में त्राहि-त्राहि न मची हो । मैं कोई टीका-टिप्पणी नहीं करना चाह रहा हूं, केवल एक बात रखना चाह रहा हूं । आखिर ऐसा माहौल बना क्यों ? मान्यवर, यह एक सुनियोजित षडयंत्र था इस दल का कि कैसे तुष्टीकरण की नीति अपनाकर अल्पसंख्यकों के वोट बटोरे जा सकें । जहां-जहां दंगे हुये, वहां कर्फ्यू लगाने के बाद एक पक्षीय गिरफ्तारियां हो रही हैं । आप किसी भी नगर को देख लें । बी०जे०पी० के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न किया जा रहा है । आखिर यह किस तरह की सरकार है ? आपने बड़ी घोषणायें की और उत्तर प्रदेश विकास परिषद् का गठन कर दिया और कहा कि दो महीने में प्रदेश में विकास की गंगा बहा देगे । लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जब प्रदेश ही नहीं रहेगा तो विकास की गंगा बहायेगे कहां ? इस प्रदेश की शान्ति समाप्त हो जायेगी । मैं अलीगढ़ की तरफ खास तौर से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । हमारी पूर्व मुख्य मंत्री आज यहां पर नहीं हैं यदि वह यहां पर होती तो बहुत अच्छा होता । उन्होंने वहां पर एक समझौता कराया था, उस समझौते को तुड़वाया गया और जब कुछ लोगों ने उसका विरोध किया तो उनकी पिटाई की गयी, जेल में बन्द किया गया । यही नहीं हमारे नगर मण्डल की अध्यक्ष जो कि एक महिला थीं, उनको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद जिस प्रकार बर्बर बर्ताव उनके साथ किया गया, वह किसी लोकतंत्र में संभव नहीं है । हमारी सांसद सुश्री शीला गौतम, जो कि कई बार सांसद रह चुकी हैं, बुजुर्ग हैं, कम से कम यह सरकार बुजुर्गों का तो आदर करना सीख लेती ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

वह हार्ट पेसेन्ट हैं, केवल व्यक्तिगत दुराग्रह के कारण उनको जेल में ही नहीं बन्द किया गया बल्कि उन्हें आगरा ट्रांसफर कर दिया गया । जब सारा का सारा प्रशासन अत्याचार कर रहा था तब कुछ लोगों ने उनसे आग्रह किया कि आपका आदर है, आपका सम्मान है, कृपया आप चलिये और शान्ति स्थापित कीजिए । प्रशासन ने उनके लिए कर्फ्यू पास जारी किया और पास जारी करने के बाद कुछ लोगों के इशारे पर केवल व्यक्तिगत दुराग्रह के कारण उनको जेल में बन्द कर दिया गया । यह सरकार, इसका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है । इस सरकार का एक सूत्री कार्यक्रम ही यही है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं को कैसे जेल भेजा जाय ? ऐसी स्थिति में हम ऐसी सरकार पर कैसे विश्वास करें मान्यवर, प्रदेश में शान्ति नहीं रहेगी तो कोई विकास कार्य करना संभव नहीं हो पायेगा । केवल कुछ लोग अपने वोटों को पक्का करने के लिए तुष्टीकरण की नीति अपना कर जनता पर अत्याचार करने के लिए कार्य कर रहे हैं । इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि ऐसे अविलम्बनीय और लोक महत्व के विषय पर कार्य स्थगित करके चर्चा करायी जाय नहीं तो इनका वजूद ही समाप्त हो जायेगा । यह प्रश्न जो शान्ति से जुड़ा है, अमन से जुड़ा है, इस पर निश्चित रूप से चर्चा करायी जाय, यह मेरा आपसे आग्रह है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मौर्या जी, आप अपनी बात रखें ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मेरी सूचना है ।

श्री अध्यक्ष–

आपकी सूचना दूसरी है ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, आज पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल है, पूरा प्रदेश आज साम्प्रदायिकता की आग में जल रहा है और पूरे प्रदेश में साम्प्रदायिक दंगे हो रहे हैं, तथा जातीय हिंसा भी बड़े पैमाने पर हो रही है । मान्यवर, इस सरकार को अभी 3 महीने भी पूरे नहीं हुए और आज पूरे प्रदेश में कोहराम मच गया है । पूरे प्रदेश में कानून का राज समाप्त हो गया है, जंगल राज कायम हो गया है, पूरा प्रदेश गुंडाराज के हवाले हो गया है । पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से दंगों का माहौल शुरू हो गया है वह बहुत ही निन्दनीय है । बरेली से दंगे शुरू हुए और जिस दिन से सरकार बनी उसके तीसरे दिन सें वहां पर बड़े पैमाने पर दंगे भड़काये गये । इसी तरीके से देवरिया, मेरठ और अलीगढ़ में साथ ही साथ पूरे प्रदेश में यहां तक कि बनारस और लखनऊ भी इसकी चपेट में आ गया तथा आजमगढ़ और गोरखपुर भी इसी आग के हवाले हो चुके हैं । मान्यवर, मैं कह देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों मिलकर उत्तर प्रदेश में नफरत और जातीय विद्वेष व साम्प्रदायिकता फैलानी चाहती हैं । इस भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से जब से समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है यह भारतीय जनता पार्टी नूराकुश्ती लड़ रही है और उत्तर प्रदेश को दंगे की आग में झोंकना चाहती है । यही कारण है कि आज हिन्दू-मुसलमान के बीच में नफरत पैदा की जा रही है । बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में जो भाईचारा पैदा किया था, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों

मिलकर उसका कत्लेआम कर रही हैं । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कह देना चाहता हूं कि क्या कारण है कि बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश में तीन बार सरकार रही लेकिन उसके कार्यकाल में एक भी दंगे नही हुये ? यह जो सरकार बनी है इसको भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने मिलकर बनाया है । भरतीय जनता पार्टी की कृपा दया और सहानुभूति पर समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है और आज दोनों मिलकर उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर दंगे करवा रही है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मानवता कराह रही है । त्राहि-त्राहि मची हुई है । कानून नाम की कोई चीज नहीं है, पूरे प्रदेश में जंगल राज कायम हो गया है, अमन चैन और भाई-चारे का कत्लेआम हो रहा है, साम्प्रदायिक सौहार्द्र बिखर रहा है । हिन्दुओं का नाम लेकर उन्हें बरगलाया जा रहा है । भारतीय जनता पार्टी हिन्दुत्व के नाम पर उनको बरगला रही है और उनके खून पर राजनीति कर रही है वहीं समाजवादी पार्टी जिसके नेता मुल्ला मुलायम सिंह जी हैं, मुसलमानों का वोट लेने के लिए उनके खून पर राजनीति करना चाहते हैं । यह दोनों का मिला-जुला खेल है और दोनों मिलकर उत्तर प्रदेश को दंगे के हवाले करना चाहते हैं । पूरा उत्तर प्रदेश साम्प्रदायिकता की आग में जल रहा है और इसी बीच जातीय हिंसा भी शुरू हो गयी है । मान्यवर, उन्नाव में तीन दिन के अन्दर दो जातीय हिंसा हुई है । एक में 7 जानें और दूसरे में तीन जानें गयीं हैं । पूरे प्रदेश में हिंसा का दौर चल रहा है । हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच जो सौहार्दपूर्ण वातावरण था उसका कत्लेआम किया जा रहा है । आपसी भाईचारे का खून हो रहा है । मान्यवर, जब आपसी भाई चारा खत्म होगा तो स्वाभाविक है कि इस तरह का नरसंहार होगा और इस नरसंहार की चपेट में कोई भी हो, हिन्दू-मुस्लिम सिक्ख इसाई, सभी आयेंगे । आज जातियों के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाकर साजिश की जा रही है और कत्लेआम कराया जा रहा है । पूरे उत्तर प्रदेश की जनता त्राहि-त्राहि कर रही है और उनमे एक बहुत बड़ा जनाक्रोश है । इस जनाक्रोश को देखते हुये तथा लोक महत्व को देखते हुयें मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि सदन की सारी कार्यवाही को रोककर इस गम्भीर मामले को संज्ञान में लेते हुये विस्तार से चर्चा कराने की कृपा की जाय । पूरे उत्तर प्रदेश में अराजकता फैली हुई है साथ ही साथ बैड़े पैमाने पर अपराध बढ़ रहा है, इस अपराध पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है । चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार तथा बैंक डकैतियों की घटनायें बेशुमार बढ़ी हैं । गुण्डा, अपराधी, माफिया सरकार पर हावी हैं सरकार असहाय हो गयी है । आज मुख्य मंत्री और उत्तर प्रदेश की सरकार [xxx] साबित हो रही है । अध्यक्ष जी आपका संरक्षण चाहिए और आप संरक्षण देकर इस गम्भीर मामले पर चर्चा कराकर कोई बीच का रास्ता या उपाय निकालने का काम करें जिससे यहां पर कानून का राज स्थापित हो सके, यहां की जनता को न्याय मिल सके और आपसी भाई चारा बढ़ सके ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय प्रमोद जी आप तो सहयोगी दल हैं । आप काम रोको प्रस्ताव ले आ रहे हैं । यह कहीं भविष्य में असहयोग देने की भूमिका तो नहीं है ?

---

नोटः– [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

* श्री प्रमोद कुमार–

माननीय अध्यक्ष जी आपने जो प्रश्न उठाया है उसका उत्तर ले लें । मैं इसको स्पष्ट करना चाहता हूँ ।

श्री अध्यक्ष–

नियमावली में तो कोई रुकावट नहीं है लेकिन परम्परा है कि सहयोगी दल काम रोको प्रस्ताव नही लाता है ।

श्री प्रमोद कुमार–

नियमावली में जो लिखा है उसका अनुपालन करुँगा । मैं अपने अधिकार का प्रयोग कर रहा हूं । मान्यवर, पहले भी मुलायम सिंह जी की सरकार का समर्थन करते हुए काम रोको प्रस्ताव लाते रहें हैं । 1989 में और 93 में प्रस्ताव लाये हैं । नियमावली के अन्तर्गत है तो रोके नहीं लगाई जानी चाहिए ।

श्री अध्यक्ष–

मैं रोक नहीं लगा रहा हूं ।

*डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, प्रमोद जी का प्रश्न भिन्न है उसके बावजूद प्रमोद जी बोल रहे हैं । वह बताएं कि वह पक्ष का भाग हैं या विपक्ष का भाग है । नियम–56 के अन्तर्गत प्रस्ताव ला रहे हैं तो पहले यह बतायें कि सरकार के साथ हैं या विपक्ष के साथ हैं या बीच में बैठे हैं । परम्परा रही है कि सत्तापक्ष की तरफ से नियम–56 का प्रस्ताव नहीं आता ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं स्पष्ट कर दूंगा मैं इस ज्वलन्तशील मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहूँगा कि सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराई जाए । मान्यवर, बडे दुःख और पीड़ा के साथ कहना चाहता हूँ कि जब माननीय नेता भारतीय जनता पार्टी बोल रहे थे तो मुझे एक कहावत याद आ रही थी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे । मैं इन्हें चोर नहीं कह रहा हूँ और न किसी को कोतवाल कह रहा हूँ । आपको कह ही नहीं सकता ।

नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)–

मान्यवर, तिवारी जी कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था गड़बड़ है कौन जिम्मेदार है इसका ? मान्यवर, अगर सत्तापक्ष यह कहता है कि कानून-व्यवस्था गड़बड़ है तो हमारा कार्य-स्थगन प्रस्ताव स्वीकृत हो गया । अगर पक्ष और विपक्ष में एक राय है कि कानून व्यवस्था गड़बड़ है तो कार्य-स्थगन प्रस्ताव स्वीकृत हो गया ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैंने अभी तक यह नहीं कहा है कि कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है । मैं यह कह रहा हूं कि आप जिस दल के हैं वह प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब करना चाहता है उसके प्रति सरकार को सचेत रहना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष–

आपने लिखा है अंतिम पैराग्राफ के ऊपर पढ़ें, "असामाजिक और समाज विरोधी तत्वों के कारण पूरे प्रदेश में भय और आतंक व्याप्त हो गया है ।"

श्री प्रमोद कुमार–

और आगे पढ़ लीजिए ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने पढ़ लिया है । आपने निष्कर्ष में यही कहा है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मैं नोटिस पढ़े देता हूँ । उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से कुछ संगठन, मेरा इशारा विश्व हिन्दू परिषद् की तरफ है । कुछ दल मेरा इशारा भारतीय जनता पार्टी की तरफ है । कुछ अराजक तत्व मेरा इशारा दोनों को मिलाकर है । यह प्रदेश की कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं । आप तो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं रहे ।

श्री अध्यक्ष–

मैं तो आपकी नोटिस के बारे में बता रहा हूं ।

श्री प्रमोद कुमार–

अब आप अध्यक्ष पीठ पर विराजमान हैं ।

श्री अध्यक्ष–

आपकी सूचना अन्य लोगों की सूचना से भिन्न है ।

श्री प्रमोद कुमार–

आप प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगड़ने की बात कर रहे थे मैंने इसे स्वीकार किया है । प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगड़ी नहीं है उसे बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है । इससे दृढ़ता से निपटने की जरुरत है । विश्व हिन्दू परिषद् जैसे संगठनों पर रोक लगाने की जरूरत है और विश्व हिन्दू परिषद् जैसे संगठनों से जो दल राजनीतिक लाभ ले रहे हैं उनकी राजनीतिक मान्यता समाप्त करने की जरूरत है । इसलिए यह कार्य स्थगन प्रस्ताव लाए हैं । [x x x] मुझे परम्पराओं की जानकारी है ।

---

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अध्यक्ष–

आप विषय तक ही रहें ।

श्री प्रमोद कुमार–

[xxx]

श्री अध्यक्ष–

आप अपनी सूचना तक ही सीमित रखें ।

श्री प्रमोद कुमार –

[ x x x ]

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, यह आपकी पीठ पर आक्षेप है ।

(भारतीय जनता पार्टी के अनके सदस्यों के एक साथ बोलने पर )

(व्यवधान)

श्री लालजी टण्डन–

यह अध्यक्ष पीठ पर आक्षेप है ।

श्री अध्यक्ष–

इसे कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा ।

* श्री जगदम्बिका पाल–

[xxx]

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

यह पीठ पर आक्षेप लगाया जा रहा है । यह विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है ।

श्री अध्यक्ष–

इसे कार्यवाही से निकाल दिया जाएगा ।

श्री जगदम्बिका पाल –

यह पीठ पर आक्षेप नहीं है ।

---

नोटः– [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री लालजी टण्डन–

यह पीठ पर आक्षेप है ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

इस पर चर्चा होनी चाहिए यह आक्षेप है ।

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप लोग बैठ जायं ।

श्री अध्यक्ष–

बहुत सी चीजों को भावावेश में नहीं लेना चाहिए । मैंने कुछ परम्पराओं के बारे में कहा था । आप एक सहयोगी दल हैं । सहयोगी दलों की कुछ परम्पराएं होती हैं । अगर परम्परा तोड़ी है तिवारी जी ने लिखकर सूचना दी है तो अगर सदन में इतना भी विचार विमर्श नहीं होगा तो या तो लोग मौन बनकर बैठ जायं या अपनी बात कहें और उस पर दूसरे के भी विचार सुनें । मैंने कह दिया है कि जो कुछ यदि असंसदीय होगा तो उसको कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा और प्रेस में भी नहीं छपेगा । इसके बावजूद भी आप लोग इस तरह से कह रहे हैं । तिवारी जी मैंने कहा कि आपकी सूचना टण्डन जी की और मौर्या जी की सूचना से कुछ अलग हटकर है । आपने कुछ तत्वों को उत्तरदायी ठहराया है । इस सूचना की प्रति तो सभी सदस्यों के पास है नहीं इसीलिये मैंने आपकी सूचना के अंतिम वाक्य को पढ़कर सुनाया था कि आपने लिखा है कि प्रदेश में भय व्याप्त है । मैंने इतनी बात कही, आपको नाराज होने की बात नहीं है लेकिन तिवारी जी तो तिवारी जी हैं ।

श्री प्रमोद कुमार–

मैं उसको फिर से पढ़ दूं जिसको आपने पढ़ा था ।

(व्यवधान)

मैंने यह कहा है कि ऐसे ही कुछ संगठनों के नाम को मुद्दा बनाकर जातीय संघर्ष पैदा करना चाहते हैं । इन असामाजिक और साम्प्रदायिक तत्वों के कारण पूरे प्रदेश में भय का माहौल व्याप्त है ।

श्री अध्यक्ष–

यही मैंने पढ़ा था ।

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय अध्यक्ष जी 4 वर्ष के .....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

प्रमोद जी को अपनी बात कह लेने दें । प्रमोद जी आप संक्षेप में कह लें । आप लोग बैठ जायँ ।

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि आखिरकार यह साम्प्रदायिक दंगे क्यों हो रहे हैं ? यह जातीय संघर्ष क्यों हो रहे हैं ? एक सरकार के आते ही उसे अस्थिर करने का प्रयास क्यों किया जा रहा है ? बहुत स्पष्ट कारण है । चार वर्षों तक केन्द्र में सरकार रही भारतीय जनता पार्टी की और उसी के दल ने इस प्रदेश में काला अध्याय लिखा बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाकर । आज लोक सभा के चुनाव की आहट मिली है । पांचवा वर्ष केन्द्र सरकार का चल रहा है । चार साल तक मंदिर मस्जिद का मुद्दा क्यों नहीं उठा ? जब चुनाव पास आये तो यह मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठा रहे हैं । 17 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन विश्व हिन्दू परिषद् अयोध्या चलने की आवाज देता है । ठीक है वे आह्वान करते लेकिन कानपुर के सांसद जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वे खुद उसमें जाते हैं और भी इनकी पार्टी के सांसद उसमें हिस्सा लेते हैं । यह एक प्रयास था इनका पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश को यह साम्प्रदायिकता की आग में झोंकना चाहते थे । मैं यह माँग करता हूँ कि विश्व हिन्दू परिषद् जैसे संगठन पर रोक लगनी चाहिए । विश्व हिन्दू परिषद् जैसा संगठन जिसका प्रयोग राजनीतिक दल कर रहे हैं । मेरा साफ इशारा भारतीय जनता पार्टी की ओर है । ऐसे लोगों के राजनैतिक दलों की मान्यता समाप्त करने का सरकार को प्रयास करना चाहिए और इसके लिये उन्हें निर्वाचन आयोग में जाना चाहिए ।

(व्यवधान)

मान्यवर, इनको शान्त करायें तो मैं अपनी बात कहूँ । 2-3 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा ।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग शान्त हो जायें ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, यह पूरा प्रदेश ही साम्प्रदायिक दंगों से घिरा है । मेरठ में दंगा होता है तो उसमें [xxx] की महत्वपूर्ण भूमिका होती है । अलीगढ़ में दंगा होता है तो उसमें [xxx] की भूमिका होती है । जब तक यह सरकार में थे तब तक इनको रोजगार मिला था । तब तक दंगे कराने की इनको नहीं सूझी । जैसे ही बेरोजगार हो गये इनको दंगे कराने की चिन्ता क्यों हो रही है ? मैंने तो स्पष्ट [xxx] के लिये कहा है । बहुजन समाज पार्टी के लोग क्यों इनको यह इल्जाम लगा रहे हैं । 1999 के बाद जब 2002 में चुनाव हुआ तो जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दुत्कार दिया था । सरकार से दूर कर दिया था वह तो बहुजन समाज पार्टी ने इनको साथ मिलकर सरकार बनाई । तो इन साम्प्रदायिक ताकतों को अपने पैरों पर खड़े रहने की ताकत भी नहीं बचती और ये समाज से निकल गये होते । इसके लिए ये दोनों दोषी हैं, इस पर खुली चर्चा होनी चाहिए, सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा होनी चाहिए और इन तत्वों को सिर्फ चिन्हित ही नहीं किया जाना चाहिए, बेनकाब भी किया जाना चाहिए । मैं अन्त में एक बात

---

नोटः– [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा । परम्पराओं की बात चल रही है, वह आक्षेप नहीं था, वह दिल की बात थी । [ x x x ] बहुत गरिमामय आसन है ।

श्री अध्यक्ष–

प्रमोद जी, इतने तक चुप रह जाइये । यह कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा । मैं आपको चेतावनी भी दे रहा हूं । मैं आपकी हर चीज सुनने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ ।

(भाजपा के कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार–

[ xxx ]

(भाजपा के कई सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष–

यह कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा । बिना अनुमति के प्रमोद जी बोल रहे हैं, इसे न छापा जायेगा और न लिखा जायेगा ।

संसदीय कार्य एवम् नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

माननीय अध्यक्ष जी, प्रमोद कुमार जी भी भावुक हो गये और आप भी थोड़े मेरे ख्याल से प्रमोद जी की जो मंशा नहीं थी, जो समझ ली गयी । प्रमोद जी ने परम्पराओं की बात आप पर आक्षेप लगाने के लिए, आपको अध्यक्ष पद से हटाने के लिए नहीं, बल्कि यूं ही कह दी होगी । जहाँ तक मान्यवर, परम्पराओं का सवाल है, बहुत सी परम्पराएं बनती हैं और उनकी शुरूआत होती है, पुरानी परम्पराएं भी परम्पराएं हैं और आज की परम्पराएं भी आने वाले कल के लिए परम्पराएं होंगी । मान्यवर, आपका अध्यक्ष बना रहना, यह सदन की मंशा ही नहीं थी बल्कि वक्त की जरूरत भी थी, और इसी लिए यह चाहा गया कि मान्यवर, आप अध्यक्ष रहें । सत्तापक्ष और जो लोग आज सरकार में नहीं हैं, उन्होंने एक बार भी ऐसा नहीं चाहा और न ही इसका इजहार किया और यह भी सच है कि कांग्रेस और हमारे साथी प्रमोद कुमार जी से हमें समर्थन हासिल है, खुले मन से हासिल है । जो आपसे कहा है, वह आप पर आक्षेप नहीं है । मैं चाहूंगा कि जो यह गरम माहौल बना है, खत्म हो और सदन की कार्यवाही अच्छी तरह चले ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, यह सदन नियमों और परम्पराओं से चलता है । रविराय जी जब लोक सभा के अध्यक्ष थे और सरकार बदलने के बाद जब चन्द्रशेखर जी प्रधानमंत्री बने तब भी रविराय जी लोक सभा के अध्यक्ष रहे ।

---

नोटः– [ xxx ] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी'–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन से अपील करता हूं कि इस महत्वपूर्ण विषय पर चिन्ता करने की आवश्यकता है। बहुत अच्छा है कि इस पर सोचने का सबको अवसर मिला है। जिस तरह से प्रदेश में कहीं-कहीं माहौल बिगड़ा है उसी तरह से इस सदन का माहौल न बिगड़े। माननीय मुलायम सिंह जी ने जब शपथ ली थी तो उन्होंने लोगों के मन में विश्वास उत्पन्न किया था कि प्रदेश में राजनीतिक स्थिरता उत्पन्न होगी, शान्ति व्यवस्था बनी रहेगी, सौहार्द रहेगा, प्रदेश का विकास किया जायेगा, पिछड़ापन दूर होगा। इससे उन लोगों को जो सत्तापक्ष के दल के नहीं हैं उनको भी यह आशा हुयी कि चलो चाहे जिस दल की सरकार हो प्रदेश का विकास होना चाहिए। नियम–311 के अन्तर्गत जो प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है उसमें यह है कि इस माहौल को कैसे बदला जाये और परस्पर सौहार्द को कैसे उत्पन्न किया जाये ? यह सबके हित में है। मैं उन चीजों में जाऊँगा जिनका कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं होगा। बल्कि वर्तमान सरकार के उद्देश्यों की पूर्ति उसमें होगी। इसमें हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। जो तत्व अराजक हैं अगर ऐसे तत्वों को नियंत्रित नहीं किया जायेगा तो यह शान्तिप्रिय लोगो के साथ अन्याय होगा। मैं बनारस का उदाहरण देना चाहता हूं। बनारस में एक चबूतरा है जिस पर देवी जी की मूर्ति है उसमें पूजा होनी थी बगल में एक मस्जिद भी थी। दोनों आज चल रहे हैं। वहां पर पूजा भी होती है और नमाज भी होती है। मान लीजिए अगर उसमें कोई सुधार-सफाई की बात आयी तो उस पर इतना माहौल बिगाड़ने की क्या जरूरत थी ? मैं प्रशासन को धन्यवाद दूंगा जिसने उपद्रव करने वालों को शान्त किया। लेकिन अलीगढ़ का मामला संवेदनशील हो गया। श्री कल्याण सिंह जी ने यह समझौता कराया था कि कब्रिस्तान से ही एक रास्ता शमशान की ओर जायेगा। शासन ने समझौता कराया कि इसके लिए मार्ग दे दिया जाये, ताकि शव शमशान ले जाये जा सकें। शव यात्रा के समय एक पक्ष के लोगों द्वारा ताला खोलने को लेकर माहौल खराब किया। जो लोग झगड़ा नहीं चाहते थे वह लोग शव लेकर दाह संस्कार के लिए जा रहे थे उन्हीं लोगों को गिरफ्तार किया गया। बात यहां तक आ गयी कि भाजपा मण्डल की अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया। जो वहां की सांसद हैं श्रीमती शीला गौतम उनकी तरफ से कुछ लोगों ने मामले को शान्त कराया। वह भी इस काम के लिए सक्षम थीं और वह उसी उद्देश्य से मौके पर गयी थीं लेकिन उनको मौका नहीं दिया गया। गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया। सांसद को आगरा में रखा गया। श्रीमती शीला गौतम जैसी संसद-सदस्य उनके साथ इस प्रकार की कार्यवाही की गयी। यह विषय दोनों पक्षों से संबंधित है और इस पर गम्भीर चिन्तन होना चाहिए था। क्या कारण है कि नयी सरकार के आने के बाद ही दंगे भड़क गये तो इसको रोका जाना चाहिए। लोगों को लगता है कि वोट बैंक की राजनीति के कारण यह किया गया है तो यह ठीक नहीं है। यह वोट बैंक की राजनीति सारे विकास की राह को रोकती है। जिन लोगों को अनावश्यक रूप से गिरफ्तार किया गया मैं चाहूंगा कि उनको रिहा कर दिया जाय साथ ही जो उद्दंड हैं अराजक हैं, साम्प्रदायिक हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय। जिन लोगों ने यह समझौता तोड़ा है वह अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय। मैं पूरे सदन से यह अपील करता हूं कि पूरे प्रदेश में जहां हम हैं इस बात की चेष्टा करें कि शान्ति व्यवस्था को बिगड़ने न दिया जाय। आज जो जातिगत और साम्प्रदायिक दंगे हो रहे हैं, इसकी आड़ में हत्याएं हो रही हैं मैं चाहूंगा कि इसको रोकने की चेष्टा की जाय। जो आपसी सद्भाव बिगड़ा है उसको ठीक करने की चेष्टा की जाय। अंत में मैं यह चाहूंगा कि इस विषय पर आज की कार्यवाही रोककर चर्चा करायी जाय।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, एक महत्वपूर्ण मसले पर जिसमें नेता प्रतिपक्ष ने.....

श्री जगदम्बिका पाल –

मान्यवर, हमारे भी सूचना पर हस्ताक्षर हैं । कार्य स्थगन पर पहले यह निर्णय हुआ था कि अगर आपकी सूचना पर हस्ताक्षर है तो ग्राह्यता पर बोलने का अवसर दिया जायेगा । मैं चाहूंगा कि इसमें मुझे बोलने का अवसर दिया जाये ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है देखते हैं ।

* श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, तो मैं यह कह रहा था कि नेता प्रतिपक्ष ने, नेता प्रमोद तिवारी जी ने और हम सब लोगों ने सूचना दिया था नियम–311 में इस निवेदन के साथ कि यह महत्वपूर्ण मसला है और सारी कार्यवाही रोककर पूरे प्रदेश में दो महीने के कार्यकाल में इतने दंगे हो गये हैं, इतने जातीय संघर्ष हो गये हैं इसलिए इस पर चर्चा करायी जाय । इस पर हमारे नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा । यह आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं बी०जे०पी० आर बी०एस०पी० पर । मैं यह कहना चाहूंगा कि आज माहौल इतना खराब हो गया है और वहीं लोग नूराकुश्ती कर रहे हैं और यह जनता जान गयी है । यहां तो कातिल भी सिपाही है और ढूंढने वाला भी सिपाही है, तो जनता को न्याय कैसे मिलेगा ? आज जनता को जातीय संघर्ष में जूझना पड़ रहा है । मान्यवर, यहां भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के लोगों ने बहुत तेजी से आंसू बहाये हैं, अभी प्रमोद कुमार जी ने जो कहा वह तो सभी ने सुना, मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों का चरित्र एक जैसा है, मान्यवर, आज जगह-जगह दंगे हो रहे हैं, आपके साथ भी हमारी सरकार थी, एक भी जगह दंगा करने की हिम्मत किसी ने कहीं नहीं की । मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है इस पर चर्चा हो जाये । मान्यवर, यह तो पिक्चर का ट्रेलर दिखाया जा रहा है, जिस दिन पूरी पिक्चर हो जायेगी, उस दिन पूरे प्रदेश की स्थिति बहुत गम्भीर हो जायेगी । यह प्रदेश ऋषि मुनियों का प्रदेश है धर्म निर्पेक्ष देश है, यहां कुरान भी चलेगी, यहां बाईबिल भी चलेगी और गीता भी चलेगी । जहां-जहां दंगे हो रहे हैं, वहां कर्फ्यू लगवा दें, बन्द लगवा दें इससे कहीं दंगे रुकने वाले हैं । धारा 151 और 107 की कार्यवाही होती तो चार-पांच लाशें हर जगह से नहीं जाती । आज प्रशासन के लोग खामोश हो गए हैं एक-एक सिपाही बोल रहे हैं कि मत बोलो अब हमारी सरकार आ गयी है, पता नहीं कौन-कौन सी भाषा लोग बोल रहे हैं । मान्यवर, यह सरकार दबाव में है और दबाव में यह कुछ नहीं कर पायेगी, मान्यवर, मैं तो इतना कहूंगा कि आगे चलकर लोगों से एक लम्बी हताशा हो सकती है । मान्यवर, मैं और मेरी पार्टी यही चाहती है कि गरीब मुसलमानों का गरीबों दलितों का किसी निर्दोष व्यक्ति का खून धरती पर न गिरने पाये, हमारी पार्टी देश में नफरत की दीवार गिराना चाहती है और ये दोनों पार्टियां देश में नफरत की दीवार उठाना चाहती हैं । आज समाज के लोगों में हिन्दू-मुसलमान के दंगों के नाम पर एक माहौल बनाकर लोक सभा के चुनाव जीतने की जो तैयारी चल रही है यह अच्छी बात नहीं है । आज जैसी साजिशें चल रही हैं उससे तो ऐसा लगता है कि

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कहीं मन्दिर और मस्जिद दोनों ही न टूट जायें । मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है इस पर चर्चा कराई जाय और मैं इस पर चर्चा कराने की मांग भी करता हूं, मैं फिर कह रहा हूं कि यह जो नूरा-कुश्ती का खेल चल रहा है इससे प्रदेश की जनता को न्याय मिलने वाला नहीं है । मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि इस पर चर्चा कराई जाय ।

श्री अध्यक्ष–

सूचना पर बहुत लोगों के हस्ताक्षर हैं, उनमें कुछ लोगों को ही मैं बोलवाऊंगा क्योंकि सभी को बोलने का अवसर दे पाना संभव नहीं है । अब मैं चाहूंगा कि जगदम्बिका पाल जी अपनी बात कम से कम समय में रख दें ।

श्री जगदम्बिका पाल–

माननीय अध्यक्ष जी मैं बहुत आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर, ग्राह्यता पर बोलने का अवसर दिया है । मान्यवर, यह चिन्ता का विषय है, न केवल इस सदन के लिए बल्कि उत्तर प्रदेश की सम्पूर्ण 17 करोड़ जनता के लिए चिन्ता का विषय अलीगढ़ या अयोध्या है, आज बोवाई के समय किसानों के पास खाद नहीं पहुंच रही है, जब कभी कर्फ्यू में ढील दी जाती है या देने की कोशिश की जाती है तो एक संगठन के लोग बलात वहां की दुकानों को बन्द कराने का काम करते हैं । मान्यवर, फिर अलीगढ़ शहर में साम्प्रदायिकता की भावना में जिस प्रकार की परिस्थितियां पैदा हो रही हैं उन पर नियंत्रण की जरूरत है । मान्यवर, आज जिस ढंग से खुलेआम चाहे प्रशासन हो, सरकार हो, कहीं पर भी सामान्य स्थिति को बहाल करने का प्रयास कर रहे हैं तो उन्हें दिक्कतें आ रही हैं । मान्यवर, चाहे अलीगढ़ की जनता हो या आगरा की जनता हो, जिन जगहों पर ये साम्प्रदायिकता की आग फैलाने की कोशिश की गयी है मैं बधाई देना चाहता हूं कि वह आग न वहां के हिन्दुओं ने और न वहां के मुस्लिमों ने फैलाई है ।

अभी हरीश जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद को बंद किया गया मान्यवर, वहां पर कर्फ्यू उठा था, फिर उन्होंने वहां जाकर दुकानों को बंद कराना शुरू किया । मान्यवर, इस तरह से सांसद और संगठन के लोगों ने वहां इस तरह की परिस्थितियां पैदा की हैं साम्प्रदायिकता फैलाने का काम किया गया है । निश्चित रूप से आज इन साम्प्रदायिक संगठनों पर रोक लगाने की बात होनी चाहिए ।

(इस समय 1 बजकर 27 मिनट पर अधिष्ठाता डा० वकार अहमद शाह पीठासीन हुए)

मान्यवर, सरकार और प्रशासन की बात न मानना और न्यायपालिका की भावनाओं का आदर न करते हुए विश्व हिन्दू परिषद् ने 17 अक्टूबर को अयोध्या कूच की बात कही थी । अगर इनको न्यायपालिका में विश्वास है इन संगठनों की अगर प्रजातंत्र में आस्था है तो उन्हें न्यायपालिका की भावना का सम्मान करना चाहिए । उस न्यायपालिका के निर्णय के बावजूद भी 18 तारीख को विश्व हिन्दू परिषद् के सिंहल और तोगड़िया ने अयोध्या में उस जगह पर सभा करने की कोशिश की । मान्यवर, आज दो महीने में ऐसे कौन से कारण पैदा हो गये कि ये परिस्थितियां पैदा हो रही हैं । मेरठ हो, अलीगढ़ हो, आगरा हो, देवरिया का घाट गांव हो, बनारस हो, आज सब जगहों के बारे में आप

चिन्ता व्यक्त कर रहे हैं कि साम्प्रदायिकता इस सरकार में बढ़ रही है । मान्यवर, वे जब सरकार में थे एक सहयोगी दल के रूप में थे, वह सरकार चली गई और एक धर्म निरपेक्ष सरकार आयी और इस दो महीने में ही भारतीय जनता पार्टी के सरकार से हटते ही आज इस दो महीने में ही साम्प्रदायिकता की भावना बढ़ने लगी है । आज इनके संगठन के जो लोग हैं वह कहते हैं कि विश्व हिन्दू परिषद् के समर्थन का कोई तात्पर्य नहीं था । मान्यवर, चाहे कानपुर हो, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने 17 अक्टूबर को गिरफ्तारियां दी । आज इनका दल सारे मोर्चों पर असफल हो चुका है । लोकसभा के आसन्न चुनावों को देखते हुए प्रदेश में अब इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, जातीयता का उन्माद फैल रहा है । आज इन घटनाओं पर पूरे प्रदेश की जनता काफी चिन्ता व्यक्त कर रही है । मान्यवर, यह प्रदेश गंगा, जमुना की तहजीब का प्रदेश है । आज इन तत्वों को सख्ती से कुचलने की जरूरत है । इन संगठनों ने न्यायपालिका के निर्णयों का खुलेआम असम्मान कर सभा को प्रतिबंधित करने के बावजूद भी अयोध्या में अपनी सभाएं की । आज केन्द्र में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों की सरकार है वह उच्चतम न्यायालय में अपील करें कि अयोध्या मामले का टाईम-बाउंड फैसला आ जाए या परस्पर सहमति से फैसला हो जाए ।

मान्यवर, आज जब से यह भारतीय जनता पार्टी सत्ता से हटी है तब से वह और उसके अनुषांगिक संगठनों के लोगों की कार्यवाहियों से आज साम्प्रदायिकता की घटनाएं जगह-जगह हो रही हैं । आज कांग्रेस पार्टी का मानना है कि प्रशासन और शासन को इसमें सख्ती से कदम उठाने होगे और हम इन साम्प्रदायिक संगठनों पर बैन लगाने की मांग करते हैं । इस तरह के लोगों की मान्यता समाप्त होनी चाहिए । जो कानून-व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, आज सम्पूर्ण प्रदेश में अपराध और साम्प्रदायिक घटनाओं की बाढ़ आ गई है प्रदेश की जनता त्राहि-त्राहि कर रही है, व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा है, सरकार का अपराधियों पर से नियंत्रण हट गया है जिसके कारण यह अलीगढ़ जैसी घटनाएं हुई हैं । मान्यवर, यह घटना 1999 के समय से चल रही है । शाहजमाल कब्रिस्तान के रोरावर शमशान घाट का प्रकरण 1999 में आया था जब बहुत दिन तक विवाद चला तो उस समय 17 अप्रैल, 1999 को वहां के अपर जिलाधिकारी, नगर की अध्यक्षता में एक बैठक हुई जिसमें दोनो समुदाय के 5-5 प्रमुख लोग शामिल हुए थे और उसमें माननीय विधायक अब्दुल खालिक साहब भी शामिल हुए थे उसमें यह तय हुआ था कि शाहजमाल कब्रिस्तान से के रोरावर शमशान घाट के लिए 33 फिट और 45 फिट के रास्ते इसमें छूटे रहेंगे और यह भी तय हुआ था कि माननीय विधायक अब्दुल खालिक के द्वारा इस आशय के पत्थर लगाये जायेंगे कि वह रास्ता कब्रिस्तान व रोरावर मरघट को जाता है । इस बैठक में यह भी तय हुआ था कि इस पर न तो कोई दीवार लगायी जायेगी और न ही गेट लगाया जायेगा और न ही आस पास की आवादी के पास नव निर्माण न होने देने हेतु दोनों पक्ष प्रयास करेंगे । लेकिन अचानक 1 नवम्बर, को सतीश चन्द्र सीएल के शव को लेकर एक समुदाय के लोग शमशान घाट पर पहुंचने के लिए उस रास्ते का उपयोग करना चाहते थे तो यह देखा कि वहां दीवार खिंची हुई है और वहां गेट लगा हुआ है और गेट पर ताला लगा हुआ है । मान्यवर, यह कितना अमानवीय है कि शव को लेकर शव यात्रा पर गये हुए लोग एक घण्टे तक शव को कन्धे पर उठाये रहे, ताले की चाभी नहीं मिली फिर मुस्लिम समुदाय के एक व्यक्ति के

द्वारा ताले को तोड़कर रास्ता दिया गया जब वे लोग क्रिया-क्रम करके वापस लौटते हैं तो फिर उन्हें ताला लगा मिलता है । मान्यवर, यही नहीं जब वे लोग सतीश चन्द्र सीएल के फूल चुनकर लौटते हैं तो उन पर फिर पथराव होता है । मान्यवर, यह दीवार और गेट किसने लगवाया यह अत्यन्त खेदजनक है । मैं बताना चाहता हूं कि यह गेट और दीवार [xxx] विधायक की विधायक निधि से लगवाया गया ।

श्री अधिष्ठाता–

आप किसी का नाम न लें ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैं सुधार कर लेता हूं । माननीय विधायक की विधायक निधि से वह गेट व दीवार बनी । मैं जानना चाहता हूं कि आखिर एक विधायक की विधायक निधि विवादास्पद स्थान पर कैसे लगी और फिर उस स्थान पर जिस स्थान पर दो समुदायों की तकरार हो, 17 अप्रैल, 99 को अपर जिलाधिकारी नगर, की अध्यक्षता में एक समझौता हुआ और उस समझौते का उल्लंघन करके दरवाजा और गेट लगाया गया उसके लिए जिस अधिकारी ने ऐसा किया है, मुख्य विकास अधिकारी अलीगढ़ के विरुद्ध कार्रवाई की जाय क्योंकि वही इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं । अगर समझौते के मुताबिक रास्ता साफ मिलता तो ऐसी बात नहीं होती । मैं एक बात कहना चाहता हूं कि 3 दिन बाद सतीश चन्द्र सीएल के शव के फूल चुनने के लिए लोग जाते हैं तो उन पर फिर पथराव होता है तो पहले दिन से तीसरे दिन तक क्या प्रशासन सोता रहा ? मान्यवर, इसके बाद प्रशासन ने सरकार का विरोधी दल होने के नाते भारतीय जनता पार्टी की कार्यकताओं की गिरफ्तारी शुरू कर दी और जब घटना स्थल का मुआयना करने के लिए जनप्रतिनिधि जाते हैं तो प्रशासन के द्वारा रोक लगायी जाती है जो जनता के बीच में जाकर उनकी समस्या का निदान करना चाहते हैं । वहां के पूर्व विधायक नौमान साहब थाने जाते हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है । हिन्दू नेताओं को प्रेस कांफ्रेंस के बीच से उठा ले जाया जाता है । अलीगढ़ की घटना इस सरकार की नाकामी का प्रमाण है । अलीगढ़ की घटना मुख्य विकास अधिकारी के द्वारा विधायक निधि से कराये गये कार्यों के कारण हुई है । इसलिए इन घटनाओं की जांच की मांग करता हूं माननीय शीला गौतम की रिहाई की मांग करता हूं और जिलाधिकारी को हटाये जाने की मांग करता हूं । अगर आप प्रदेश में शान्ति रखना चाहते हैं तो सदन को विश्वास में लेना होगा । दोनों पक्षों को मिलकर काम करना होगा । साथ ही दोनों समुदायों के मान-सम्मान तथा उनकी भावनाओं का आदर करना होगा । मैं इस कार्य-स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से यह मांग करता हूं कि इस पर सदन की कार्यवाही को स्थगित करके चर्चा कराये ताकि प्रदेश की जनता के सामने इस समाजवादी पार्टी सरकार का दोहरा चरित्र सामने आ सके । एक विधायक अपनी विधायक निधि से इस तरह विवादास्पद स्थान पर काम करायेंगे, उसके बारे में भी प्रदेश की जनता जान सके ।

---

नोटः– [xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

* श्री घनश्याम शुक्ल–

मान्यवर, जबसे यह सरकार बनी है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गयी है । प्रदेश में कानून नाम की कोई चीज नहीं रह गयी है । मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे नेता सदन यहीं सामने बैठकर 17 सितम्बर को भाषण कर रहे थे । उस समय उन्होंने वायदा किया था कि जाति, धर्म और द्वेष के आधार पर कोई काम नहीं किया जायगा, लेकिन आज जिस तरह से गोण्डा जनपद के अन्दर हल्लाबोल करके वहां बदमाशी की जा रही है, उसके संबंध में बताना चाहता हूं कि दिनांक 2-11-03 को भारतीय जनता पार्टी, गोण्डा के जिला कोषाध्यक्ष अशोक कुमार जब अपने घर वापस जा रहे थे, 9 बजे का समय था, रास्ते में कुछ लोगों ने उन्हें गोली मारकर हत्या करने का प्रयास किया । जब पार्टी के लोग और उनके परिवार के लोग थाने पर एफ०आई०आर० दर्ज कराने गये तो पुलिस ने एफ०आई०आर० दर्ज नहीं की और कहा कि मामूली सी चोट है, अभी ठीक हो जायेगी । उनको लेकर लोग जिला अस्पताल गये, तो उन्हें मेडिकल कालेज रिफर कर दिया गया । मेडिकल कालेज में जब उनका इलाज चल ही रहा था, 5 तारीख को उन्होंने वहां दम तोड़ दिया, लेकिन पुलिस संवेदनहीन बनी रही और पुलिस प्रशासन संवेदनहीन बना रहा और उनकी एफ०आई०आर० नहीं लिखी गयी । मैं आरोप लगाना चाहता हूं कि एक मंत्री के इशारे पर रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी और जब उनकी मौत का कोतवाल को पता चला तो उन्होंने खुद घटना की रिपोर्ट वादी बनकर लिखायी । यह अत्यन्त शर्म की बात है और शर्म की विषय है । इसी तरह से मैं बताना चाहता हूं कि 17 अक्टूबर को झंझरी के खण्ड विकास अधिकारी को युवजन सभा के जिलाध्यक्ष तथा अन्य, मैं नाम लेकर कहना चाहता हूं क्योंकि उनके नाम एफ०आई०आर० में हैं, अरशद हुसैन, घसीटू, सोभू जी, इन लोगों ने विकास मुख्यालय पर जाकर खण्ड विकास अधिकारी जियालाल को रिवाल्वर दिखाकर मारा पीटा । जब उन्होंने एफ०आई०आर० दर्ज कराई तो उन बी०डी०ओ० को धमकाया गया और कहा गया कि यदि तुम सुलह नहीं करते हो तो तुम्हारी हत्या कर दी जायेगी ।

आज भी नगर कोतवाली में उनकी रिपोर्ट दर्ज है । इस मामले में दलित एक्ट भी नहीं लगाया गया, जो बहुत गंभीर विषय है । इसी तरह से 5 तारीख को, आपने भी अखबार में पढ़ा होगा, देखा होगा श्री बी०पी० गुप्ता सहायक अभियन्ता को पकड़कर लोगो ने बैंक से लाद लिया और एक सांसद के इशारे पर उसे ले जाया गया, पुलिस के हस्तक्षेप से उसे छोड़ा गया । यह मान्यवर, गम्भीर विषय है, उसकी एफ०आई०आर० नहीं दर्ज की गयी । थाने में उस सहायक अभियन्ता को दबाया गया कि यदि एफ०आई०आर० दर्ज हुई तो उसे जेल भेज दिया जायेगा । इसी तरीके से राजापुर ग्राम सभा के अन्तर्गत श्री श्याम पाल वर्मा जो कि हमारा कार्यकर्ता था उसकी हत्या करने के लिए बदमाश गये । बदमाश राजेन्द्र सोनी उसे मारने के लिए गया और वह प्रेम चन्द्र वर्मा के घर में रुका था, वह हथगोलों से लैस था, उसके पास हथगोले भी बरामद हुए, कट्टा भी बरामद हुआ लेकिन उसके बाद भी उस पर कार्यवाही नहीं की गयी । मान्यवर, श्री राम नरायन पांडेय की नाबालिग लड़की का अपहरण किया गया और एक मुस्लिम युवक के द्वारा किया गया यह बहुत ही गम्भीर विषय है मैं आग्रह करता हूं कि कृपया

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इसको सुन लें । नाबालिग लड़की को एक मुस्लिम युवक अपहृत करता है और अपहरण के बाद उसकी एफ०आई०आर० दर्ज नहीं होती है, उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं होती है, यह बहुत गम्भीर विषय है मैं आपके माध्यम से व्यवस्था चाहता हूं । आज पूरे प्रदेश में हल्ला-बोल गुण्डागर्दी का माहौल पैदा हो गया है । मैं आपसे चाहता हूं कि यह अति महत्वपूर्ण विषय है इस पर सदन में चर्चा करायी जाय । ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने गुण्डागर्दी की है उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय । आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री लालजी टण्डन–

मैंने केवल अपनी नोटिस पढ़ी थी उसके ऊपर मैं कुछ तथ्य आपकी अनुमति से रख रहा हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

आपकी नोटिस नियम–56 में स्वीकार हुई थी, 311 में नहीं हुई थी ।

श्री लालजी टण्डन–

वह किसी में स्वीकार हुई हो, मान्यवर, यह हमारा अधिकार है ।

श्री अधिष्ठाता–

आप तो वरिष्ठ सदस्य हैं नियम–56 की सूचना को नियम–311 में कैसे कह सकते हैं ।

श्री लालजी टण्डन–

जो नोटिस प्रस्तुत की गयी और स्वीकार हुई, मैं उसी पर बोल रहा हूं, यह हमारा अधिकार है ।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है, बोलिये ।

* श्री लालजी टण्डन–

मान्यवर, यहां इस प्रदेश की राजनीति जिस दिशा में जा रही है जो लोग हमारी खुशामद किया करते थे, आज वही आरोप लगाते हैं कि हम सरकार से मिल करके काम कर रहे हैं । हम ऐसी सरकार से क्यों मिलेंगे जहां पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर थाने और एस०पी० के दफ्तर में आक्रमण होते हैं । मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, मैं मुख्य मंत्री के सामने कहना चाहता हूं कि इससे गम्भीर विषय कोई और नहीं हो सकता कि जब किसी मंत्री का नाम इन्वाल्व किया जाय किसी विधायक का नाम इन्वाल्व किया जाय । अलीगढ़ में जितने लोग गिरफ्तार हुए, वहां पर वैसा कोई विषय नहीं था, आप किसी दिन वहां के प्रमुख लोगों को बुला लें । हमारे संसदीय कार्य-मंत्री जी चले जायं, एक दिन में मामला हल हो जायेगा । वहां कोई विषय नहीं है, अनेकों वर्षों से एक परम्परा चली आ रही है और एक रास्ता है, उस रास्ते को लेकर गलतफहमी थी । वहां ताला बन्द रहता था लेकिन जब भी कोई शव जाता था तो ताला खोल दिया जाता था । उस दिन वो मुतवल्ली नहीं थे इस वजह से ताला नहीं खुल पाया । किसी दूसरे

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

व्यक्ति ने ताला तुड़वा दिया और शव अन्दर चला गया, जहां ऐसा माहौल हो वहां ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए । लेकिन ऐसा क्यों हुआ, यह चिन्ता का विषय है । मान्यवर, अगर प्रमुख लोगों को चुन-चुन कर, राजनीतिक दुर्भावना से जेलों में बन्द किया जायेगा तो यह प्रदेश के स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक बात होगी .।

श्री विजेन्द्र सिंह–

आपके ही लोग वहां पर धरना दे रहे थे ।

श्री लालजी टण्डन–

चोर की दाढ़ी में तिनका होता है और वह देखने लगता है ।

एक माननीय सदस्य–

जिनके दाढ़ी ही न हो ।

श्री लालजी टण्डन–

जिनके दाढ़ी नहीं होती है तो वह बोलने लगता है ।

(इस समय 1 बजकर 47 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

मान्यवर, सरकार को रूलिंग पार्टी की तरह बिहैव करना चाहिए जो कहीं दिखाई नहीं दे रही है । अराजकता की स्थिति पैदा हो गयी है । हमारे मुख्य मंत्री जी किन-किन की मजबूरी में काम करेंगे । अभी हमारे प्रमोद जी परम्परा की बात कर रहे थे । जो सत्तापक्ष में बैठा हुआ है उनको अधिकार है वह हस्तक्षेप कर सकते हैं बोल सकते हैं उसमें काम रोको की नोटिस आये, क्या यह ठीक परम्परा है ? संसदीय कार्य-मंत्री जी आजम खां साहब ने कहा कि परम्परायें बनती रहती हैं लेकिन मेहरबानी करके ऐसी परम्परा न बनाइये जिससे सदन की परम्परा ही खत्म हो जाय । यह विपक्ष का अधिकार है कि अगर सरकार पर कोई बात कहना चाहता है तो वह नोटिस लाये और उस नोटिस/कार्य-स्थगन को स्वीकार करना या न करना आपका अधिकार है । लेकिन सत्तापक्ष का मजा ले रहे हैं और विपक्ष का दायित्व निर्वहन करने के लिए नोटिस भी ले आ रहे हैं । नोटिस लाने की क्या आवश्यकता थी ? वह ऐसे ही बोल सकते थे । आप सर्मथक दल हैं, और आपको वह अधिकार है जो सत्तापक्ष का है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

इसमें आपका भी सहयोग है ।

श्री लालजी टण्डन–

आपका सहयोग रहा है और यहां तक पहुंचाने में भी रहा है, आप मानें या न मानें । मान्यवर, अलीगढ़ की घटना में जहां वरिष्ठ सांसद जिन्होंने माननीय मुख्य मंत्री जी के साथ संसद में काम किया, उनके पिता एक जमाने में प्रदेश के एक मूर्धन्य नेता थे, फ्रीडम फाइटर थे, वह निकली, उनसे कहा गया कि आप निकलकर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके शान्ति कायम कीजिए और शान्ति की बात शुरू हो रही थी, इसी बीच में पता नहीं किसके दबाव में उनको गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार करने के बाद क्या वह इतनी बड़ी अपराधी थी कि वहां से दूसरे जिले में भेज दिया गया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री विजेन्द्र सिंह–

मान्यवर, प्रशासन ने ठीक किया है । यदि.....

श्री अध्यक्ष–

आप बैठिये, माननीय संसदीय कार्य-मंत्री जी उत्तर देंगे ।

श्री लालजी टण्डन–

मान्यवर, मेरा अनुमान है कि सत्ता पक्ष के कुछ लोग इस दंगे को कराने में शामिल थे । उनको यह बात बुरी लग रही है । मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं आक्षेप नही लगा रहा हूं । यथार्थ बता रहा हूं । वहां पर शीला गौतम जैसी सीनियर सांसद को गिरफ्तार करके आगरा भेजा गया ।

एक आवाज–

ठीक है ।

श्री लालजी टण्डन–

खैर ईश्वर करे आपको ठीक लगे और आपको हमेशा के लिये मयस्सर हो । इस समय प्रदेश को गंभीरता से संभालने की कोशिश करनी चहिये ।

एक आवाज–

[xxx]

श्री लालजी टण्डन–

मैं यही कहना चाहता हूं कि शीला गौतम को अविलम्ब रिहा किया जाय । शान्तिवार्ता शुरू की जाय और सबको छोड़ा जाय । आप इस मामले की न्यायिक जांच करवा लें । मैं चाहूंगा कि शान्ति बननी चाहिए । प्रदेश में अगर कही मेरे सहयोग की जरूरत हो, मैं आजम साहब को दावत देता हूं कि जहां मेरी जरूरत पड़ेगी प्रदेश में शान्ति के लिये, खून बहाने के लिये मैं तैयार हूं । यह किसी दल की बात नही है । आखिर प्रदेश के अन्दर जो प्रयास हो रहा है विकास के लिये मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता हूं । अगर प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत खराब हो जाय, दंगा होना शुरू हो जाय, वही सेबोटेज हो, कोई सुनियोजित योजना बनाकर ऐसा किया जाय तो उस पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिये ।. आतंकवादी संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की हिम्मत नहीं है । यह शर्म की बात है । हम यहां बैठकर एक पक्षीय बात कह रहे हैं, आखिर संख्या उतनी ही रहेगी जिनकी जितनी है । हम कोई दंगा कराकर षडयंत्र करके कोई रबर की तरह बढ़ा लें वह संभव नहीं है । जिन्होने इस तरह की तुष्टीकरण की नीति अपनायी और जिन्होंने सच को सच नहीं कहा उनकी दशा आज देख लें उसका नमूना दोनों बैठे हैं हमारे बीच में । मान्यवर, अभी कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक भी है । माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, मैंने जो कहा है उसके बारे में संजीदगी से विचार करेंगे और तत्काल कार्यवाही करेंगे इस सदन की गरिमा और मर्यादा को बनाये रखेंगे क्योंकि लोक सभा के सदस्य हों या विधान सभा

---

नोटः– [xxx] यह अंश माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

के सदस्य हों उनके अपने अधिकार होते हैं । अधिकार मीडिया के भी होते हैं । आज अफसोस की बात है कि हमारे पत्रकार बंधुओं ने एक घंटे के लिये सदन की कार्यवाही में भाग नहीं लिया । हम सबको इस पर विचार करना चाहिये कि आखिर यह चौथा खंभा जो है हम उसकी स्वतंत्रता की रक्षा करें यह हमारी जिम्मेदारी है, धन्यवाद ।

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

अध्यक्ष महोदय माननीय नेता विरोधी दल ने जो कुछ कहा है और हमारे अन्य माननीय नेताओं ने जो अपने विचार व्यक्त किये हैं, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से सभी नेताओं से कहना चाहता हूं कि दंगा कराने की कोशिश जरूर हुयी है लेकिन दंगे की स्थिति उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं है । केवल छुट-पुट घटनायें हुयीं है । घण्टों में घटनाओं को ठीक कर दिया गया है । दबा दिया गया है । कहीं भी इस तरह की घटनाएं नहीं हुई हैं । हां अलीगढ़ का मामला निश्चित तौर पर जैसा कि नेता विरोधी दल ने कहा आगरा के बारे मे आप जानते ही हैं कि वहां एक मंत्री के उपर हमला हुआ उसके कारण उत्तेजना फैलनी स्वाभाविक थी लेकिन वहां भी नियंत्रण हो गया और वहां पूरी तरह से सौहार्द्र का वातावरण है । जो उन्नाव की घटना है उसके बारे में अध्यक्ष महोदय आपको तो पता ही है । दो पक्षों का यहां विवाद था जिसके कारण जघन्य अपराध हुआ है इसमें मानवता को पूरी तरह से कुचला गया है । वहां पर कार्यवाही हो रही है । अन्य जो घटनाएं बताई गई हैं वहां पर कहीं भी शान्ति भंग या कानून व्यवस्था की समस्या नहीं है । यह जरूर है कि अलीगढ़ की समस्या है । एक सांसद को गिरफ्तार करने से । हम इतना जरूर कहेगे माननीय नेता प्रतिपक्ष से कि सरकार और हम पर कहीं भी दबाव नहीं है । किसी के दबाव में हम नहीं है । न ही दबाव में काम हो रहा है । न ही किसी के साथ पक्षपात या बदले की भावना से काम हो रहा है । सरकार ने वायदा किया है कि बदले की भावना से या पक्षपात के आधार पर सरकार नहीं चलेगी । यह हम आपके माध्यम से आश्वस्त कराना चाहते हैं । लेकिन नेता विरोधी दल ने एक अच्छी बात कही है कि हम सहयोग करेंगे सद्भावना पूर्ण प्रदेश का वातावरण रहे अगर नेता प्रतिपक्ष साथ देंगे तो कानून व्यवस्था का कोई सवाल ही नहीं रहेगा जितनी घटनाएं हुई हैं इसमें आपका सहयोग चाहिए । आप सरकार में रह चुके हैं । जो कानून तोड़ता है उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाती है । एक सांसद का सवाल उठाया गया, हम पता कर लेगे हम पूरी जांच करा लेंगे मैं उम्मीद करता हूं कि नेता विरोधी दल सदन में सच्चाई रखें । मैं भी प्रतिपक्ष में काफी समय रहा हूं । नेता प्रतिपक्ष भी रह चुका हूं । जहां तक सांसद का सवाल है सांसद से मेरे राजनीतिक नहीं लेकन अच्छे रिश्ते हैं । पहले से थे अब सात साल तक साथ रहे । एक कमेटी में भी साथ-साथ हैं । उनको थोड़ा समझाना पड़ेगा । आपको मैं भी उनको समझाऊंगा । हम उत्तर प्रदेश की एक आदर्श राज्य बनाना चाहते हैं । उसका परिणाम आपके सामने आएगा जल्द ही आएगा । अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के उद्योगपति घण्टे दो घण्टे नहीं 8-8 घण्टे विचार कर रहे हैं अध्ययन कर रहे हैं । अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के एक्सपर्ट व उद्योगपति भी आ रहे हैं उनके साथ लगातार विचार विमर्श हो रहा है । परसों से लेकर कल शाम तक लगातार विचार विमर्श हुआ है । इसके पहले भी विचार विमर्श हुआ है । उत्तर प्रदेश जो पीछे चला गया है आपको आश्चर्य होगा कि बिजली के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे पीछे है, बिजली के बिना विकास नहीं हो सकता है । दूसरी तरफ सड़क का सवाल है, बेरोजगारी का सवाल है ऐसी भयंकर समस्याएं हैं । इन समस्याओं को हल करने में सरकार लगी हुई हैं । अगर यहां इस तरह से कहा जाएगा कि प्रदेश की

कानून व्यवस्था खराब हो गई है तो इसका अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर व उद्योग पर खराब असर होगा । अगर उत्तर प्रदेश शक्तिशाली व सम्पन्न होगा तो देश शक्तिशाली और सम्पन्न होगा । यह लक्ष्य है सरकार का और इसीलिये इस लक्ष्य के लिये जिम्मेदारी सबकी है । हम अपील करेंगे सभी राजनीतिक दलों से कि मतभेद हममें हो सकते है लेकिन इस महान प्रदेश के विकास के लिये हमको आप सबका सहयोग चाहिए । आप सबको सहयोग देना चाहिए । यदि कहीं प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब है तो आपकी हमारी सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि कैसे उसको दुरुस्त किया जाय ? कहीं कोई घटना है तो हम नेता विरोधी दल से बात करेंगे और अध्यक्ष जी हम आपसे भी बात कर लेंगे । इन घटनाओं के लिये हम किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहते हैं । हम आप सबसे बात करेंगे और आपके सहयोग से प्रदेश में कानून व्यवस्था मे कहीं कोई दिक्कत नहीं आयेगी । आज आप सब देख रहे है कि प्रदेश में किस तरह का वातावरण बना है । प्रदेश के लोगों की कल क्या भावनाएं थीं और आज किस तरह की भावना है । आज हम प्रदेश को विकास की तरफ ले जाना चाहते हैं और प्रदेश की जनता को हर तरह की सुविधाएं मिलनी चाहिए । हम कितना पिछड़ गये थे । प्रदेश में जहां पर वातावरण अच्छा नहीं है उस वातावरण को ठीक करने में कुछ कठिनाई तो होगी । थोड़ा समय तो जरूर लगेगा । हमने ज्यादा समय नहीं मांगा था । हमने कहा था कि 6 महीने का समय हमको दीजिये । जो लोग हमारा साथ दे रहे हैं हमने कहा था कि आप हमारी आलोचना कीजियेगा । लेकिन सकारात्मक आलोचना कीजियेगा । एक स्वर में सब कहें कि जंगल राज हो गया है, यह कहीं तक ठीक है ? आप जानते होंगे कि जंगल राज किसने पैदा किया था । आप सब लोग जानते हैं, जनता जानती है कि वह कैसा महसूस कर रही है । आज जनता महसूस कर रही है कि हम आजाद हुए हैं ।

(मेजें थपथपाई गईं)

जो सिनेमाघर हैं, उनमें क्या हालत थी ? प्रतिदिन किसी भी सिनेमाघर में कोई न कोई घटना जरूर होती थी । हमारी बेटियों के कालेज में रोज घटनाएं होती थीं । रोजाना चेन खींची जाती थी । हमारे आपके सबके परिवारों की लड़कियों और परिवारजनों को घर से बाहर निकलने में डर लगता था । आज किस तरह का वातावरण बना है, आप सब देख रहे है । आप कोई घटना बतायें हम तुरन्त उसको देखेंगे । हम उसका इलाज करेंगे । इसीलिये अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि हम आप सब मिलकर प्रदेश की जनता की भावनाओं, गरीब मजदूर की भावनाओं, गन्ना किसान की समस्याओं जिनसे वे जूझ रहे हैं उन सबको दूर करने और उनकी भावनाओं के अनुरूप प्रदेश में वातावरण बनाने का कार्य करें । हमारी परम्पराएं और संस्कार जो खत्म हुए हैं वे किन दिनों में खत्म हुए हैं । हम इसके लिये किसी को जिम्मेदार नहीं बनाते लेकिन इतना अवश्य बताउंगा कि जब हम संसद के गलियारों में निकलते थे तो लोग हमसे कहते थे कि उत्तर प्रदेश को मुक्ति दिलवाओ । यह हम नहीं कह रहे हैं नेता विरोधी दल जी यह आपके और साथी और जिम्मेदार लोग कहते थे । हमसे ही नहीं कहते थे वे प्रधानमंत्री जी से भी यही कहते थे । उस तरह के वातावरण को बदलने में हम लोग लगे है जिसके बारे में तमाम लोग कहा करते थे । अब इस माहौल को बदलने में वक्त तो लगेगा ही लेकिन इसके लिये हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है । इस प्रदेश को महान शक्तिशाली और सम्पन्न बनाना है । यहां की व्यवस्था को ठीक करना है कि कोई किसी का मोहताज न हो । कोई किसी की हत्या न करे, कोई किसी पर हमला न करे । कोई किसी को आँख न दिखा सके । ऐसा वातावरण हमारी सरकार बनाना चाहती है । लड़ने के

लिये तो मैदान पड़े है लेकिन जहां तक प्रदेश के विकास का सवाल है उसके लिये आप सबके सहयोग की आवश्यकता है । जो भी बैठक करे प्रदेश के विकास के काम के लिये करेंगे तो हम उसका समर्थन करेंगे और आपका सहयोग करेंगे । मैं पूरे सदन से, सभी नेताओं से अपील करता हूं कि आज जिस तरह का वातावरण बना है उसको ठीक रखने में हमारा सहयोग करें । यदि कहीं कोई खराबी हो रही है तो देखें कि क्यों हो रही है और उसको ठीक करने में हमारा सहयोग करें । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो कहा है, और लखनऊ की शान्ति-व्यवस्था का भी उल्लेख किया है । मैं बताना चाहता हूं, लखनऊ जिले में 8 हत्याएं हुई हैं । आज पूरा उत्तर प्रदेश गुण्डों और माफियाओं की गिरफ्त में है । मान्यवर, हत्याएं हो रही हैं और यह सरकार बौनी साबित हो रही है । इसके विरोध में बहुजन समाज पार्टी सदन से वहिर्गमन करती है ।

(शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया ।)

श्री हुकुम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । माननीय मुख्य मंत्री जी का उत्तर हमने सुना । लेकिन विशेष रूप से जिन बिन्दुओं का उल्लेख किया गया था, उन बिन्दुओं पर कोई प्रकाश नहीं डाला । मैं जानना चाहता हूं कि दो महीने में क्या बाढ़ आ गयी कि हर नगर, हर महानगर और हर जिले में साम्प्रदायिक माहौल व्याप्त हो गया । अलीगढ़ के बारे में माननीय लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी ने तथ्य रखे और आपने भी उल्लेख किया कि माननीय सांसद शीला गौतम जी वरिष्ठ नेता हैं और मित्र भी हैं । यदि तनिक भी–संवेदनशीलता बची है तो खड़े होकर कहें कि जिला प्रशासन से गलती हो गयी और उनकी रिहायी का हम तुरन्त आदेश देते हैं । मान्यवर, लखनऊ का विशेष रूप से उल्लेख किया, सिनेमाघरों के बारे में और चैनपुलिंग जहां होती थी उसके बारे में बताया । मैं आज के दैनिक जागरण का उल्लेख कर देना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र शामली में कल सिनेमा मालिक ने एक व्यक्ति को सिगरेट पीने से रोका और परिणाम यह हुआ कि गुण्डों ने धावा बोल दिया, मैं यह अखबार आपके पास भेज देता हूं । गुण्डे धावा बोलते हैं और जख्मी करते हैं लेकिन पुलिस कार्यवाही नहीं करती है । मैं आग्रह कर देना चाहता हूं, माननीय मुख्य मंत्री जी से कि यह शीला गौतम के बारे में घोषणा करें कि हम उन्हें रिहा करते हैं । यदि ऐसा नहीं होता है तो इस सदन को चलाने का कोई औचित्य नहीं है ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय हुकुम सिंह जी ने कहा कि बाढ़ आ गयी है । बाढ़ इसलिये लगती है कि इनकी सरकार में रपट लिखनी बन्द हो गयी थी लेकिन हमारी सरकार में कोई थप्पड़ भी मारेगा, धमकायेगा तो भी रपट लिखी जायेगी । थानेदारों की आदत खराब कर दी थी, इसीलिए आपको लगता है कि बाढ़ आ गयी है । हमारे शासन में छोटी-छोटी घटनाओं की भी रपट लिखने के आदेश हैं ।

वह मान्यवर, हमें ऐसी कानून व्यवस्था नहीं बनानी है जिसमें 75-80 फीसदी रिपोर्ट लिखने से मना किया जाये । हमें बिगड़ा हुआ प्रदेश मिला है, खराब किया हुआ प्रदेश मिला है । उसको सुधारने में कुछ समय लगेगा । लेकिन अगर पूरा का पूरा नाला साफ होगा तो थोड़ी बहुत बदबू तो आएगी ही ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैंने सांसद शीला गौतम के लिए कहा था मुझे उम्मीद थी कि जब मुख्य मंत्री जी दोबारा बोलेंगे तो उस पर कुछ बोलेंगे लेकिन उन्होंने इस सम्बन्ध में एक शब्द भी नहीं कहा ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मैंने कहा था कि हमने माननीय नेता विरोधी दल की बात को गम्भीरता से लिया है और विचार करेंगे कि सांसद को गिरफ्तार क्यों किया गया ? यह संवेदनहीन सरकार नहीं है । यह आपकी संवेदनहीन सरकार थी जिसमें मेरे ऊपर पोटा लगने जा रहा था । अमर सिंह जी पर पोटा लगने जा रहा था, यह संवेदनहीनता थी । अगर जरा भी संवेदनशीलता होती तो माननीय हुकुम सिंह जी आपकी आंखों में आंसू आ जाते ।

श्री हुकुम सिंह–

आंसू आये थे ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं कि अलीगढ़ की जो घटना हुई है उसमें 7 अप्रैल, 1999 को समझौता कराया गया था । अगर उस समझौते का पालन होता रहता तो यह घटना नहीं होती लेकिन उस समझौते का उल्लंघन करके सी०डी०ओ० द्वारा वहां के विधायक की विधायक निधि से स्वीकृति दी गयी जिसमें निर्माण कार्य हुआ । इस वजह से यह घटना हुई । मैं चाहता हूं कि जिस सी०डी०ओ० ने स्वीकृति दी है उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए थी कि जब समझौता हुआ था तो विवादित भूमि पर विधायक निधि लगाने की स्वीकृति क्यों दी गयी ? वह उल्लंघन ही घटना का कारण है । इसकी न्यायिक जांच करा लें और इसके कारण प्राप्त करके कार्यवाही करें ऐसा मेरा अनुरोध है ।

श्री अध्यक्ष–

इस काम रोको प्रस्ताव पर माननीय श्री लालजी टण्डन, श्री हुकुम सिंह जी, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, श्री प्रमोद कुमार जी, श्री जगदम्बिका पाल, श्री लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, श्री घनश्याम शुक्ला आदि माननीय सदस्यों तथा मुख्य मंत्री जी को सुनने के उपरान्त मैं इसे अग्राह्य घोषित करता हूं ।

* श्री भरत सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत ही गम्भीर घटना है । बलिया जनपद में 31 अक्टूबर की रात में 4 जगह गोली चलती है और 31 अक्टूबर को रात 11-12 के बीच में थाना हल्दी, जनपद बलिया में 15-20 लोग अचानक श्री राम नाथ सिंह व श्री दीन दयाल सिंह के दरवाजे पर आते हैं और बिना बात के दोनों को गोलियों से भून देते हैं । श्री राम नाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और समाज सेवी हैं । इनकी रास्ते में मौत हो जाती है और श्री दीन दयाल सिंह घायल हैं । यह हल्दी थाने में घटना होती है । 31 अक्टूबर की रात में बलिया में चार जगह पर गोली चलती है । श्री राम गोविन्द चौधरी,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जो कि मंत्री हैं उनके क्षेत्र में एक आदमी की मौत हो जाती है । हल्दी थाने में शुक्ल छपरा में एक निषाद परिवार को लूट लिया जाता है । मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि बलिया जनपद में एक डेढ़ महीने के अन्दर दो-तीन दर्जन लोग घायल लोगों की मौत हो गयी है । पूरे जनपद में खासतौर से हमारे क्षेत्र में आतंक और भय का माहौल है । हल्दी थाने में आक्रोश को देखते हुए एफ०आई०आर० दर्ज हुई । मृतक श्री रामनाथ सिंह ने मरने से पहले बलिया के सी०ओ० बेरिया को हत्यारे का नाम बता दिया था लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है । पुलिस अभी तक कुछ कर नहीं पायी है । पूरे जनपद में आक्रोश भय और आंतक का माहौल है । माननीय मुख्य मंत्री जी यहां पर बैठे हैं और उन्होंने कहा है कि पूरे प्रदेश में शान्ति का वातावरण हो रहा है तो मैं आपके माध्यम से उनसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि प्रतिदिन हत्यायें, डकैती की घटनायें हो रही हैं । अपराधी खुले आम हत्यायें व लूटपाट कर रहे हैं । स्व० श्री राम नाथ सिंह का हत्यारा खुला घूम रहा है तो मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें कठोर कार्यवाही की जाय । जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को आदेशित करें कि वह हत्यारे को तत्काल पकड़कर जेल में डालें ताकि जो भय और आतंक का वातावरण पैदा हो रहा है वह समाप्त हो सके ।

श्री मो० आजम खां–

अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य, बलिया ने जिस प्रकरण पर तवज्जोह दिलायी है इसमें कोई दो राय नहीं है कि अपराधियों को न पकड़ा जाय । उनकी गिरफ्तारी के लिए जो भी प्रयास होगा उसमें कोई ढील नहीं दी जायेगी । मैं अनुरोध करूंगा कि यह प्रकरण नियम–56 में नहीं आता है इसलिए इसको अग्राह्य किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रस्तुत सूचना पर मैंने माननीय सदस्य श्री भरत सिंह जी को और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना और सुनने के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह नियम–56 में नहीं आती है इसलिए मैं इसको अग्राह्य घोषित करता हूं । अगली सूचना श्री राम शंकर पाल व श्री कुलदीप सिंह जी की है ।

(माननीय सदस्यों के उपस्थित न होने पर)

अब मैं अगली सूचना जो कि डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर जी की है, को ले रहा हूं ।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश के अन्दर चीनी उद्योग सबसे बड़ा उद्योग है । यहां पर 101 चीनी मिलें कार्यरत हैं जिसमें राज्य चीनी मिल की 22, सहकारी चीनी मिल की 27 तथा निजी क्षेत्र में 52 कार्यरत हैं । उत्तर प्रदेश के अन्दर 40 लाख गन्ना किसान इन चीनी मिलों से लाभान्वित हैं । मान्यवर, लगभग पांच हजार करोड़ रुपये का भुगतान इन मिलों को चीनी निगमों के माध्यम से होता है । वर्तमान सरकार ने राज्य सरकार की 24 चीनी मिलों को पट्टे पर देने का निर्णय किया है । 25 अक्टूबर को टेण्डर भी हो गया है । आज सत्ता पक्ष में बैठे हुए सदस्य जो कल तक इधर बैठते थे, निजीकरण का विरोध करते थे । आज वर्तमान सरकार ने 24 चीनी मिलों को पट्टे पर देकर उनका निजीकरण करने का निर्णय लिया । लाखों किसान, हजारों कर्मचारी इससे प्रभावित होंगे । मान्यवर, यह 24 चीनी मिलें जो हैं इनमें आधी यानी 12 चीनी मिलें ऐसी हैं, मैं उनका नाम गिना कर समय नहीं लेना चाहता हूं, वह ऐसी चीनी मिलें हैं कि उनकी हालत अच्छी है, लेकिन यह आश्चर्य होता है कि सरकार ने इन चीनी मिलों को पट्टे पर देने का निर्णय क्यों ले लिया ? आवश्यकता तो यह थी कि इन चीनी

मिलों का आधुनिकीकरण किया जाता, इनका विस्तारीकरण किया जाता, जिससे किसानों को इसका लाभ मिलता । चीनी निगम की मिलें और सरकारी चीनी संघ की मिलें 90 रुपये प्रति कुन्टल गन्ने का भुगतान कर रही हैं, और निजी चीनी मिलें इससे बहुत कम मूल्य पर भुगतान कर रही हैं । यह भी एक समस्या गन्ना किसानों के सामने इन मिलों के निजीकरण करने से आ रही है । मैं वर्तमान सरकार से यह स्थिति भी जानना चाहूंगा कि जिन चीनी मिलों का निजीकरण हो रहा है, उनका बुरा इस्तेमाल तो नहीं होगा ? इसमें शर्त यह भी लगायी गयी है कि 950 करोड़ रुपये का जो ऋण है उसको माफ कर दिया जायेगा, दूसरी शर्त यह लगायी गयी है कि जितनी भी लायबिलिटीज हैं उनको भी सरकार एकदम से समाप्त कर देगी, इसमें जो कर्मचारी वी०आर०एस० लेना चाहेंगे....

(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, इसमें सिर्फ छः चीनी मिलें ऐसी हैं.....

(व्यवधान)

(कई सदस्य अपनी जगह पर खड़े होकर अपनी-अपनी बात कहने लगे जिससे व्यवधान उत्पन्न हो गया ।)

श्री अध्यक्ष–

यह जो पाल साहब कह रहे हैं, वह लिखा नहीं जायेगा । यह कार्यवाही का हिस्सा नहीं माना जायेगा ।

श्री भरत सिंह–

मान्यवर, पाल जी को तो बोलवाया नहीं गया था, फिर यह क्यों बोल रहे हैं ?

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, यह असंसदीय कार्य कर रहे हैं, इसे सदन की कार्यवाही से निकाल देना चाहिए ।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, जगदम्बिका पाल का इस तरह से बीच में बोलने लगना आपत्तिजनक है, इसे कार्यवाही से निकाल दिया जाना चाहिए ।

(इस समय 2 बजकर 25 मिनट पर अधिष्ठाता डा० वकार अहमद शाह पीठासीन हुए ।)

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तो गन्ना मूल्य वृद्धि भी की गयी और किसानों को गन्ना मूल्य भुगतान सौ प्रतिशत किया भी गया । 24 चीनी मिलों को पट्टे पर देने के सम्बन्ध में यह सूचना है, यह सबसे महत्वपूर्ण विषय है, लोक महत्व का और अविलम्बनीय है । लाखों किसान और हजारों कर्मचारी इससे प्रभावित होंगे । मैं सभी माननीय सदस्यों की तरफ से प्रदेश के किसानों के हितों को देखते हुए कहना चाहूंगा कि सरकार इस पर उचित कार्यवाही करे ।

(व्यवधान)

(श्री जगदम्बिका पाल खड़े होकर अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे, जिससे व्यवधान उत्पन्न हो गया ।)

श्री अधिष्ठाता–

आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, कृपया नियमों का ध्यान रखें ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है, पाल साहब यह कहना चाह रहे हैं कि जब विषय चल ही रहा है तो उन्हें भी अपनी बात कह लेनी दी जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया व्यवधान उत्पन्न न करें और सदन को शान्तिपूर्वक चलने दें ।

श्री प्रमोद कुमार–

[xxx]

श्री अधिष्ठाता–

यह लिखा नहीं जायेगा ।

श्री जगदम्बिका पाल–

[xxx]

श्री अधिष्ठाता–

आप वरिष्ठ सदस्य हैं, कृपया बैठ जायें ।

श्री जगदम्बिका पाल–

[xxx]

श्री अधिष्ठाता–

माननीय पाल साहब कृपया बैठ जाएं । यह लिखा नहीं जा रहा है ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

अधिष्ठाता महोदय, जो श्री नरेन्द्र कुमार सिंह गौर जी की नियम–56 की सूचना है मैं कहना चाहता हूं कि आप वरिष्ठ सदस्य हैं और सरकार में मंत्री भी रहे हैं गन्ना विभाग के भी आप मंत्री रहे हैं और समस्याओं से अच्छी तरह से परिचित हैं । आज प्रदेश की आर्थिक हालत वहां पहुंच गयी है उससे अब कोई इन्कार नहीं किया जा सकता है । जो प्रदेश शक्कर के कारखाने, कपड़े के कारखाने और अन्य किस्म के कारखानों से जाना जाता था आज स्थिति क्या है ? चलते हुए पुराने कारखाने बन्द हैं, नये कारखाने लगाने के लिए कोई पूंजीपति तैयार नहीं है उसकी बहुत सी वजह हैं । सड़कें नहीं हैं, बिजली नहीं हैं, कानून व्यवस्था जैसी थी, वैसी आप सबको मालूम है । आखिर प्रदेश की आर्थिक स्थिति कैसे उबारी जाए, लोगों की पर कैपिटा इन्कम कैसे बढ़ाई जाए, गरीबी की रेखा से नीचे रह रह लोगों को जरूरत की चीजें कैसे मुहैया करायी जायं । अस्पताल का पर्चा जो 8 रुपये में बनता था उसको हमारी सरकार ने एक रुपया किया हैं । एक्सरे पर लगने वाली फीस खत्म की है दाखिले की फीस खत्म की है, दवायें अब मिलने लगी हैं । शिक्षा महंगी हो गयी थी, उसकी व्यवस्था में सुधार किया जा रहा है । ऐसी हालत में जाहिर है कि प्रदेश को दूसरे रास्ते पर विकास के रास्ते पर ले जाने की जरूरत है । आपको मालूम है 500 करोड़ रुपया गन्ने के बकाये मूल्य का भुगतान इस सरकार ने किया है । केन्द्र सरकार की

---

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

घोषणा को नकारते हुए प्रदेश सरकार ने इसे दिया है । सत्ता में आते ही चन्द घण्टों में यह फैसला हुआ था और बड़ी हिम्मत का फैसला था । आज चीनी मिलों में 280 करोड़ रुपये का घाटा है बन्द मिलों को छोड़ कर । आपके जमाने में लोग मिलों की दीवारों को तोड़ कर ले गये, मशीनें खोल कर ले गये सिर्फ कारखानों का नाम है । आखिर इस हालत में कैसे लोगों को रोजगार मिले ? कैसे गन्ना किसानों का भला हो ? उन मिलों को चलाने के लिए जितना पैसा चाहिए वह पैसा कहां से आयेगा ? ये सारे सवाल हैं । इन सवालों के हल के लिए यह जरूरी था कि इन बन्द मिलों को चलाया जाय और यह भी एक सच्चाई है चाहे हम यहां कोई भी बहस कर लें लेकिन यह भी सच्चाई है कि ऐसी मिलें जिनमें मशीनें नहीं हैं, दीवारें नहीं हैं क्या उन्हीं मिलों को पूंजीपति चलाने आयेंगे ? कौन उन्हें पट्टे पर ले लेगा ? उनके साथ जब तक इन मिलों को नहीं जोड़ा जायेगा जो अच्छी मिलें हैं, उनके हिसाब के बराबर की एक मिल घाटे की हो और एक फायदे की हो तो कोई पूंजीपति तैयार हो सकता है इसका एक तजुर्वा है । इस तरह के तजुर्बे में किसी प्रकार की बाधा न पड़े, इस तजुर्बे को करने दिया जाय । बन्द तो हैं ही मिल और एक लम्बे अर्से से बन्द हैं उसको चलाने की योजना है, कोशिश हो रही है ऐसे में मैं समझता हूं कि नियम–56 में आपकी नोटिस का कोई औचित्य नहीं है । कोई भी बड़ा कारखाना चलता है और बन्द होता है तो केवल उससे किसान ही प्रभावित नहीं होता, उससे प्रभावित होता है मजदूर और उनका परिवार, बी-वी बच्चे, मां-बाप । इस तरह से उत्तर प्रदेश के तमाम बन्द कारखानों से केवल किसान प्रभावित नहीं हुआ है प्रभावित हुआ है मजदूर, कानून-व्यवस्था की भी समस्या खड़ी होती है, पूरा प्रदेश गरीबी की ओर जाता है । तो यह विकास का कार्य है, विकास की तरफ प्रदेश को ले जाना है किसानों, मजदूरों के लिए यह फैसला है । मान्यवर, बहस लम्बी हो जायेगी । जितनी शंकायें हैं आपके मन में उन सारी शंकाओं का ख्याल रखा गया है और उनका एक भी मजदूर किसी मिल से नहीं निकाला जायेगा वही अधिकार, उन्हीं अधिकारों को मानना होगा जो अधिकार उसे प्राप्त रहे होंगे । इसके अलावा किसी मिल की एक इंच जमीन को बेचने का अधिकार किसी व्यक्ति को न होगा जिसको पट्टे पर यह कारखाना दिया जायेगा । इसके अलावा सरकार विकास चाहती है और प्रदेश को बचाना चाहती है, गरीबों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाना चाहती है उसकी मंशा आपके सामने है इसलिए कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसमें गरीबों का बुरा हो, किसानों का बुरा हो, यह सारा कार्य किसानों, गरीबों, मजदूरों और नौजवानों के विकास के लिए और प्रदेश के विकास के लिए किया जा रहा है । चुनांचे नियम–56 की यह नोटिस वाजिब नहीं लगती है यह अग्राह्य करने योग्य है ।

श्री नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री की सूचना पर मैं जानना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय पाल जी ने कहा 100 रुपये प्रति कुन्तल का भुगतान किया गया था । जो शंका है उत्तर प्रदेश का विकास हो हर व्यक्ति इसका स्वागत करेगा लेकिन उत्तर प्रदेश का विकास न होकर अगर पूंजीपतियों का विकास होगा तो यह किसी तरह उचित नहीं होगा । मैं यह जानना चाहता हूं कि यह चीनी मिल कब से चलेंगी और गन्ना मूल्य का क्या भुगतान किसानों को दिया जायेगा ?

श्री मो० आजम खां–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सच तो यह है कि अगर इस पर बड़ी बहस होती तो सरकार इसका जवाब देने को तैयार है ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, दो घण्टे की चर्चा स्वीकार कर लीजिये ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण है ।

श्री मो० आजम खां–

आपके जमाने में ही यह जर्जर हालत हुई है इन मिलों की और किसान ने गन्ने को खेत में जालाया और उसमें जलकर मर गया ।

श्री हुकुम सिंह–

ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है ।

श्री मो० आजम खां–

उदाहरण हैं । मान्यवर, इस प्रदेश के विकास की तरफ ध्यान दिया गया है किसी पूंजीपति के विकास के लिए इन कारखानों को नहीं दिया जा रहा है लेकिन ऐसा है कि इन मिलों को चलाने के लिए कोई दरिद्र नहीं आयेगा । इन मिलों को चलाने के लिए पूंजीपति की आवश्यकता है । आज के जमाने में सिर्फ फैशन के तौर पर पूंजीपति की मुखालफत करके अच्छे-अच्छे शब्दों का प्रयोग करके, जिससे उसका ज्यादा से ज्यादा अपमान हो सके, प्रदेश की तरक्की को रोकने की ऐसी किसी भी साजिश पर जनता को निगाह रखनी चाहिए ।

श्री अधिष्ठाता–

इस सूचना पर माननीय गौर साहब तथा माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के उपरान्त अग्राह्य किया जाता है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, नियमावली के नियम–110 को देख लें । प्रजातन्त्र में 4 स्तम्भ होते हैं, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और पत्रकारिता । तमिलनाडु में जिस तरह से पत्रकारों के साथ हो रहा है, उसकी वजह से यहां पर पत्रकारों ने सुबह एक घंटे का बहिष्कार किया ।

श्री अधिष्ठाता–

आप बिना सूचना के बोल रहे हैं ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, लिखित सूचना है ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं इसकी अनुज्ञा नहीं दे रहा हूं ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, नियम–110 में दिया है, बिना सूचना के प्रस्ताव निम्नलिखित प्रस्ताव यदि अध्यक्ष अनुज्ञा दें, बिना सूचना के किये जा सकेंगे । इसमें पहला ही है कि संवेदना का बधाई प्रस्ताव । मैंने आपको

सूचित भी किया है और लिखित भी दिया है । आज तमिलनाडु में पत्रकारों को जेल भेजा जा रहा है, इसी को लेकर पत्रकारों ने आज एक घण्टे सदन की कार्यवाही का बहिष्कार किया है । मैं तो केवल संवेदना का प्रस्ताव लाने की बात कह रहा हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय प्रमोद जी, कृपया बैठ जाइये । मैं नियम 301 की सूचनाएं ले रहा हूं ।

श्री जगदम्बिका पाल–

यह सम्पूर्ण सदन की भावना है और पत्रकारों के ऊपर कुठाराघात है । मैं तो सिर्फ यह चाहता हूं कि यह सदन इस सम्बन्ध में अपनी संवेदना व्यक्त कर ले, यदि ऐसा होगा तो यह सदन के सम्मानित प्रतिनिधियों की संवेदनशीलता का परिचय होगा । आज तमिलनाडु में स्वेच्छाचारिता के नाम पर, ऑटोक्रेसी के नाम पर पत्रकारों का उत्पीड़न किया जा रहा है । यदि कोई पत्रकार हिम्मत करके ऐसी किसी मामले को उठाने का प्रयास करे तो उसे जेल भेजने की कार्यवाही की जाय, यह उचित नहीं है ।

श्री लालजी टण्डन–

मैंने अपने सम्बोधन में सुबह पहले ही यह बात कह दी थी और उनके प्रति अपनी संवेदना प्रकट कर दी । अब उसके बाद आपके द्वारा इसको उठाने का क्या मतलब ? उस समय तो आप लोग बोले नहीं । मान्यवर, यह लोग सदन चलने नहीं देंगे ।

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय नेता विरोधी दल जी, आप उस समय साम्प्रदायिकता पर बोल रहे थे, मैं बीच में व्यवधान पैदा नहीं करना चाहता था । हमने तो इसकी लिखित सूचना भी दी है, नेता सदन यहां बैठे हैं, नेता विपक्ष बैठे हैं, मैं तो यह चाहता हूं कि दोनों लोग सहमति प्रकट करके एक प्रस्ताव ले आये और उन पत्रकारों के प्रति एक संवेदना चली जाय, हम और कुछ नहीं कह रहे हैं । अगर आपको यह ठीक नहीं लगता तो आपका विरोध करना उचित है ।

## नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 10 नवम्बर, 2003 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम–301 के अन्तर्गत कुल 07 सूचनायें प्राप्त हुईं । सभी सूचनायें स्वीकार की गयीं । पहली सूचना श्री जगदीश नारायण राय की, दूसरी सूचना श्री उमा शंकर कुशवाहा की, तीसरी सूचना श्री राम इकबाल सिंह की, चौथी सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की, पाँचवीं सूचना डा० राम बाबू हरित की, छठी सूचना श्री विश्राम सिंह यादव की और सातवीं सूचना डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की है ।

डा० राम बाबू हरित–

(डा० राम बाबू हरित की सूचना पढ़ी गयी तथा शेष सूचनाएं सदन की सहमति से पढ़ी हुई मानी गईं ।)

### जनपद जौनपुर के विकास खण्ड सरकौनी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जगदीश नारायण राय–

[ मान्यवर, जनपद जौनपुर स्थित विकास खण्ड सरकोनी नवसृजित विकास खण्ड है । इसमें एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का होना अति आवश्यक है जिससे उस क्षेत्र की जनता को स्वास्थ्य सुविधायें

---

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

आसानी से उपलब्ध हो सकें । अतः इस लोक महत्व के प्रश्न पर माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करते हुए विकास खण्ड सरकोनी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की मांग करता हूं । ]

**गाजीपुर सदर के ग्राम ख्वाजापुर में एक विवादित दीवार को न्यायालय के स्थगन आदेश के बावजूद गिराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना**

श्री उमा शंकर कुशवाहा–

[मान्यवर, आपसे सादर अनुरोध है कि मेरी विधान सभा के ग्राम–ख्वाजापुर, तहसील–गाजीपुर सदर में एक विवादित दीवार पर माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश विगत 12 वर्ष से है । परन्तु गांव के श्री त्रिभुवन राम द्वारा दीवार को जबरदस्ती गिरा दिया गया है । जिस पर प्रशासन से गुहार के बावजूद न्याय नहीं मिल रहा है । अतः आपसे अनुरोध है कि इस लोक महत्व की मांग को स्वीकार करते हुए न्यायालय के आदेश का पालन कराने की कृपा करें । ]

**जनपद बलिया के गढ़मलपुर पोस्ट आफिस में तैनात सीनियर क्लर्क का अपहरण कर लिए जाने विषयक नियम–301 के अन्तर्गत सूचना**

श्री राम इकबाल सिंह–

[मान्यवर, रामेश्वर प्रसाद राम, ग्राम चचिया थाना सराय, जनपद बलिया के निवासी हैं । गढ़मलपुर पोस्ट आफिस में सीनियर क्लर्क हैं, ड्यूटी करने के उपरान्त पांच बजे के आस-पास लौट कर आ रहे हैं तो सलेमपुर के पास एम्बेसडर कार में सवार लोगों ने दिनांक 6-11-2003 को अपहरण कर लिया है जो दर्शाता है बलिया जनपद में कानून व्यवस्था समाप्त हो गयी है । आम नागरिकों में दहशत पैदा हो गयी और न अपहरणकर्ता पकड़े गये और न अपहृत व्यक्ति बरामद हुआ है । अतः आपके माध्यम से इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए दोषियों को दण्डित कराने की अपेक्ष करता हूं । ]

**शाहजहांपुर के टाउन हाल में स्थित शहीद उद्यान की उत्तरी दीवार से मिली मस्जिद के बगल में अवैध निर्माण के रुकवाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना**

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

[मान्यवर, शाहजहांपुर के टाउन हाल में स्थित शहीद उद्यान की उत्तरी दीवार से मिली हुई एक मस्जिद के बगल में अवैध निर्माण किया जा रहा है । इस सम्बन्ध में कई बार सम्बन्धित अधिकारियों को अवगत कराया गया परन्तु शिकायत के बाद भी खम्भे खड़े किये गये, केवल लिन्टर पड़नी बाकी है । यह निर्माण कार्य बिना नक्शा पास कराये शहीद उद्यान की 6 फिट चौड़ी खिड़की को बन्द करके किया जा रहा है । स्थानीय प्रशासन इस अवैध निर्माण को रोकने में असहाय महसूस कर रहा है । लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर मैं आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि इस अवैध निर्माण को रोका जाये तथा जो निर्माण हुआ है उसको ध्वस्त किया जाये । ]

**जनपद आगरा में चोरी, डकैती, अपहरण एवं चेन स्नेचिंग की बढ़ती घटनाओं पर रोक लगाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना**

डा० राम बाबू हरित–

मान्यवर, जनपद आगरा में चोरी, लूटपाट, डकैती, अपहरण एवं चेन स्नैचिंग की घटनायें लगातार बढ़ती जा रही हैं एच०आई०जी० फ्लैट्स संजय प्लेस थाना हरीपर्वत में सरकार के सांसद मा० रामजी लाल सुमन, राज्य मंत्री मा० राम सूरत शाक्य, पूर्व सांसद प्रभु दयाल कठेरिया, सपा के तमाम राष्ट्रीय

---

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

प्रदेश व जनपद स्तर के कार्यकर्ता व पदाधिकारी निवास कर रहे हैं जिससे सिद्ध होता है कि यह कितनी महत्वपूर्ण कालोनी है । परन्तु यहां पर भी सपा सरकार बनने के उपरान्त लगातार घरों के ताले तोड़कर चोरियां हो रही हैं । दिनांक 19-9-03 को श्री जगदीश के मकान नं०–14/13 फ्लैट से ताला तोड़कर चोरी हुई, सभी दहेज के सोने, चांदी को चोर लूट ले गये । थाना हरीपर्वत में मुकदमा संख्या–448/03 धारा 380 आई०पी०सी०, में दर्ज हुआ । तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी, थानाध्यक्ष से सम्पर्क किया परन्तु कोई परिणाम नहीं निकला इसके बाद श्री चुघ साहब व अन्य लोगों, लगभग 10 कोठियों के ताले टूट चुके हैं परन्तु भय के कारण लोग थाने में एफ०आई०आर० नहीं करा रहे हैं । आप इस गम्भीर समस्या पर सरकार का ध्यान आकर्षित कर जनता को राहत दिलाते हुए समस्या का निराकरण करायें ।

**जनपद हरदोई के ग्राम छितरामऊ, खम्भौरा इत्यादि के जले ट्रान्सफार्मर को ठीक कराकर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना**

श्री विश्राम सिंह यादव–

[मान्यवर, हरदोई जनपद की तहसील सवायजपुर के गांव छितरामऊ कम्भौरा, कटेठा आदि के विद्युत ट्रान्सफार्मर जल जाने से विद्युत आपूर्ति नहीं हो पा रही है जिसके कारण सवायजपुर तहसील का 1/2 हिस्सा केवल अंधेरे में ही नहीं रहता, बल्कि खेती बारी व छोटे-छोटे उद्योग धन्धे सभी ठप्प पड़े हैं और सरकार की 14 घण्टे विद्युत सप्लाई का आदेश खोखला साबित हो रहा है जिससे जनता में काफी आक्रोश फैला हुआ है ।

अतः आदरणीय सदन के संज्ञान में इस लोक महत्व के विषय को लाकर मांग करता हूं कि अविलम्ब उपरोक्त ट्रान्सफारमर ठीक कराकर किसानों को कम से कम 14 घण्टे विद्युत पहुंचायी जाये । ]

**प्रदेश के पेन्ट व्यापारियों पर लगाये गये दोहरे व्यापार कर को समाप्त करने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना**

डा० लक्ष्मीकान्त वाजपेयी–

[ मान्यवर, प्रदेश के पेन्ट्स व्यापारियों द्वारा नवीनतम तकनीक के माध्यम से कम्प्युटराइज्ड कलर उपभोक्ता को उपलब्ध कराये जा रहे हैं । व्यापार कर विभाग इसको पुनरोत्पादन मानकर दोहरा व्यापार कर लगा रहा है । जब कि भारत सरकार ने इस प्रकार की परिस्थिति में दोहरी एक्साइज ड्यूटी से मुक्त किया है । मैंने शासन को पत्र 16/11/2002 द्वारा दोहरी व्यवस्था से पेन्ट व्यवसाय को मुक्त करने का आग्रह किया था जिस पर परीक्षण कराया जा रहा है, उत्तर भी आया था । एक वर्ष के बाद भी परिणाम अभी तक शून्य है, व्यवसाय पिछड़ रहा है, नवीनतम तकनीक का लाभ के बजाय दुष्परिणाम सामने आ रहा है ।

मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं । ]

---

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

## ''प्रदेश में गम्भीर एवं गरीब रोगियों के लिए उपचार की व्यवस्था सरकारी खर्च पर किये जाने'' विषयक डा० पी० के० राय, स०वि०स० द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा

डा० पी० के० राय–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे संकल्प पढ़ने एवं चर्चा करने का अवसर प्रदान किया। मैं आपकी अनुज्ञा से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि "इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश में गम्भीर एवं गरीब रोगियों के समुचित उपचार की व्यवस्था सरकारी खर्च पर की जाय।" अध्यक्षता महोदय, कल्याणकारी सरकार का दायित्व है जन स्वास्थ्य की रक्षा करना। लेकिन देश का हृदय उत्तर प्रदेश की सरकार का ध्यान इस दायित्व की तरफ से हट गया है। इसलिए पिछले दशक में इस प्रदेश की स्थिति ऐसी हो गयी है कि इस प्रदेश का चिकित्सा सुविधाओं के क्षेत्र में 19वां स्थान हो गया है। प्रतिवर्ष रु० 48/- प्रति व्यक्ति, प्रतिवर्ष चिकित्सा बजट पर है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने अस्पतालों के रजिस्ट्रेशन शुल्क को रु० 8/- से रु० 1/- कर दिया। लेकिन गम्भीर रोगियों की जिनको हृदय रोग हुआ है, जिन्हें गुर्दा प्रत्यारोपण की आवश्यकता है, जो कैंसर से पीड़ित हैं, ऐसे रोगियों का कोई भी इलाज का इन्तजाम सरकारी तौर पर नहीं है। सदन में बैठे हुए हम सभी लोग यह संकल्प ले करके आये हैं कि जनता की सेवा करेंगे, लेकिन हमारे पास जब कोई इस प्रकार का रोगी आता है जिसका बेटा, जिसका भाई, जिसकी बहन हृदय रोग से पीड़ित है, जिसे गुर्दा प्रत्यारोपण की आवश्यकता है उसका इलाज करने में हम एक धेला मदद नहीं कर सकते हैं।

मैं सदन से अनुरोध करना चाहता हूं कि सभी सम्मानित सदस्य जिनकी हैसियत है कि एक साल में 75 लाख रुपये ईंट, खड़ञ्जा, पुल, पुलिया पर खर्च करते हैं लेकिन वह अपनी कलम से गरीब रोगियों की कोई मदद नहीं कर सकते हैं। प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था जर्जर है इसलिए मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि ऐसे रोगियों के इलाज के लिए चिकित्सा सेवा संस्थानों को सीधे तौर पर विधायक निधि से एक निश्चित धनराशि जो भी सदन तय करे, वह अवमुक्त करने का प्राविधान किया जाय। जिससे गम्भीर रोगियों का इलाज सम्भव हो सके। यहां पर मैंने प्रदेश की स्थिति बता दी है कि हमारे प्रदेश का स्थान 19वां है और बिहार इससे तीन नम्बर ऊपर है। सरकार इन्तजाम नहीं कर पा रही है तो निश्चित तौर पर ईंट, पत्थर पर खर्च करने का काम जो हम लोग करते हैं उसके साथ ही गरीब के इलाज का काम कराना चाहिए और उसका प्राविधान सदन के द्वारा किया जाना चाहिए। मान्यवर, इसमें अपव्यय की बात की जा रही है, मेरा इसमें अनुरोध है कि गुर्दा प्रत्यारोपण, हृदय रोग व कैंसर जैसे गम्भीर रोगों का इलाज इस प्रदेश में केवल संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में ही होता है तो अगर सम्बन्धित मरीज के नाम कर सीधे संस्थान को धन अवमुक्त कर दिया जाये तो कोई अपव्यय नहीं होगा और मरीज को मदद मिल जायेगी।

वर्तमान में जो व्यवस्था है उसमें माननीय मुख्य मंत्री जी के विवेकाधीन कोष और माननीय प्रधान मंत्री के राहत कोष से ही इलाज के लिए कोई सहायता मिल पाती है वह भी, जो मुख्य मंत्री जी या प्रधान मंत्री जी के करीब होगा आम आदमी को यह मदद नहीं मिल पाती है। जहां तक चिकित्सा संस्थानों का सवाल है तो गम्भीर रोगों के 36 हजार रोगी प्रतिवर्ष एस०जी०पी०जी०आई० में आते हैं और उसमें से लगभग साढ़े 6 हजार रोगियों के आपरेशन होते हैं मगर सरकारी मेडिकल कालेज दुर्दशा के शिकार हैं। गोरखपुर मेडिकल कालेज में डाक्टरों के 50 प्रतिशत पद रिक्त हैं। गोरखपुर मेडिकल कालेज की मान्यता मेडिकल काउन्सिल ऑफ इण्डिया द्वारा समाप्त करने की कार्यवाही चल रही है। ऐसे में भी जो वहां हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, पिछले 4 वर्ष में 150 लोगों को पेस-मेकर लगाया गया जिस पर 50 हजार रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक का खर्च आता है। एक गरीब आदमी इतना पैसा नहीं खर्च कर सकता है। इसलिए सदन में बैठे हुए सभी सम्मानित साथियों से अनुरोध करना चाहता हूं कि इसके

ऊपर गम्भीरता से विचार करें और गम्भीर रोगों के इलाज के लिए विधायक निधि से धन सीधे मेडिकल संस्थान को दिये जाने का प्राविधान किया जाना चाहिए, जिससे एक गरीब व्यक्ति को कुछ इमदाद देकर उसकी जान बचायी जा सके । इन्हीं शब्दों के साथ मैं सुझाव देते हुए अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

श्री आलमबदी––

मान्यवर, जो बड़े मर्ज हैं, कैन्सर, गुर्दा प्रत्यारोपण आदि.....

श्री सतीश महाना–

संकल्प प्रस्तुत करने के पश्चात् माननीय सदस्य उसे वापस नहीं कर सकते क्योंकि संकल्प प्रस्तुत हो जाने के बाद सदन की सम्पत्ति हो गयी, उसके पश्चात् वोटिंग होगी । जब तक सदन अनुज्ञा नहीं देगा तब तक वापस नहीं होगा । माननीय सदस्य ने संकल्प रखा उसका समर्थन हो रहा है, कैसे वापस ले लिया ?

श्री आलमबदी–

मान्यवर, विधायक निधि से क्षेत्र में बुनियादी काम हो रहे हैं ।

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय डा० पी० के० राय ने जो संकल्प रखा है कि "इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश में गम्भीर एवं गरीब रोगियों के समुचित उपचार की व्यवस्था सरकारी खर्चे पर की जाय ।" उनका यह संकल्प महत्वपूर्ण है । प्रदेश में जो गरीब और असहाय लोग गम्भीर बीमारियों के कारण बिना उपचार के मर जाते हैं, उनके प्रति यह सरकार बहुत संवेदनशील है । अपनी नीतियों का सूत्र-वाक्य बोलते समय हमारे नेता और प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी ने बार-बार कहा है, जब हमारी सरकार नहीं थी तब भी यह बात कही थी कि "कपड़ा, रोटी सस्ती होगी, दवा पढ़ाई मुफ्ती होगी ।" डा० राम मनोहर लोहिया जी के इन सिद्धान्तों से जोड़कर गम्भीर रोगियों और गरीब रोगियों का उपचार सरकार द्वारा किया जाय । यह जो संकल्प इनका रखा गया है सरकार इस संकल्प की भावना से अपने को सम्बद्ध करती है । शपथ लेने के चन्द मिनटों के अन्दर ही सरकार ने सबसे पहला जो कदम उठाया वह इन्हीं गरीब रोगियों के लिए उठाया और 8 रुपये का जो पर्चा था उसको एक रुपया कर दिया, सारी जांचे मुफ्त कर दी गयीं । आज महाना जी बैठे हुए हैं उनको चिन्ता हो रही है लेकिन पूर्ववर्ती सरकार में जबरिया वसूली होती थी । प्रसव के लिए जो महिला अस्पताल में जाती थी उससे 280 रुपये लिए बगैर कोई डाक्टर उसको देखने के लिए तैयार नहीं था । इस संकल्प की भावना के अनुसार सरकार ने पहले ही कदम उठा लिए हैं और चरणबद्ध रूप से सरकार चल रही है । बजट सत्र आरम्भ हो चुका है जब हम स्वास्थ्य विभाग का बजट रखेंगे तो आप देखेंगे कि हमने गरीबों के लिए काम किये हैं । सरकार पूरी तरह से इस संकल्प की भावना से सहमत है । मैं पी० के० राय जी से अनुरोध करूंगा कि वह औपचारिक तौर पर पीठ से अनुरोध कर ले संकल्प को वापस करने के लिए ।

डा० पी० के० राय–

मान्यवर, मैं इस संकल्प को वापस लेने की मांग आपसे करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि डा० पी० के० राय द्वारा प्रस्तुत संकल्प को वापस लेने की अनुज्ञा दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

**जनपद वाराणसी के अस्सी क्षेत्र के भदैनी मुहल्ले में जन्मी महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली को अधिग्रहीत करके उनके नाम पर स्मारक का निर्माण कराने विषयक श्री श्याम देव राय चौधरी, स०वि०स० द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा**

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद वाराणसी के अस्सी क्षेत्र के भदैनी मुहल्ले में 11 नवम्बर, 1835 को जन्मी स्वतन्त्रता संग्राम की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली, भवन संख्या–बी–1/190 तथा बी–1/191 को अधिग्रहीत कर उनके नाम पर एक स्मारक का निर्माण कराया जाए ।" अधिष्ठाता महोदय, महारानी लक्ष्मीबाई के विषय में बहुत विस्तार से बताने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि वह एक विलक्षण महिला थीं । महिलाओं के हाथों में चूड़ियों की झनकार सुनाई देने और उनके लिए अन्यान्य उपमायें दी जाती हैं, उसके विपरीत इस महिला के हाथ में तलवार थी और उन्होंने 1857 के स्वतन्त्रता संग्राम में जिस शौर्य का प्रदर्शन किया और घोड़े पर सवार होकर हाथ में तलवार लेकर महिलाओं की सेना के साथ अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिये उसकी गाथायें भारत के जन-जन में व्याप्त हैं । बहुत संक्षेप में मैं कहना चाहता हूं कि वाराणसी में एक भव्य स्मारक बनाया जाए । मान्यवर, महारानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मणिकर्णिका उर्फ मनू था । अन्तिम पेशवा बाजीराव जब वाराणसी आये तो उनके अति विश्वस्त सहयोगियों के साथ मोरोपन्त ताम्बे नामक एक सहकर्मी आये उनके साथ उनकी पत्नी भगीरथी बाई भी वाराणसी आयीं । जिस क्षेत्र का मैंने अपने संकल्प में उल्लेख किया है उसी क्षेत्र में वह सारे लोग रहने लगे ।

कालान्तर में कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी सम्वत् 1891 तद्नुसार 1 नवम्बर, 1835 ई० को मनु का वाराणसी के जिन भवनों का मैंने उल्लेख किया है उसमें गंगा महल नामक भवन में उनका जन्म हुआ । कालान्तर में उनकी शादी झांसी के गंगाधर राव के साथ सम्पन्न हुई और एक बच्ची का जन्म हुआ । उसके बाद उनके पति का देहावसान हो गया । उनके पति के मरने के बाद उन्होंने चूंकि बचपन से ही शिक्षा दीक्षा के साथ-साथ शस्त्र चलाने में कुशलता प्राप्त की थी उन्होंने अपने पति की मृत्यु के बाद सैन्य संचालन का भी दायित्व अपने ऊपर लिया और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी । इस सम्बन्ध में जन-जन में वह कहावत विख्यात है कि "बुन्देले हरबोलो के मुंख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मरदानी वह तो झांसी वाली रानी थी ।" झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली वाराणसी के जिन भवनों का मैंने उल्लेख किया है उसे देखने वहां पर विदेशी और देशी पर्यटन आते हैं तो बड़ी पीड़ा होती है, वहां कूड़े का अम्बार व खण्डहर दिखाई देता है । यह मामला जाति बिरादरी से ऊपर पूरे प्रदेश के गौरव से जुड़ा मामला है । महारानी लक्ष्मीबाई की अपूर्व शौर्य गाथाएं हैं उसके लिए मैं यह चाहता हूं कि अस्सी क्षेत्र के भदैनी मुहल्ले के भवन संख्या बी-1/190 व बी-1/191 को सरकार अधिगृहीत करे और वहां पर एक भव्य स्मारक का निर्माण किया जाए ताकि महारानी लक्ष्मीबाई की जो शौर्य गाथाएं हैं, जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में उनका अभूतपूर्व योगदान रहा है, उससे लोग प्रेरणा ले सके और उसके अनुरूप वहां पर इन भवनों को अधिगृहीत करके एक भव्य स्मारक का निर्माण किया जाए । मैं संसदीय कार्य मंत्री के आसन पर जो मंत्री जी बैठे हुए हैं उनसे उम्मीद करता हूं कि वह इसकी घोषणा करें । कई सरकारें आईं और गईं लेकिन वर्तमान सरकार के कार्यकाल में उन भवनों का अधिग्रहण हो और भव्य स्मारक का निर्माण कराया जाए । इन्हीं शब्दों के साथ मैं पूरे सदन से यह प्रार्थना करता हूं कि इस पर पक्ष में अपना मत रखें और सर्वसम्मति से इस भव्य स्मारक को बनाने के संकल्प को पारित करें । धन्यवाद ।

श्री हश्चिन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी'–

मान्यवर, मैं इस बात को बहुत सरल करने के नाते एक सूचना देने के लिये खड़ा हूं। इस स्थान पर महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था यह सरकारी दस्तावेज में और वर्तमान पर्यटन के कागजों में दर्ज है और इस बारे में कोई विवाद नहीं है। इस स्थल को पर्यटन स्थल बनाने के लिये केन्द्र सरकार द्वारा 90 लाख रुपये स्वीकृत करके वाराणसी भेज दिया गया है और वह पैसा वाराणसी के आयुक्त के यहां पहुंच गया है। जब मैं वित्त मंत्री था तो मेरे सामने इसका प्रस्ताव आया था भूमि अधिगृहीत करने के लिये 36 लाख रुपये की स्वीकृति मैंने कर दी थी। यह रुपया निकालने में जो भी समय लगा। उस समय चुनाव की घोषणा हो जाने के कारण यह पैसा निकाला नहीं जा सका। इस समय संसदीय कार्य मंत्री के स्थान पर जो मा० मंत्री जी विराजमान हैं, अपने दायित्व का निर्वहन करने के लिये, उनसे मैं कहूंगा कि वहां पर कोई विवाद की बात नहीं है कुछ भूमि पर लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है उसको उनके कब्जे से ले लें। केन्द्र सरकार ने महारानी लक्ष्मीबाई का भव्य स्मारक बनाने के लिए पैसा दिया है एक बहुत बड़ा काम मुलायम सिंह जी के समय में हो जायेगा और उसका श्रेय आप सबको मिलेगा। आयुक्त महोदय के पास रुपया आ चुका है। जिस जमीन पर लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है उनसे लेकर उस पर कार्य करवा लें। जो प्रस्ताव माननीय श्याम देव राय चौधरी जी ने रखा है उससे पूरा सदन सहमत होगा।

संस्कृति कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह) (वाराणसी)–

मान्यवर, यह सरकार पूरी तरह से माननीय श्यामदेव राय चौधरी जी की भावनाओं से सहमत है और यह भी कहना चाहता हूं कि चाहे महारानी लक्ष्मीबाई की स्थली से सम्बन्धित हो या किसी अन्य महापुरुष के स्मारक के संदर्भ में हों। यह सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है और उनके तथा अन्य मोन्यमेन्टस को संरक्षित करना चाहती है। जो संकल्प चौधरी जी ने प्रस्तुत किया है वहां पर रानी लक्ष्मीबाई के जन्म स्थान के बारे में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। उनका जन्म वाराणसी में उक्त मकान नम्बर मे हुआ था। हम संज्ञान में लाना चाहते है माननीय विधायक जी के कि इस सन्दर्भ में केन्द्र सरकार के सहयोग से करीब 6 करोड़ का एक प्रोजेक्ट बना है जिसमें उसके आस-पास की भूमि को भी अधिग्रहीत करके एक बहुत ही अच्छा स्मारक बनाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है जिसमें उनकी मूर्ति और संग्रहालय बनाने का प्रस्ताव है और उसके सन्दर्भ में टोकन मनी के रूप में केन्द्रीय पर्यटन मंत्री श्री जगमोहन जी ने 90 लाख रुपये वाराणसी आयुक्त के पास भेज दिया है। हम भी चाहते हैं और आप भी चाहते है। यह पूरा सदन चाहता है कि रानी लक्ष्मीबाई के जन्म स्थान को एक स्मारक के रूप में बनाया जाय जिससे प्रदेश ही नहीं पूरे देश की महिलाओं को एक प्रेरणा मिलेगी और आगे आने वाली पीढ़ियों को भी यह जानने का अवसर मिलेगा कि हमारे देश में स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में हमारे देश की महिलाओं ने कितना बड़ा योगदान दिया था। मैं इस अनुरोध के साथ इस संकल्प को वापस लेने की बात कहूंगा क्योंकि यह प्रोजेक्ट केन्द्र सरकार टेक-अप कर चुकी है यदि उत्तर प्रदेश की सरकार इसमें हस्तक्षेप करती है या इस संकल्प को लेती है तो निश्चित रूप से केन्द्र सरकार अपना हाथ वापस ले लेगी। चूंकि लगभग 6 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है, उसकी स्वीकृति सिद्धान्ततः केन्द्रीय मंत्री जगमोहन जी ने दे रखी है, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि सरकार का साथ दें और आपकी भावनाओं से पूरी सरकार उनके साथ है। दूसरी बात जहां तक जमीन का प्रश्न है। पूरी जमीन चिन्हित कर ली गयी है और उसका एक स्टीमेट भी बना लिया गया है। हरीश जी ने कहा कि 52 लाख रुपया स्वीकृत हुआ था, लेकिन 36 लाख रुपया उस समय स्वीकृत हुआ था, आकस्मिकता निधि से लेकिन किन्हीं कारणों से

डिस्बर्स नहीं हो सकी इसलिए वह अस्वीकृत कर दी गयी । इसलिए मेरा अनुरोध है कि आपकी भावनाओं से हम लोग पूरी तरह से साथ हैं और इस संकल्प को इसलिए अस्वीकार कर रहे हैं क्योंकि केन्द्र सरकार इस पर धन दे रही है ।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मैं आभारी हूं, संस्कृति मंत्री वीरेन्द्र सिंह जी का, उन्होंने महारानी लक्ष्मीबाई का जो जन्मस्थल है वहां पर एक भव्य स्मारक बने, इस पर असहमति नहीं प्रकट की है । लेकिन मैं उनकी जानकारी के लिए दो बिन्दु यहां पर उपस्थित करना चाहता हूं कि केन्द्रीय मंत्री जगमोहन जी वाराणसी आए थे और उनकी योजनाओं में जिन क्षेत्रों का विकास है, वहां वह गये थे, संयोग से मैं भी उनके साथ था । उनका यह स्पष्ट कहना था और मैं माननीय संस्कृति मंत्री जी के संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूं, जो उन्होंने कहा था कि 90 लाख रुपये भेज दिया है, वह भी सही है, हरीश जी कह रहे हैं, राज्य सरकार द्वारा 52 लाख दिया गया है और मंत्री जी कह रहे हैं, 36 लाख, वह भी सही है । लेकिन इस बात से भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि केन्द्र सरकार बनाती है या प्रदेश सरकार बनाती है । केन्द्रीय मंत्री जगमोहन जी ने कहा था कि अगर प्रदेश सरकार इन भवनों को, और जमीन को अधिग्रहीत करके दे तो मैं इसका सम्यक् विकास करने की जिम्मेदारी लेता हूं । माननीय वीरेन्द्र सिंह जी, संस्कृति मंत्री जी शायद इस बात से अनभिज्ञ हैं कि जगमोहन जी का स्पष्ट कहना है कि प्रदेश सरकार हमें जमीन अधिग्रहीत करके दे, जितना धन लगेगा वे उसकी व्यवस्था करेंगे । मैं सिर्फ चाहता हूं कि उस वीरांगना का जो योगदान है, उसका सम्मान हो और एक सम्मानजनक स्मारक बने । इसलिए मैं चाहता हूं कि प्रदेश सरकार उस जमीन को अधिग्रहीत करके दे । अगर प्रदेश सरकार जमीन अधिग्रहीत करने का कार्य करती है तो मैं समझता हूं कि जो इस संकल्प भावना है वह पूरी हो जायेगी ।

श्री वीरेन्द्र सिंह–

सरकार ने कभी नहीं कहा कि हम जमीन नहीं देंगे । हम प्रयास कर रहे हैं । जो ट्रस्ट के अधीन है, उनसे हमारी वार्ता चल रही है और निश्चित रूप से जब निगोशिएट होकर फाइनल हो जायेगी तो यह जमीन उपलब्ध हो जायेगी ।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

माननीय मंत्री जी इतना संशोधन कर लें कि जो निगोशिएट कर रहे हैं, यदि उससे तय नहीं होता है तो राज्य सरकार वादा करे कि लोकहित में, जनहित में उस जमीन को अधिग्रहीत करेगी ।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली के सिलसिले में मुझे अवगत कराना है कि केन्द्र सरकार से पैसा उसे डेवलप करने के लिए मिला है लेकिन कल इस तरह के निर्देश दिये गये हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार केन्द्र सरकार को चिट्ठी लिखकर यह क्लियरीफिकेशन ले लें कि उन्होंने इस जगह को, इस पैसे को खर्च करने के लिए कोई प्रावधान नहीं रखा है । अगर ऐसा नहीं है तो यह जन्मस्थली महारानी लक्ष्मीबाई की याद में पैसा खर्च हो उसमें उत्तर प्रदेश सरकार का भी योगदान हो । अगर धन की कमी पड़ती है तो उसमें प्रदेश सरकार का भी योगदान हो । उसमें किसी तरह की गुंजाईश नहीं होगी ।

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी'–

आप उस समय नहीं थे, मैंने कहा कि जब मैं वित्त मंत्री था तो इसमें जमीन अधिग्रहीत करने के लिए रुपये की जरूरत थी । वह जमीन स्वीकृत कर दी गयी लेकिन चुनाव की घोषणा के कारण वह पैसा निकाला नहीं जा सका । श्री जगमोहन जी ने भी कहा है कि अगर जमीन उन्हें सौंप दी जाये तो वह स्मारक बनवा देंगे । अगर उत्तर प्रदेश सरकार सहयोग करे और जमीन अधिग्रहीत कर केन्द्र सरकार को दे तो यह बनने के लिए तैयार है ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, अधिग्रहण करने का अधिकार केन्द्र सरकार को नहीं है यह उत्तर प्रदेश सरकार को है । अगर आपका सहयोग होगा तो यह हो जाएगा ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

अवश्य सहयोग होगा ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मेरा कहना है कि वर्तमान संसदीय कार्य मंत्री और पूर्व संसदीय कार्य मंत्री जी के संकल्प, में मेरा संकल्प न रह जाये ।

श्री वीरेन्द्र सिंह–

मेरा कहना है कि केन्द्र सरकार एक प्रस्ताव पारित कर चुकी है और यह काम हो रहा है । तो यहां पर संकल्प पारित करने का कोई औचित्य नहीं है । जहां तक जिम्मेदारी की बात है हम यह चुके हैं कि हम सारी कठिनाईयों को दूर करेंगे यह पूरा प्रयास है कि यह वहां पर बने ।

श्री भरत सिंह–

मान्यवर, यह स्मारक बनाने की बात है और संस्कृति मंत्री कह रहे हैं कि हो रहा है । यह धन आ गया है । जमीन केवल देनी है ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, मैंने संस्कृति मंत्री जी को भी सुना उनकी भावना भी अन्यथा नहीं लगी । उसके बाद संसदीय कार्य मंत्री को भी सुना उनकी भावना भी अन्यत्र नहीं लगी । लेकिन जनभावना की बात सर्वोपरि है । मैं इतना चाहता हूं कि यह तकनीकी कारणों से, तकनीकी लफ्जों से .....

श्री मोहम्मद आजम खां–

जो भी तकनीकी कारण हैं उसे दूर करने के लिए पूरी कोशिश की जायेगी । हमारी पूरी नीयत है बनाने की, क्यों आप हमारी नीयत पर शुबह कर रहे है । हमें तो पूरी खुशी है कि आप गुस्से से हमारी सरकार के सामने बोल रहे है । जब आपकी सरकार थी तो आप बोल भी नहीं सकते थे ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

हमें सरकार की नीयत पर कोई शक नहीं है और हमें वीरेन्द्र सिंह जी, जो कि सांस्कृतिक मंत्री हैं, उनके ऊपर भी कोई शक नहीं है । मैं बस यही कहना चाहूंगा कि सरकार इस काम का अंजाम दे, केन्द्र सरकार का सहयोग लेकर ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अधिष्ठाता–

माननीय चौधरी साहब क्या आप संकल्प वापस ले रहे हैं ? अगर नहीं ले रहे हैं तो मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मेरा माननीय सदस्य से आग्रह है कि वह अपना संकल्प वापस ले लें और भी बहुत से मौके आयेंगे प्रश्न के जरिए ला सकते हैं तथा और भी तरीके हैं ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, मैं वापस ले लूंगा लेकिन दो शब्द कहना चाहता हूं । मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस संकल्प के साथ पूरी सरकार और पूरा सदन एक साथ है । सिर्फ तकनीकी कारण है जिसे दूर करना है । माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी और इस विभाग के माननीय सांस्कृतिक मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया है कि जो भी तकनीकी दिक्कतें होंगी उसे दूर करेंगे चाहे वह नेगोशियेशन के जरिए हों या फिर जमीन अधिग्रहण करके इस स्मारक का निर्माण कराया जायेगा इस आश्वासन की बात पर इस संकल्प को मैं वापस लेता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य श्री श्यामदेव राय चौधरी ने जो संकल्प रखा है उसे वापस लेने की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

**''पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता को सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने हेतु पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की खण्डपीठ स्थापित किये जाने विषयक डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी स० वि० स० द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा**

श्री अधिष्ठाता–

अब अगला संकल्प डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी का है ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता को सस्ता एवं सुलभ न्याय दिलाने हेतु पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की खण्डपीठ की स्थापना की जाय ।

मान्यवर, किसी भी सरकार का उद्देश्य अपनी जनता को सस्ता एवं सुलभ न्याय दिलाना होता है । सरकार का यह दायित्व है और वादकारियों के हित सिर्फ इसमें है कि न्याय में विलम्ब न हो, मुकदमों में अवलम्बन न हो, न्याय न्यूनतम दर पर उपलब्ध कराया जाय, गरीब, पिछड़े और उपेक्षित लोगों को उनकी सामर्थ्य के अनुसार न्याय मिल पाये । मान्यवर, मेरा सरकार से यह कहना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की खण्डपीठ की स्थापना-जसवन्त सिंह आयोग की सिफारिश के अनुसार की जाय । जब तक हाईकोर्ट की स्थापना न हो तब तक यू०पी० हाईकोर्ट अमलगमेशन आर्डर, 1948 के तहत सर्किट बेंच की स्थापना करके जनता को सस्ता एवं सुलभ न्याय दिलायें । देश के अन्य राज्यों में वहां की जनसंख्या एवं उनके हाईकोर्ट एवं उनकी खण्डपीठों का विवरण में देना चाहूंगा । मध्य प्रदेश में

छः करोड़ इक्सठ लाख इक्यासी हजार एक सौ सत्तर की जनसंख्या हाईकोर्ट जबलपुर में और खण्ड पीठ इन्दौर तथा ग्वालियर में है । इसी तरह से महाराष्ट्र में जनसंख्या सात करोड़, उन्यासी लाख, सैतीस हजार, एक सौ सत्तासी और हाईकोर्ट मुम्बई तथा खण्डपीठ नागपुर औरंगाबाद में है । पश्चिमी बंगाल जिसकी जनसंख्या लगभग सात करोड़ है, कोलकत्ता हाईकोर्ट की खण्डपीठ पोर्ट-ब्लेयर में सर्किट बेंच सिलीगुड़ी या जलपायीगुड़ी में स्थापित की जा रही है । तमिलनाडु जिसकी जनसंख्या–5,58,56,946 है, मद्रास हाईकोर्ट की खण्डपीठ मदुरई में नयी स्थापित हो रही है । राजस्थान जिसकी जनसंख्या–4,40,05,990 है वहां जोधपुर हाईकोर्ट की खण्डपीठ जयपुर में स्थापित है । आसाम जिसकी जनसंख्या–2,24,14,322 है, गौहाटी हाईकोर्ट खण्डपीठ मणिपुर जिसकी जनसंख्या–लगभग बीस लाख है, मेघालय जिसकी जनसंख्या लगभग 18 लाख, नागालैण्ड जिसकी जनसंख्या लगभग 12,09,546 है क्रमशः इम्फाल बैन्च और शिलांग बैंच है, मिजोरम जिसकी जनसंख्या–6,87,756 है वहां हाईकोर्ट खण्डपीठ कोहिमा में स्थापित है ।

जब उपरोक्त जनसंख्या पर खण्डपीठें अन्य राज्यों में स्थापित हैं तब 18 करोड़ की जनसंख्या पर उत्तर प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश को एक अतिरिक्त खण्डपीठ न दिये जाने का क्या औचित्य है ? आखिर वहां के लोगों को खण्डपीठ की न्यायोचित मांग से वंचित क्यों किया जा रहा है ?

माननीय सम्पूर्णानन्द से लेकर के अब तक सब मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में संकल्प पारित किया जा चुका है, लगभग 14-15 मुख्यमंत्रियों द्वारा इस मांग पर सहमति व्यक्त की जा चुकी है, तब फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता को इस न्यायोचित मांग से वंचित क्यों रखा जा रहा है ? गुजरात में अहमदाबाद हाईकोर्ट है, जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर, गोवा में पणजी, त्रिपुरा में अगरतला और दिल्ली में दिल्ली हाईकोर्ट है तो मैं यह कहना चाहता हूं कि दूरी की दृष्टि से अगर विचार करें तो इलाहाबाद से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुख्य 16 जनपदों की दूरी का जो औसत है वह इस प्रकार है –मेरठ 637 कि०मी०, मुजफ्फरनगर 693 कि०मी०, सहारनपुर 752 कि०मी०, बागपत 690 कि०मी०, गाजियाबाद 687 कि०मी०, बिजनौर 692 कि०मी०, गौतमबुद्ध नगर 630 कि०मी०, बुलन्दशहर 567 कि०मी०, ज्योतिबाफूले नगर 650 किमी०, हाथरस 456 किमी०, रामपुर 633 किमी०, मुरादाबाद 662 किमी०, अलीगढ़ 541 किमी०, आगरा 464 किमी०, एटा 497 किमी० और मैनपुरी 462 किमी० दूर है, अर्थात पश्चिमी उत्तर प्रदेश की औसत दूरी इलाहाबाद से लगभग 600 किमी० है । लम्बित वादों के आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि 31-12-2000 तक लगभग 09 लाख मुकदमें लम्बित हैं और इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 16 जनपदों के लम्बित वादों की संख्या लगभग 4,65,000 है यानी कुल वादों की 52 प्रतिशत या 53 प्रतिशत वाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लम्बित है । तब फिर आपत्ति क्या है ? माननीय सर्वोच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने नसिरूद्दीन बनाम स्टेट ट्रांसपोर्ट एपीलेट ट्रिबुनल रिर्पोटिंग 1976 ए०आई०आर० (सुप्रीम कोर्ट) पेज 331 में यूनाईट प्राविन्स हाई कोर्ट एमलगमेशन आर्डर 1940 के पैरा–7 व 14 की व्याख्या करते हुए स्पष्ट कहा है कि–देयर इज नो परमानेन्ट सीट आफ द हाईकोर्ट ऐक्ट इलाहाबाद । द सीट ऐट इलाहाबाद एण्ड ऐट लखनऊ में बी चेन्ज्ड इन एकारडेन्स विद द प्रीविजन्स आफ द आर्डर । यानी इलाहाबाद में हाईकोर्ट की जो सीट है वह सीट स्थाई नहीं है । आदेश के अनुसार इस सीट को कहीं भी बदला जा सकता है, तब फिर प्रदेश की जनता को इससे विरत रखा जा रहा है, संविधान के आर्टिकल 14 में कानूनी समता का भाव है, इसके अन्तर्गत न्याय प्राप्त करना सबका अधिकार है, संविधान के आर्टिकल 39-ए में प्राविधान है कि राज्य सरकार कानूनी सहायता, सस्ता सुलभ न्याय उपलब्ध कराये । इन सबके होते हुए भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की खण्डपीठ स्थापित न करके वहां की जनता के साथ अन्याय किया जा रहा है । मेरा यह कहना है कि सर्किट कोर्ट

की स्थापना करने में माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सहमति की आवश्यकता नहीं है । मान्यवर, जिस संकल्प को विधान सभा ने पारित करके भेजा उस पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने जवाब दिया । मान्यवर, दो बार इस सदन में इस पर सवाल उठे । वर्ष 1991 में प्रथम सत्र में सवाल था कि क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की पीठ जसवन्त सिंह कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार आगरा में स्थापित किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश शासन ने कोई पत्र केन्द्रीय सरकार को संस्तुति सहित भेजा है ? इसका उत्तर था-जी नहीं । इसी तरह से प्रश्न का दूसरा भाग था यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसका जवाब था-प्रश्न नहीं उठता । मा० मुख्य न्यायाधीश से इस सम्बन्ध में विचार मांगे हैं, जो प्रतीक्षित हैं । इसी तरह से प्रथम सत्र, 2001 में प्रश्न था कि इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर पश्चिमी क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए क्या जनपद आगरा में उच्च न्यायालय की खण्डपीठ स्थापित करने पर सरकार विचार कर रही है । इसका जवाब था-माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ स्थापित करने का प्रकरण भारत सरकार विधि मंत्रालय के विचाराधीन है ।

मान्यवर, आज सदन के सामने यह प्रश्न है कि प्रदेश की जनता को न्याय देना है । मान्यवर, माननीय मुख्य न्यायाधीश इस प्रदेश में अन्य प्रदेशों से आते हैं । जब भी इस बारे में यहां कोई बात होती है तो कहा जाता है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से अभी इस पर सहमति नहीं प्राप्त हुई है । जब कि मुख्य न्यायाधीश जिस राज्य के थे, उस राज्य में हाई कोर्ट की खण्डपीठ है । जबकि वह इस राज्य के लिए सहमति नहीं चाहते है । सहमति नहीं देना चाहते हैं । मान्यवर, यह लेने की बात अलग और देने की बात अलग तो यह तराजू पर भिन्नता उचित नहीं है । मैं इस संकल्प के माध्यम से सदन की सहमति चाहता हूं और भारत सरकार से मांग करना चाहता हू कि भारत सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की राय प्राप्त किये बिना जसवन्त सिंह आयोग की रिपोर्ट के आधार पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुए आन्दोलनों के सन्दर्भ में तथा वहां इस पर प्रबल जनमत के आधार पर निर्णय ले । आयोग की रिपोर्ट में खण्डपीठ की स्थापना पर सहमति दी गयी है । इसलिए इसकी स्थापना करनी चाहिए ।

मान्यवर, संविधान के अनुच्छेद-39ए को आप देखें, यह निर्देशात्मक सिद्धान्त है, इसमें प्राविधान है कि राज्य सरकार कानूनी सहायता, सस्ता सुलभ न्याय उपलब्ध कराये । इसी तरह से अनुच्छेद-214 में है कि राज्य में एक हाई कोर्ट होगा । मान्यवर, जब अन्य राज्यों में हाई कोर्ट की खण्डपीठ हैं तो उत्तर प्रदेश में वह बात क्यों नहीं लागू होती है । मान्यवर, हाईकोर्ट की स्थापना का विषय केन्द्र का है और इसका स्टाफ राज्य सरकार की सूची में है । जब उत्तरांचल का बंटवारा किया गया तो हम उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 2000 लाये उसके भाग चार में उच्च न्यायालय का उल्लेख है । उस विधेयक की धारा-26(3) की उपधारा-2 में किसी बात के होते हुए भी, उत्तरांचल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और खण्ड न्यायालय उत्तरांचल में उसके प्रधान स्थान से भिन्न ऐसे अन्य स्थान या स्थानों पर बैठ सकेंगे जिन्हें मुख्य न्यायमूर्ति उत्तरांचल के राज्यपाल के अनुमोदन से नियत करे । मान्यवर, इसमें स्पष्ट तौर पर राज्य सरकार का अधिकार है और यह बात, दी यूनाइटेड प्रेविन्सेज हाई कोर्ट्स (अमैलगमेशन) आर्डर, 1948 में है । 14-दि न्यू हाईकोर्ट, एण्ड दि जजेस एण्ड डिवीजन कोर्ट्स देयरआफ, शैल सिट एट एलाहाबाद ऑर एट सच अदर प्लेसेज इन दि यूनाइटेड प्रोविन्सेज एज दि चीफ जस्टिस मे, विद दि अप्रूवल आफ दि गवर्नर आफ दि यूनाइटेड प्रोविन्सेज, एप्वाइन्ट । यानी महामहिम राज्यपाल की सहमति से उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यदि कोई स्थान तय कर दें तो उस स्थान पर उच्च न्यायालय बैठ सकता है । यह आर्डर 1948 की धारा-14 और पुनर्गठन विधेयक का भाग चार की उप धारा तीन इसे स्पष्ट भी करता है । मान्यवर मैं पटना उच्च न्यायालय की रांची बैंच का उल्लेख यहां करना चाहता हूं । यह

पुनर्गठन से सम्बन्धित अध्याय पांच में है इसमें बिहार के विवरण के अन्तर्गत दिया है–2–रांची बैंच आरम्भ में पटना उच्च न्यायालय की एक सर्किट बेंच 6 मार्च 1972 को स्थापित की गयी थी, जिसे 8 मई, 1976 में एक स्थायी बेंच में बदल दिया गया । मान्यवर, इस तरह से आप देखें कि जब पटना उच्च न्यायालय के सर्किट बेंच 6 मार्च, 1972 को रांची में स्थापित हो सकती है और बाद में उसको 8 मई, 1976 में एक स्थाई बेंच में बदल दिया गया तो मान्यवर, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट की खण्डपीठ या सर्किट बेंच किसी स्थान पर स्थापित हो सकती है । मेरा स्थान के प्रश्न पर कोई विवाद नहीं है । मान्यवर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं भी स्थापित की जाए रांची की तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सर्किट बेंच की स्थापना कर दी जाए । फिर उसे भारत सरकार परमानेन्ट बोर्ड में परिवर्तित करे । यह बात मैं संकल्प के माध्यम से कहना चाहता हूं । पटना में न्याय से संलग्न 35 न्यायाधीशों में तीन रांची में बैठने थे, एक स्थाई तौर पर और अन्य दो पांच-पांच सप्ताह के लिए बैठते थे । माननीय जसवन्त सिंह आयोग ने भी वर्ष 1985 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की सिफारिश की है । मान्यवर, इसकी स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट एमलगेशन एक्ट, 1948 की धारा–14 में माननीय मुख्य न्यायाधीश, उत्तर प्रदेश तथा महामहिम श्री राज्यपाल जी की सहमति मात्र ही आवश्यक है । इससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को सरल, सस्ता और सुलभ न्याय, दरवाजे पर न्याय, पिछले, पिछड़े गरीब लोगों को न्याय मिल सकेगा । मान्यवर, महामहिम राज्यपाल जी, मुख्य न्यायाधीश जी और यू०पी० हाईकोर्ट के एमलगेशन का सहारा लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना पर सरकार विचार कर ले । मैं इसके साथ-साथ एक बात और कहना चाहता हूं कि अन्य राज्यों का जो क्षेत्रफल है, जनसंख्या की बात मैंने कही, क्षेत्रफल की दृष्टि से हम देखें, तो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है उसके अनुपात में हाईकोर्ट जहां पर स्थापित है, जहां इसकी आवश्यकता है तमाम क्षेत्रफल के हिसाब से हाईकोर्ट की स्थापना पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होनी आवश्यक है । माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस पर आ चुका है । ऐसा नहीं है कि कानून में कहीं बाधा है लेकिन सवाल हैं सरकार की नीयत का, राजनीतिक हित से उपर उठकर जनता के हित में सोचने का । अगर हम यह सोचेंगे कि इससे इलाहाबाद का अहित हो जाएगा, इलाहाबाद के वकील हड़ताल करेंगे तो यह ठीक नहीं है । अब किसी न किसी दिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सब्र का पैमाना छलकेगा और किसी न किसी दिन उसके धैर्य का बांध टूटेगा और अगर यह सब हुआ तो इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता के कार्य-कलाप का झटका इस उत्तर प्रदेश की कोई भी सरकार झेल नहीं पायेगी । मान्यवर, राजनीतिक दृष्टिकोण से मैं कहना चाहता हूं कि आगरा मण्डल में विधान सभा की 42 सीटें, मेरठ, मुरादाबाद व सहारनपुर मण्डल विधान सभा की 63 सीटें यानि कुल मिलाकर 105 विधान सभा सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आती हैं, जबकि इलाहाबाद में कुल 11 सीटें आती हैं । इलाहाबाद में जब हड़ताल होती है तो पूर्वांचल के जिले उसके साथ नहीं खड़े होते हैं । इलाहाबाद हाईकोर्ट में हड़ताल के साथ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई हड़ताल नहीं होती है । मान्यवर, यह एक लाभकारी निर्णय होगा यदि हम हाईकोर्ट बेंच की स्थापना वहां करते हैं । मान्यवर, इस सम्बन्ध में सुझाव है कि जब तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खण्डपीठ की स्थापना न हो तब तक कुछ कदम आगे बढ़ाने के लिए इलाहाबाद और लखनऊ के कार्यक्षेत्र में जिलों के आवंटन में परिवर्तन किया जाना चाहिए । मैं यह कहना चाहता हूं कि वर्तमान में लखनऊ और इलाहाबाद की हाईकोर्ट के क्षेत्र का पुनर्गठन किया जाए । बरेली, गोरखपुर, कानपुर आदि को लखनऊ बेंच से जोड़ा जाए । पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए इलाहाबाद से ज्यादा नजदीक लखनऊ पड़ेगा और यहां पर काम का बोझ भी कम है । मेरठ, मुरादाबाद व सहारनपुर मण्डलों के लिए मेरठ में इसकी स्थापना की जाए और आगरा मण्डल हेतु आगरा में बेंच स्थापित कर दी जाए । न्याय सस्ता और सुलभ हो, गरीब,

दबे, कुचले को न्याय तो उसका पालन हो सकेगा । मान्यवर, बिहार में रांची में सर्किट बेंच की स्थापना की गयी थी । इसके बाद कलकत्ता हाईकोर्ट के तहत अण्डमान-निकोबार में बेंच स्थापित की गयी । मैंने तमिलनाडु का भी उदाहरण दिया । मेरा निवेदन यह है कि सरकार इस पर गम्भीरता से विचार करे । यह देश है विक्रमादित्य का, जिनका न्याय जाना जाता था, यह प्रदेश है राजर्षि पुरुषोत्तम दास टण्डन का और उसके बाद के सभी मुख्यमंत्रियों का, जिनका भी यह मानना रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खण्डपीठ स्थापित की जाय । तब फिर केन्द्र सरकार के पाले में गेंद डालने का काम किया जा रहा है । मेरी सरकार से मांग है कि आगरा और मेरठ में सर्किट कोर्ट की स्थापना करके और एक बार फिर से जनपदों का पुनर्निर्धारण करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता की बरसों पुरानी मांग को पूरा किया जाना चाहिए ।

मान्यवर, मेरा इस सरकार से इस संकल्प के माध्यम से यह भी निवेदन है कि पिछले 20 वर्षों से बराबर यह मांग है, जनता बराबर आन्दोलित है, बराबर इसके लिए आन्दोलन होता रहा है, प्रतिवर्ष होता है, बार एसोसियेशन के लोग आन्दोलन करते हैं, वादकारी आन्दोलन करते हैं, सभी सरकारें, चाहे जिस किसी दल की सरकार रही हो, ने इस तथ्य की अनदेखी करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता के साथ अन्याय किया है । इसलिए मैं इस सरकार से मांग करता हूं कि तत्काल आगरा और मेरठ में सर्किट कोर्ट स्थापित करके, माननीय मुख्य न्यायाधीश, दि यूनाइटेड प्राविन्सेस हाईकोर्ट एमलगेशन आर्डर, 1948 और महामहिम श्री राज्यपाल तीनों की सहमति से सर्किट कोर्ट स्थापित की जाय और यह कहना कि इससे न्याय का स्तर गिरेगा, मैं इससे कतई सहमत नहीं हूं और कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति इससे सहमत नहीं हो सकता । तमाम जगहों पर खण्डपीठ बनी है, इसलिए कृपा करके यहां भी सर्किट बेंच स्थापित की जाय । माननीय जसवन्त सिंह आयोग की रिपोर्ट के आधार पर उसके बाद पूर्ण पीठ स्थापित की जाय । मेरी पुनः यह मांग है कि सरकार इस कार्य-स्थगन को अस्वीकार कर इस पर विचार करे और प्राथमिकता के आधार पर सर्किट कोर्ट की और उसके बाद खण्डपीठ स्थापित करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता की इस बरसों पुरानी मांग को पूरा करे तथा जनता को सस्ता, सुलभ और दरवाजे पर न्याय दिलाने का जो दायित्व है, उसकी पूर्ति करे । मैं सरकार से मांग करता हूं कि वह इस पर कार्यवाही करे ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, मैं इस संकल्प के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हूं । मान्यवर, 1981 में जब मैडम इन्दिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थीं, तब विशेष रूप से एक संघर्ष समिति बनी थी, उस संघर्ष समिति में मैं भी था । उस समय हम लोगों ने उनसे मुलाकात की थी, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बेंच खोलने के सम्बन्ध में । बाद में वह राजनीति का हिस्सा बन गयी । कुछ लोग चाहते थे, देहरादून में खुले, कुछ चाहते थे, मेरठ में खुले, कोई चाहता था, रामपुर में खोली जाय, कोई मुरादाबाद में, कोई बरेली में और कोई आगरा में चाहता था, लेकिन मतैक्य नहीं हो पाया । लेकिन चाहे इस पक्ष के लोग हों, चाहे उस पक्ष के लोग हों, सभी इस बात पर एकमत हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक हाईकोर्ट की बेंच होनी चाहिए और सभी इसका नारा देते हैं कि न्याय सस्ता हो, गरीब के दरवाजे पर हो । अभी संसदीय कार्य मंत्री जी खड़े होंगे और इस बात को वह भी स्वीकार करेंगे, भले ही बाहर जाकर दूसरा व्यू रखते हों, लेकिन यहां वह इस सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कहेंगे मैं चाहता हूं कि इस संकल्प पर तुरन्त कार्यवाही होनी चाहिए । 1990 में श्री शतरुद्र प्रकाश न्याय मंत्री के रूप में जवाब दे रहे थे, यह चर्चा उस समय भी हो रही थी, वह जवाब दे रहे थे, उन्होंने कहा था कि भारत सरकार के लिए, प्रदेश

सरकार की ओर से संस्तुति कर दी गयी है लेकिन आज तक उस संस्तुति का कोई भी निर्णय जनता के सामने देखने को नहीं मिला । मैं चाहता हूं कि जब तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलग से बेंच स्थापित न की जाय तब तक के लिए पश्चिम के जिलों को लखनऊ बेंच से जोड़ दिया जाय क्योंकि लखनऊ बेंच में कोई बहुत ज्यादा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की आवश्यकता नहीं होगी । केवल कुछ सुविधायें देनी होंगी, जो कि आसानी से यह सरकार मैनेज कर सकती है । जब तक बेंच न खुले तब तक शाहजहांपुर, हरदोई के पश्चिम वाले जिलों को लखनऊ से जोड़ दिया जाय । पश्चिम में बहुत से जिलों में इसीलिए हड़ताल होती है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बेंच स्थापित नहीं की जाती । वकील लोग हड़ताल करते हैं सप्ताह में 5 दिन ही काम होता है । यह हड़ताल 20-22 वर्षों से प्रत्येक शनिवार को लगातार होती है । इसलिए मैं चाहता हूं कि जब तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थान तय न हो तब तक के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों को लखनऊ बेंच से जोड़ दिया जाय ताकि उन्हें इलाहाबाद न भागना पड़े और उन्हें लखनऊ में न्याय मिल सके । इसी के साथ मैं अपनी बात पर बल देते हुए श्री बाजपेयी द्वारा प्रस्तुत संकल्प का समर्थन करता हूं, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूं, मैं श्री बाजपेयी जी को बधाई देना चाहता हूं कि सरकार से हटने के तुरन्त बाद उनको हाईकोर्ट की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खण्डपीठ स्थापित करने की याद आ गयी । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आये दिन इस बात की चर्चा होती है कि इस प्रदेश में राजनैतिक लोगों की साख दिन प्रतिदिन घट रही है, इसका जीता जागता उदाहरण श्री बाजपेयी जी ने उजागर कर दिया । केन्द्र में श्री अटल बिहारी बाजपेयी जी की सरकार प्रदेश में कल्याण सिंह जी की सरकार, भाजपा से समर्थित सुश्री मायावती की सरकार, राजनाथ सिंह जी की सरकार, राम प्रकाश गुप्ता जी की सरकार, फिर भाजपा के समर्थन से मायावती जी की सरकार, आप खंडपीठ की स्थापना कर दिये होते, केन्द्र में भी आपकी सरकार थी । आप हमेशा जनता से ठगी की बात करते हैं, जब सत्ता में नहीं होते हैं तो खण्डपीठ की याद आती है, जब सत्ता में नहीं होते हैं तो राम मन्दिर की याद आती है, जब सत्ता में होते हैं तो धर्म निरपेक्षता में विश्वास करने की बात करते हैं । अब जनता आपकी ठगी में आने वाली नहीं है । आपकी सरकार यहां पर थी, केन्द्र में भी सरकार थी, आपने उत्तर प्रदेश को बांट दिया । आप एक तरफ कहते हैं कि अखण्ड भारत और दूसरी तरफ उसे बांटने पर उतारू हैं, कुछ दिन में कहेंगे कि दिल्ली की राजधानी बांट दीजिये, फिर कहेंगे कि विधान सभा को बांट दिया जाय, आखिर यह कौन सी नैतिकता है ? अब आपकी बात में जनता आने वाली नहीं है । न तो कोई आन्दोलन हो रहा है, न वकील कर रहे हैं, न जनता कर रही है । यह आपकी अपनी खोयी हुई शक्ति प्राप्त करने का षडयन्त्र है, नाटक कर रहे हैं, इसको बन्द करिये । जनता सारी बात को समझ रही है । अधिष्ठाता महोदय, इसके बाद मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं, इस संकल्प को आप वापस करा दीजिये । यह झूठे जनता को भरमाने की साजिश कर रहे हैं । इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं ।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

अधिष्ठाता महोदय, माननीय बाजपेयी जी ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है, उसका मैं विरोध करता हूं । हर प्रदेश में कुछ ऐसे स्थान होते हैं जिसकी गौरवशाली परम्परा होती है । उत्तर प्रदेश के अन्दर इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय और गंगा-यमुना सरस्वती का संगम है, जिसको

प्रदेश, देश में ही नहीं सारी दुनिया में लोग जानते हैं । मान्यवर, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की गौरवशाली परम्परा रही है । हम आप सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के ही न्यायाधीश हैं । इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पीठ के सम्बन्ध में बाजपेयी जी ने कई तर्क दिये, कई प्रदेशों का उदाहरण दिया जहां दो पीठें हैं । उत्तर प्रदेश में भी एक इलाहाबाद तथा उसकी पीठ लखनऊ में ऑलरेडी विराजमान है । पहले जब उत्तर प्रदेश में उत्तरांचल था तब भी दो ही पीठें थीं । अब उत्तरांचल अलग हो गया है । मैं नहीं समझता कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलग खण्ड पीठ की आवश्यकता है । अभी विधान सभा सीटों के सन्दर्भ में भी बात कही गयी, राजनीतिक दृष्टि से विचार करना कि कहां ज्यादा सीट है, कहां कम है उचित नहीं है । अगर आप देखें तो हमारी उत्तर प्रदेश की विधान सभा कुछ जनपदों से बहुत दूरी पर है जबकि कुछ जनपदों से बिल्कुल नजदीक है । तो मान्यवर, अगर दूरी को आधार बनायें तो उचित नहीं होगा । ऐसी चीजों पर विचार करते समय मेरिट पर ध्यान देना चाहिए । राजनीतिक दृष्टिकोण से विचार नहीं करना चाहिए । मान्यवर, यह ऐसा विषय है कि कई बार इस पर धरना-प्रदर्शन और हड़तालें हुई हैं । लेकिन इस विवाद के सम्बन्ध में जो संकल्प है निश्चित रूप से उससे पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के अन्दर एक विवाद उत्पन्न होगा । इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं ।

डा० राम बाबू हरित–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं भी इस संकल्प का विरोध करता हूं । आगरा में खण्डपीठ की स्थापना होनी चाहिए । जसवन्त सिंह आयोग की सिफारिशों के हिसाब से आगरा में खण्डपीठ स्थापित की जानी चाहिए ।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया आसन ग्रहण करें । मैंने संसदीय कार्यमंत्री जी को बुला लिया है ।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मो० आजम खां)–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, डा० लक्ष्मीकान्त वाजपेयी जी के संकल्प के सिलसिले में मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि "बड़ी देर कर दी, मेहरबां आते-आते" आपको खण्डपीठ का ध्यान बहुत लम्बे अर्से के बाद आया । आप सत्ता में लम्बे अर्से तक रहे, आपकी पार्टी भी लम्बे अर्से तक सत्ता में रही, केन्द्र में भी आपकी सरकार थी तब इसे नहीं उठाया ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, इसको तब भी उठाया था ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

उस समय उठाये रखने के लिए ही उठाया होगा । इसमें मैं ज्यादा बहस में नहीं जाना चाहूंगा । प्रदेश में सरकारें रही और देश में आज भी सरकार है लेकिन तब आपने कुछ नहीं किया । मैं बताना चाहता हूं कि इसका सूरते हाल यह है कि 5-4-95 को तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा तत्कालीन प्रधानमंत्री जी को खण्डपीठ कायम करने के सिलसिले में एक पत्र भेजा गया था । भारत सरकार ने मुख्य न्यायाधीश का अभिमत प्राप्त करने की अपेक्षा की और एक पत्र भेजा तब से अभी तक उस पत्र का कोई जवाब नहीं मिला है । जब तक माननीय उच्च न्यायालय का अभिमत प्राप्त नहीं हो जाता इस सिलसिले में प्रदेश सरकार कोई ऐसी घोषणा करने की स्थिति में नहीं है जिससे उच्च न्यायालय की कहीं अवमानना

होती हो । हमारे बाजपेयी जी काफी कानून के ज्ञाता हैं, उनको काफी जानकारी है । उनको यह भी जानकारी है कि जब इतने समय से यह मामला लम्बित रहा है तो आगे भी विधिवत् ही इस पर कार्यवाही हो और कोई कार्यवाही ऐसी न हो कि जो खुद बाजपेयी जी को अच्छी न लगे क्योंकि कोई कार्य ऐसा हो गया जो उनके शासन काल में नहीं हो सका तो हो सकता है कि उनको अच्छा न लगे । लिहाजा हम चाहेंगे कि आपके दल का सम्मान रहे और जो भी कार्यवाही हो वह विधि के अनुसार हो । जब तक उच्च न्यायालय का कोई जवाब नहीं मिल जाता उस वक्त तक प्रदेश सरकार इस स्थिति में नहीं है कि अपनी तरफ से कोई उत्तर इस सम्बन्ध में दे सके । मेरा आपसे निवेदन है, उर्दू में कहें तो गुजारिश है कि आप बहुत ही भले व्यक्ति हैं । सदन में चाहे आपने हंगामा क्यों न किया हो लेकिन वह भी आपका सहयोग होता है । आप अपने संकल्प को वापस लेने की कोशिश करेंगे और मेरी ओर से एक बार फिर धन्यवाद के हकदार होंगे ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, यह सदन न्यायालय के ऊपर हैं । यह सदन जन भावनाओं को प्रतिबिम्बित करता है । पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता के हित के लिए सदन ने संकल्प करके सरकार को भेजा है लेकिन अभी मुख्य न्यायाधीश की सहमति नहीं आयी है । अकेले मुख्य न्यायाधीश की सहमति ही आवश्यक नहीं है बल्कि जितने भी माननीय न्यायाधीश उच्च न्यायालय के आज की तारीख में हैं उनके विचार विमर्श से सामूहिक फैसला इसके लिये आवश्यक है । अगर सरकार जन भावनाओं के अनुसार, कार्य करना चाहती है तो इतनी पुरानी मांग को पूरा करना चाहिये । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने स्वयं कहा कि 1995 में संकल्प भारत सरकार को भेजा गया था और भारत सरकार ने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अभिमत के लिये भेजा था जिसकी प्रतीक्षा है । मेरा यह कहना है कि आज सरकार अपने प्रभाव का उपयोग करके अपनी सद्भावना का उपयोग करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जनता के हित को देखते हुये, सुलभ न्याय को देखते हुये उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध करे कि यह सभी न्यायाधीशों की बैठक बुलाकर, विचार विमर्श कर लें, जनसंख्या, क्षेत्रफल, लम्बित वाद, वादों का प्रतिशत और अन्य प्रदेशों में खण्डपीठ की संख्या आदि पर विचार करते हुये अपना अभिमत दें । मैं तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश से मिला था । वह स्वयं पश्चिमी बंगाल के रहने वाले हैं जहां पर खण्ड पीठ है । उनको खण्डपीठ पर आपत्ति नहीं है । इसलिये सरकार अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके मुख्य न्यायाधीश से आग्रह करे कि वह अपनी संस्तुति भेज दें । मैंने संकल्प में मुख्य न्यायाधीश की राय की प्रतीक्षा बिना किये हुये खण्डपीठ की स्थापना की बात कही है । माननीय नरेन्द्र सिंह गौर ने इलाहाबाद के गौरव की बात कही । यदि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खण्डपीठ बन जायेगी तो उससे इलाहाबाद का गौरव कम नहीं होगा । इलाहाबाद में संगम है, उच्च न्यायालय की मूल खण्डपीठ है, इलाहाबाद यूनीवर्सिटी है वहां की ख्याति कम नहीं होगी । इलाहाबाद में माननीय नरेन्द्र सिंह गौर रहेंगे तो वहां का गौरव कम नहीं होगा । पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता के हित के लिये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खण्डपीठ की स्थापना की जाय । लोकदल के विधायक मुंह चुरा कर भाग गये हैं । वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता के हित के लिए लड़ाई लड़ने की बात करते हैं । आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता का विषय सामने था तो हमारे लोकदल के साथी सदन छोड़कर चले गए ; कम से कम उनको तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बेंच गठित करने के प्रस्ताव का समर्थन करना चाहिए था । जनता के बीच तो लोकदल के साथी पृथक हरित प्रदेश की मांग करते हैं लेकिन यहां सदन में उठकर चले गए । जिस तरह से पृथक उत्तरांचल राज्य बना इसी तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का शोषण होता रहा तो इस को भी अलग करना पड़ेगा । इसी के साथ ही मैं अपने संकल्प पर बल देता हूं ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा० संसदीय कार्य मंत्री जी ने जानना चाहता हूं कि उच्च न्यायालय की बेंच स्थापित करने के लिए प्रदेश सरकार का अधिकार क्षेत्र है या केन्द्र सरकार का ? दूसरा इस समय केन्द्र में किस पार्टी की सरकार है ? तीसरा अभी हमारे साथ बाजपेयी जी अपने संकल्प के प्रस्ताव पर हमारा सहयोग मांग रहे थे तो क्या उन्होंने अपने पक्ष के लोगों से सहयोग मांगा पहले उनको गौड़ साहब को फिट करना चाहिए था उनको डा० हरित साहब को फिट करना चाहिए था जब इस प्रकरण पर आपकी पार्टी ही तीन टुकड़ों में विभाजित है तो पूरे सदन का सहयोग किस आधार पर मांग रहे हैं और बेकार में सदन का समय बरबाद कर रहे हैं ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

बाजपेयी जी सारी बातों से अच्छी तरह से वाकिफ हैं । जसवन्त सिंह आयोग जब बना था तब उत्तरांचल उत्तर प्रदेश में था । उस आयोग की सिफारिशात के बाद बहुत कुछ बदल गया है । प्रदेश के दो हिस्से हो गए हैं । एक बंटवारे की फिर आपने यहां घोषणा कर दी । पता नहीं कितने बंटवारे कहां-कहां आप करेंगे । बंटवारे की आदत आपकी अच्छी नहीं है । इसे बदलने की कोशिश करिए । जसवन्त सिंह आयोग के गठन के बाद जो सिफारिशें आईं उसके बाद पूरे प्रदेश की सूरते हाल बदल गई है । कहां खण्डपीठ कायम हो उसके लिए हो सकता है कि नए तरीके की जरूरत हो । आगे क्या हो यह सब उसी वक्त हो सकता है जब हमें मा० उच्च न्यायालय से कोई संदेश प्राप्त हो जाए । इसी उतावलेपन में आपने सरकार खो दी । आपकी जनता में साख खराब हो गई है । इसके लिए जरूरी है कि आप शांति से बैठें और जनता के बीच काम करें और इस खण्डपीठ के संकल्प को वापस ले लीजिए । मैं यही निवेदन करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

बाजपेयी जी आप अपना संकल्प वापस ले रहे हैं ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मैं अपना संकल्प वापस नहीं ले रहा हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं । यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता को सस्ता एवं सुलभ न्याय दिलाने हेतु पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की खण्डपीठ की स्थापना की जाए ?

जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हों वह हां कहें और जो माननीय सदस्य इसके विरोध में हों वह नहीं कहें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

**''उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें''**

**विषयक सूचना**

श्री अधिष्ठाता–

एक सूचना सदन को देनी है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने दिनांक 10 नवम्बर, 2003 को हुई अपनी बैठक में सदन के दिनांक 11 नवम्बर, से 5 दिसम्बर, 2003 के उपवेशनों के कार्यक्रम के विषय में निम्नलिखित संस्तुतियां की हैं :-

1-दिनांक 11, 12 तथा 13 नवम्बर, 2003 को सदन की बैठकें न हों ।

2-दिनांक 14 नवम्बर, 2003 को प्रश्नकाल न हों ।

3-दिनांक 14 नवम्बर, 2003 को उपाध्यक्ष, विधान सभा के पूर्व निर्धारित निर्वाचन के उपरान्त 11.30 बजे वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक का प्रस्तुतिकरण हो ।

4-दिनांक 14 नवम्बर, 2003 को विधायी कार्य लिया जाय ।

5-दिनांक 15 नवम्बर से 3 दिसम्बर, 2003 तक सदन की बैठक न हो ।

6-दिनांक 4 तथा 5 दिसम्बर, 2003 को वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा रखी जाए ।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)-

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी इज़ाजत से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना आज श्री अधिष्ठाता द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है ।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव, जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

**नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं**

श्री अधिष्ठाता-

आज दिनांक 10 नवम्बर, 2003 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 10 सूचनाएं प्राप्त हुई । पहली सूचना डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की, प्रदेश में डेंगू तथा मस्तिष्क ज्वर की महामारी की रोकथाम न किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई । दूसरी सूचना श्री जगदीश नारायण राय की, गृह विभाग द्वारा सब इंस्पेक्टरों की नियुक्ति गृह जनपद से लगे जनपदों में न करने के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई । तीसरी सूचना श्री राम इकबाल सिंह की (नियम-56 में प्राप्त) जनपद बलिया के थाना उभांव के श्री प्रेम चौहान की हुई मृत्यु से सम्बन्धित लोगों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई । चौथी सूचना डा० राम बाबू हरित, श्री छोटे लाल वर्मा और श्री जगन प्रसाद गर्ग की (नियम-56 में प्राप्त), जनपद आगरा में मुकेश की बेरहमी से हत्या कर जला दिये जाने से सम्बन्धित लोगों के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने के सम्बन्ध में है वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई । पांचवीं सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की, शाहजहांपुर में बिसरात घाट के बीचों बीच टापू का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई । छठवीं सूचना श्री विश्राम सिंह यादव की, जनपद हरदोई के कस्बा सांडी विद्युत पावर हाऊस का मेन्टेनेन्स कराये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई । सातवीं सूचना श्री उमा शंकर कुशवाहा की, जनपद गाजीपुर के ग्राम ख्वाजापुर में सार्वजनिक रास्ते से अतिक्रमण हटाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई आठवीं सूचना

श्री सुखदेव राजभर की, जनपद आजमगढ़ के ग्राम खजुरी के सार्वजनिक भूमि पर जबरन दबंग लोगों द्वारा कब्जा कर मकान निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई । नवीं सूचना श्रीमती विद्या चौधरी की जनपद आजमगढ़ स्थित मेहनगर के पिनहापुर गांव में स्टेडियम का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई । माननीय डा० रामबाबू हरित और श्री छोटे लाल वर्मा (दो सूचना होने के कारण अस्वीकृत) की सूचनाएं अस्वीकृत हुईं ।

अब हम उठते है । 14 नवम्बर, 2003 को 11.00 बजे पुनः बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 04 बजकर 02 मिनट पर शुक्रवार, दिनांक 14 नवम्बर, 2003 को अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :

दिनांकः 10 नवम्बर, 2003

**राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,**

प्रमुख सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

**नत्थी 'क'**

(देखिये अता० प्र०सं०–120 का उत्तर पुछे पृष्ठ 31 पर)

विधान सभा अतारांकित प्रश्न संख्या–120 का संलग्नक

अम्बेडकर ग्राम्य विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2002-2003 में विकास खण्ड–सुल्तानगंज एवं बेवर में निर्मित कराये गये आवासों का अम्बेडकर ग्रामवार विवरण ।

| क्र० | विकास खण्ड | अम्बेडकर ग्राम का नाम | चयनित वर्ष | वित्तीय वर्ष 2002-03 में निर्मित आवास | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | इंदिरा आवास योजना | प्रधानमंत्री आवास योजना | | योग |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | सुल्तानगंज | देवगंज | 92-93 | 6 | – | 6 |
| 2 | ,, | सिमरई | 99-2000 | 8 | – | 8 |
| 3 | ,, | आलीपुर पट्टी | 02-03 | 30 | – | 30 |
| 4 | ,, | महावतपुर | 02-03 | 03 | – | 3 |
| 5 | ,, | जगतपुर | 02-03 | 10 | – | 10 |
| 6 | ,, | सरजनपुर | 95-96 | 05 | 2 | 07 |
| 7 | ,, | नं जात भौगांव | 97-98 | 05 | 1 | 06 |
| 8 | ,, | इटौरा | 01-02 | 07 | – | 07 |
| 9 | ,, | महरमई | 95-96 | 05 | 3 | 08 |
| 10 | ,, | तिसौली | 99-2000 | 05 | – | 05 |
| 11 | ,, | हन्नखेड़ा | 01-02 | 05 | – | 05 |
| 12 | ,, | जैली-जिरौली | 01-02 | 06 | – | 06 |
| 13 | ,, | औरन्ध | 99-2000 | 06 | – | 06 |
| 14 | ,, | खटाना | 97-98 | 05 | – | 05 |
| 15 | ,, | सहारा | 99-2000 | 06 | – | 06 |
| 16 | ,, | मोहनपुर | 97-98 | 05 | 7 | 12 |
| 17 | ,, | जसरथपुर | 99-2000 | 05 | – | 05 |
| 18 | ,, | उद्यमपुर नरैनी | 01-02 | 06 | – | 06 |
| 19 | ,, | रजवाना | 01-02 | 06 | – | 06 |
| 20 | ,, | अहिरया | 98-99 | 04 | – | 04 |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | सुल्तानगंज | मानिकपुर | 01-02 | 05 | – | 05 |
| | | | योग :– | 143 | 13 | 156 |
| 1 | बेवर | गंगरवाला | 02-03 | 40 | – | 40 |
| 2 | ,, | तिलियानी | 02-03 | 34 | – | 34 |
| 3 | ,, | मुड़ई | 02-03 | 21 | – | 21 |
| 4 | ,, | अम्हेरा | 01-02 | 07 | – | 07 |
| 5 | ,, | वरौली | 99-2000 | 07 | – | 07 |
| 6 | ,, | परतापुर | 97-98 | 06 | 29 | 35 |
| 7 | ,, | जनोरा | 01-02 | 07 | – | 07 |
| 8 | ,, | दौदापुर | 97-98 | 04 | – | 04 |
| 9 | ,, | झण्डेपुर | 97-98 | 04 | 15 | 19 |
| 10 | ,, | करपिया | 99-2000 | 06 | – | 06 |
| 11 | ,, | अठलका | 97-98 | 03 | 15 | 18 |
| 12 | ,, | भैंसरोली | 99-2000 | 07 | – | 07 |
| 13 | ,, | विल्सड़ा | 97-98 | 03 | 10 | 13 |
| 14 | ,, | कमालपुर महमूदिया | 01-02 | 04 | – | 04 |
| 15 | ,, | अरमसराय | 99-2000 | 07 | – | 07 |
| 16 | ,, | विनोदपुर | 97-98 | 04 | 18 | 22 |
| 17 | ,, | सकत बेवर | 99-2000 | 05 | – | 05 |
| 18 | ,, | धनकिया | 97-98 | 04 | 2 | 06 |
| 19 | ,, | महोला | 95-96 | 04 | 13 | 17 |
| 20 | ,, | मल्लागई | 98-99 | 11 | – | 11 |
| 21 | ,, | गड़िया [illegible]नकोरा | 99-2000 | 07 | – | 07 |
| 22 | ,, | नंगला पैंठ | 01-02 | 06 | – | 06 |
| | | योग :– | योग :– | 201 | 102 | 303 |

पी० एस० यू० पी०–एल० 2 विधान सभा (8)–17-4-2004–813 प्रतियां ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा